Par. S. 17. 1. 28. 52.
285

अंक १

संख्या २८

बृहस्पतिवार

२६ जून, १९५२

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १७६३–१८२१]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग १८२१–१८५८]

(मूल्य ४ आने)

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २६ जून, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सान के पत्थर

*११८५. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में घिसाव के काम में आने वाले नकली रासायनिक दानों का, जो मुख्यतः सान के पत्थर बनाने के काम में लाये जाते हैं, निर्माण होता है ;

(ख) वर्ष १९५१-५२ में इस प्रकार की कितनी मात्रा का आयात किया गया था ; तथा

(ग) अपने देश की मांग को पूरा करने के लिये इस समय यहां कितनी मात्रा का उत्पादन होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सान के पत्थर बनाने के लिये ४१२.२ टन आयात किये गये।

(ग) लगभग ७० प्रतिशत।

सरदार हुक्म सिंह : सन् १९५१-५२ में कुल कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दुर्भाग्य है कि मेरे पास वित्तीय वर्ष के अनुसार आंकड़े मौजूद नहीं हैं। मेरे पास पत्री-वर्ष के अनुसार आंकड़े मौजूद हैं और १९५१ में ३१०.६ टन का उत्पादन हुआ है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत के किसी भी भाग में इस प्रकार के घिसाव के बनावटी दाने बनाने के निमित्त किसी नये कारखाने को स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि इस प्रकार की प्रस्थापना है। मेरा विचार है कि पंजाब सरकार की इस प्रस्थापना में रुचि है।

मशीनी औजार

*११८६. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ मार्च, १९५२ को मशीनी औज़ारों का निर्माण करने में लगाये गये श्रेणीबद्ध तथा अश्रेणीबद्ध सार्थों की संख्या क्या थी ;

(ख) इन सार्थों ने मुख्यतः कौन कौन से मशीनी औज़ारों का निर्माण किया था ; तथा

(ग) मशीनी औज़ारों की सरकारी फैक्टरी स्थापित करने की परियोजना की क्या प्रगति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १६ श्रेणीबद्ध तथा १०५ अश्रेणीबद्ध ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ग) मशीनी औज़ारों का कारख़ाना स्थापित करने की परियोजना का प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी काम उत्पादन मंत्रालय को सौंपा गया है । आवश्यक संयंत्र, मशीन तथा प्राविधिक कर्मचारी-वर्ग के प्राप्त करने की व्यवस्था जारी है । इस समय स्थायी कारख़ाने के मकानों का निर्माण तो नहीं किया गया किन्तु मशीन तथा अन्य उपकरणों को ढकने के लिये कुछ एक ओसारे बनाये जा रहे हैं । अनुमान लगाया जाता है कि सन् १९५३ के बीच से ही उक्त कारख़ाना निर्माण-कार्य आरम्भ करेगा ।

विवरण

(उपकरण का नाम)

(१) तख्ते पर लगाने के ख़राद ।

(२) गावदुम घिरनी के आकार वाले ख़राद ।

(३) सब प्रकार के दन्तिचक्र सिर वाले ख़राद ।

(४) तख्तों में छेद करने वाली मशीनें ।

(५) खम्भे की शकल वाली छेद करने की मशीनें ।

(६) आकार ठीक करने वाली मशीनें ।

(७) छेद करने वाली मशीनें ।

(८) समतल करने वाली मशीनें ।

(९) धातुओं को काटने वाली मशीनें

(१०) बिजली के प्रेस ।

(११) दोनों ओर से औज़ारों को तेज़ करने वाले सान के पत्थर ।

(१२) ख़राद के कुटकुटे और बरमों के कुटकुटे ।

(१३) ख़राद की बीच वाली ढिबरियां ।

(१४) मशीनों के शिकंजे ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन कारख़ानों में कुछ ऐसे औज़ारों का भी निर्माण होता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों द्वारा स्वीकृत प्रथम श्रेणी के औज़ारों से मिलते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमारे पास लगभग १४ प्रकार के विभिन्न श्रेणियों के औज़ार हैं जो प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणियों में आते हैं, और प्रदाय के महासंचालक कार्यालय के निरीक्षक पदाधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार ये श्रेणियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रमापों के अनुसार हैं ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह तथ्य है कि दो देशों के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद औज़ार बनाने के इन देशीय कारख़ानों को धक्का पहुंचा, और क्या हम अब सुरक्षित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यह कहना ठीक नहीं होगा कि युद्ध समाप्त होने के बाद से ही धक्का लगना शरू हुआ । मेरा विचार है कि सन् १९४९ में हम ने ४७ लाख रुपये के औज़ारों का निर्माण किया था । किन्तु उस के बाद यह कम होने लगा है यद्यपि सन् १९५१ में हम ने पुनः ४७ लाख रुपये के औज़ारों का निर्माण किया है । इस देश में मशीन के औज़ारों के कारख़ानों के समक्ष बहुत सी कठिनाइयां हैं—जैसे कि स्थानीय निर्मित इस्पात की लागत बहुत अधिक है और विदेशों से बन कर आये हुये औज़ारों की लागत बहुत कम है । कुछ एक कारख़ानों ने अपना उत्पादन कम कर दिया

है ; और कई एक बिल्कुल बन्द होने को हैं। सरकार इन बातों की ओर ध्यान दे रही है। माननीय सदस्य को ज्ञात भी होगा कि तटकर मंडली ने अपनी रिपोर्ट में इस विषय को भी छेड़ा है।

सरदार हुक्म सिंह: युद्ध के तुरन्त बाद ही सन् १९४६ में अधिकतम निर्माण क्या था, और इस समय औज़ारों का कितना निर्माण हो रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: खेद है कि मेरे पास सन् १९४६ के आंकड़े नहीं हैं, किन्तु इस रिपोर्ट में इतना बताया गया है कि १९४९ का उत्पादन मुक़ाबले में ठीक उतर सकता है। माननीय सदस्य यदि चाहें तो मैं उन्हें बाद में इस की सूचना दे सकता हूं।

सरदार हुक्म सिंह: अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वह हमें इस बात का उपचार बतादें कि यदि कोई सदस्य अपने आप ही अपनी रिपोर्ट का खंडन करे तो क्या किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि मैं एक बार कह चुका हूं कि यदि इस प्रकार का कोई भी प्रतिवाद दिखाई दे--मैं तो नहीं मानता कि वस्तुतः कोई प्रतिवाद है--माननीय सदस्य को यदि ऐसा मालूम दे कि कोई प्रतिवाद है, किन्तु मंत्री जी का यह विचार हो कि ऐसा कोई भी प्रतिवाद नहीं है--किन्तु यदि कोई प्रतिवाद दिखाई दे तो सब से अच्छा यही होगा कि सदन में विवाद न उठाया जाय, अपितु सदन के बाहर ही मंत्री जी का ध्यान उस बात को ओर आकर्षित किया जाय। मुझे इस बात का निश्चय भी है कि यदि मंत्री जी को विश्वास दिलाया जाय कि प्रतिवाद अवश्य था तो वह सदन में एक ऐसा बयान देंगे जो उस से पहले के बयान में आई हुई ग़लत बात को ठीक कर दे। मैं समझता हूं कि इस तरह का व्यवहार सर्वश्रेष्ठ होगा जिस से सदन का गौरव बना रहेगा और इस प्रकार के झगड़ों से भी बचे रहेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस कारख़ाने के निर्माण का अधीक्षण करने के लिये किसी विदेशी विशारद को बुलाया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे मान्य सहयोगी उत्पादन मंत्री सदन को अधिक अच्छी तरह से इस बात की सूचना दे सकेंगे कि ओरलिकंज नाम के स्विस सार्थ द्वारा इस कारख़ाने का निर्माण किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वही कई व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो बाद में इस कारख़ाने में काम करेंगे।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) श्रीमान्, क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा है ? अभी हाल ही में इस मशीनी औज़ार बनाने वाली फैक्टरी में चार विदेशी नागरिकों को नियुक्त किया गया है।

पाकिस्तान में निष्क्रमणार्थियों की ज़मीनें

*११८७. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि पाकिस्तान सरकार ने उन शरणार्थियों को जिन के दावों की जांच की जा चुकी थी, निष्क्रमणार्थियों की कृषियोग्य ज़मीनों पर अन्तिम

निर्णय के अधीन स्थायी अधिकार देने का विचार किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार की इस प्रस्थापना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार से सम्पत्ति की ज़ब्ती को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई सरकारी सूचना नहीं है किन्तु कई समाचार-पत्रों में एक प्रेस रिपोर्ट छपी है ।

(ख) तथा (ग). पंजाब और पेप्सू में तो अर्द्धस्थायी आधार पर कृषियोग्य भूमि आवंटित की जा चुकी है । पाकिस्तान सरकार वहां के मुस्लिम निष्क्रमणार्थियों को इसी प्रकार के अधिकार देना चाहती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इस विषय पर भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के बीच कोई लिखापढ़ी हो चुकी है ?

श्री ए० पी० जैन : इस विषय में कोई भी सरकारी लिखापढ़ी नहीं हुई है, किन्तु हम ने कराची स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा तथा लाहौर स्थित भारतीय उपप्रधान प्रदेष्टा से पूछा है, और हमें उन से यही सूचना मिली है ।

नैपाल में प्रवेश करने के पारपत्र

*११८८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि नैपाल सरकार ने नैपाल में प्रवेश करने के इच्छुक भारतीयों के लिये पांच रुपये की अदायगी पर स्थायी पारपत्र जारी करने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि ऊपर पूछे गये भाग (क) का उत्तर हां में हो तो क्या यह कार्य इन दो देशों के बीच की गई संधि की शर्तों के अनसार हुआ है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या नैपाल की राजधानी काठमांडू में जाने वाले भारतीय नागरिकों को अब भी आज्ञापत्र लेने पड़ते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा तो ऐसा ही विश्वास है । नैपाल के साथ की गई संधि में इस बात का प्रावधान किया गया है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था पारस्परिक होगी । जहां तक नैपाल का प्रश्न है, वहां अब भी पुरानी व्यवस्था जारी है । अभी तक हम ने वह बात अपनी सरकार में नहीं चलाई है यद्यपि हम चाहें तो उस को चला भी सकते हैं । किन्तु हमारा विचार है कि ऐसा व्यवहार उचित नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि आज्ञापत्र लेने की यह पद्धति कब तक जारी रहेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं तो इस का उत्तर नहीं दे सकता । इस बात का निर्भर हमारे अपने सोच पर है—अर्थात् क्या हम इन से बचे रह सकते हैं, अथवा जैसी भी स्थिति हो, दोनों ओर उस को चला सकते हैं ।

क़ालीन और दरियां (प्रमापीकरण)

*११८९. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय प्रमाप संस्था ने निर्यात के अभिप्राय के लिये भारतीय कालीनों

और दरियों के प्रमापीकरण की अन्तिम रूप में व्यवस्था कर दी है ;

(ख) ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका को कितने प्रतिशत भारतीय कालीन भेजे जाते हैं ;

(ग) क्या निर्यात किये गये कालीनों के प्रमाप तथा प्रकार के सम्बन्ध में हाल ही के इन विगत वर्षों में कुछ शिकायतें पहुंच चुकी हैं ;

(घ) यदि हां, तो शिकायत करने वाले देशों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) उन शिकायतों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ङ). भारतीय प्रमाप संस्था ने अभी प्रमापों को अन्तिम रूप नहीं दिया है । दरियां तो प्रायः दक्षिण से निर्यात की जाती हैं, शिकायतें दूर करने के लिये मद्रास एवं मैसूर की अंतःराज्य दरी उद्योग परामर्शदात्री पर्षद् ने प्रमाप निश्चित किये हैं ।

(ख) विगत तीन वर्षों में ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका को क्रमशः ७३.१ प्रतिशत और ७.६ प्रतिशत कालीन और कम्बल भेजे गये हैं ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ।

श्री एस० सी० सामन्त: में ज्ञात कर सकता हूं कि कब दरियों और कालीनों की घटिया किस्मों की ओर भारतीय प्रमाप संस्था का ध्यान आकर्षित किया गया था ?

श्री करमरकर: भारतीय प्रमाप संस्था का कार्य प्रमाप निश्चित करना है । जब कभी किस्म के सम्बन्ध में शिकायत की जाती है तो भारत सरकार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया जाता है । उस के पश्चात् आवश्यक कार्यवाही कराने के लिये हम भारतीय राज्यों के उद्योग संचालकों तथा उन मुख्य वाणिज्यिक निकायों का, जो इस प्रकार के निर्यात-व्यापार में रुचि रखते हों, ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं । भारतीय प्रमाप संस्था किस्मों से सम्बन्धित शिकायतों पर ध्यान नहीं देती ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सत्य नहीं है कि दूसरे महायुद्ध के बाद सिद्धान्त-विहीन व्यापारी घटिया किस्मों की कशीदाकारी और घटिया ढंग के प्रमापहीन कालीनों का निर्यात करते थे, और इसीलिये भारतीय प्रमाप संस्था का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया ?

श्री करमरकर: मैं पहले भी बतला चुका हूं कि शिकायतें पहुंच गई हैं । मैं इस बात की पूछताछ करूंगा कि क्या इस बात को संस्था के ध्यान में लाये जाने का कोई कारण रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त: में ज्ञात कर सकता हूं कि किन देशों को ये कालीन और दरियां भेजी जाती हैं ?

श्री करमरकर: मैं बतला चुका हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन को ८० प्रतिशत कालीन आदि निर्यात किये जाते हैं, और शेष २० प्रतिशत अन्य देशों को भेजे जाते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सत्य नहीं है कि संयुक्त राज्य अमरीका और ब्रिटेन भी मिलों में कालीन बनाते हैं, किन्तु फिर भी भारत में बनाये जाने वाले कालीनों का बहुत बड़ा अंश इन ही देशों में खप जाता है ?

श्री करमरकर: आंकड़ों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा ब्रिटेन में जो कालीनों की बहुत बड़ी

खपत है । मैं अलग आंकड़े नहीं दे सकता, किन्तु सन् १९५१-५२ में हम ने लगभग ५,८८,४७,००० रुपये के मूल्य का निर्यात किया था ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह तथ्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश स्थित तीन यूरोपीय सार्थ ही मुख्यतया कालीनों और दरियों का निर्यात करते हैं ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

रबड़

*११९०. **श्री पी० टी० चाको** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में कितनी कच्ची रबड़ आयात की गई थी ;

(ख) आयात की गई रबड़ का प्रति सौ पौण्ड औसत मूल्य क्या था ; तथा

(ग) भारत में उत्पादित रबड़ का प्रति सौ पौंड मूल्य क्या निश्चित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) ४,७७६ टन ।

(ख) प्रथम प्रकार की रबड़ का प्रति १०० पौंड का मूल्य रु० ३०४—१३—० है ।

(ग) प्रथम प्रकार की रबड़ का प्रति १०० पौंड का मूल्य १२८ रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय: (श्री चाको को अपने स्थान पर न बैठे हुये देख कर) । मैं पुन: इस बात का उल्लेख कर दूं कि माननीय सदस्य प्राय: स्थान न बदला करें । इस से इस बात का भय रहता है कि मैं उन्हें भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर नहीं देख सकता । वह एक ही स्थान पर बैठा करें । वह एक बार जगह चुन लें और उसको अन्त तक न बदलें । अब वह उसी स्थान पर बैठे रहें ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत में रबड़ के मूल्यों पर से नियंत्रण क्यों नहीं उठाये जाते ताकि रबड़ का उत्पादन करने वालों को उच्च मूल्यों का लाभ प्राप्त होता ?

श्री करमरकर: इस का यही उद्देश्य है कि उद्योग तथा उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य रखे जायें ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत से रबड़ की बनी वस्तुओं का निर्यात होता है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या रबड़ की बनी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित हैं ?

श्री करमरकर: इस प्रश्न के लिये भी मुझे पूर्वसूचना चाहिये । किन्तु मैं समझता हूं कि मूल्य नियंत्रित हैं, यद्यपि मैं अपनी राय को दोहरा सकता हूं ।

श्री पी० टी० चाको: मैं भारत के उन सार्थों के नाम ज्ञात कर सकता हूं जिन्हें वस्तुओं का निर्माण करने तथा अनियंत्रित मूल्यों पर बेचने के लिये यहां नियंत्रित मूल्यों पर रबड़ मिलती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): श्रीमान्, इस देश में उत्पादित रबड़ का लगभग ८० प्रति शत भाग मेसर्ज डनलप रबर कम्पनी, दि फायर स्टोन टायर कम्पनी और बाटा शू कम्पनी नाम के तीन सार्थों द्वारा काम में लाया जाता है । शेष २० प्रति शत उन अन्य छोटे छोटे बस्तु निर्माताओं द्वारा काम में लाया जाता है जो इन सार्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं ।

श्री पी० टी० चाको: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि भारत में उत्पादित की जाने वाली रबड़ की एक बड़ी मात्रा छोटे छोटे उत्पादकों द्वारा ही उत्पादित की जाती है ?

श्री करमरकर: छोटे और बड़े दोनों ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही की है कि रबड़ के उत्पादक को उस लाभ का थोड़ा सा अंश मिल जाय जो विदेशों को रबड़ निर्यात करने से प्राप्त होता है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य अब इस प्रश्न पर तर्क कर रहे हैं, अतः मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि अस्थायी संसद् में रबड़ उत्पादन और रबड़ की लागत पर कई एक प्रश्न पूछे गये थे । अतः वह उन ही प्रश्नों को यहां दोहराने के बदले पुरानी कार्यवाही देख लें ।

श्री ए० एम० टामस: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इस काश्त के उद्योग में न्यूनतम मजूरी लागू होने के कारण उत्पादन-परिव्यय घट गया है ?

श्री करमरकर: भारतीय तटकर आयोग ने अभी हाल में इन बातों पर विचार किया था । तटकर आयोग पुनः जुलाई में इस प्रश्न पर जांच करेगा । न्यूनतम दाम निश्चित करते समय, जो कि इस समय १२८ रुपये प्रति १०० पौण्ड है, इन सभी बातों पर विचार किया जाता है ।

श्री दामोदर मेनन: माननीय मंत्री ने अभी उन तीन कम्पनियों का उल्लेख किया है जो टायरों का निर्माण करती हैं । इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि इन कम्पनियों को अपेक्षतया सस्ती दरों पर कच्ची रबड़ मिलती है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह न्यायोचित है कि भारत में रबड़ के टायरों के वे ही दाम हों जो विदेशों में हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं इस मामले के केवल इसी पहलू का उत्तर देना चाहता हूं कि यहां के दाम विश्व के बाज़ार के दामों के स्तर पर आ रहे हैं । विश्व के बाज़ार में इस समय लगभग २ शिलिंग प्रति पौण्ड के हिसाब से रबड़ बिकती है और यदि रुपयों के हिसाब से उस का शुमार किया जाय तो वह भारतीयों दामों के स्तर पर आती है । हो सकता है कि लगभग ७ या ८ रुपये का अन्तर हो । अतः भारतीय रबड़ के किसी विशेष मूल्य का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हम जभी विश्व के बाज़ार के दामों तक पहुंच जायें, उसी समय यह प्रश्न समाप्त हो जायेगा ।

श्री बैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत का यह नियंत्रित मूल्य संसार के किसी भी स्थान में कच्ची रबड़ के न्यूनतम दाम के समान है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: श्रीमान्, हो सकता है कि ऐसा रहा हो । उन दिनों ऐसी बात थी क्योंकि मलाया में उत्पादित रबड़ का दाम ४ शिलिंग ८।। पैंस था । यह दो वर्ष पहले की बात है । अब इन दिनों विश्व के बाज़ार में रबड़ का दाम लगभग २ शिलिंग प्रति पौण्ड है, और मैं बतला भी चुका हूं कि वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है जिस से संतोष मिल सकता है—वह ऐसी नहीं जैसा मेरे मान्य मित्र सोचते हैं ।

पोत-निर्माण

*११९१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५१ और १९५० में सरकार ने भारत में पोत-निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये क्या व्यवस्था की थी ?

(ख) अगस्त १९४७ से हम ने कितने पोतों का निर्माण किया है, और पोत-निर्माण पर कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य सन् १९४९-५० और १९५०-५१ के वित्तीय वर्षों की ओर निर्देश कर रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो सन् १९४९-५० में ३० लाख रुपये और सन् १९५०-५१ में १२० लाख रुपये व्यय हुआ है।

(ख) ८,००० वस्तुभार टन के आठ पोत और एक छोटा पोत बनाये गये हैं। मार्च १९५२ के अन्त तक लगभग २३.८१ लाख रुपये पोत-निर्माण उद्योग में लगाये जा चुके हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या यह तथ्य है कि भारत ने सिंधिया सार्थ को पोत-निर्माण के लिये ७३.५ लाख रुपये की सहायता दी है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के प्रश्न का शुद्ध अर्थ क्या है। १९४९-५० और १९५०-५१ में पोत-निर्माण उद्योग के प्रोत्साहन के लिये जो भी धनराशि व्यय की जा चुकी है, उसके सम्बन्ध में आंकड़े पहले ही बताये जा चुके हैं। दूसरे शब्दों में प्रति पोत निर्माण-परि-व्यय लगभग ६३ लाख रुपये है। प्रत्येक निर्मित पोत के लिये लगभग १७ लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या पोतघाटों और पोत-निर्माण उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में किसी यूरोपीय सार्थ से परामर्श किया जा चुका था ?

श्री के० सी० रेड्डी: श्रीमान्, सारे पोतघाट का निर्माण किया जा चुका है, और सत्य यह है कि आरम्भ में सर एलेक्ज़ांडर गिब्ब्स तथा उन के साझेदारों से परामर्श लिया गया था। माननीय सदस्य यदि यही सूचना चाहते थे तो यह प्रस्तुत की जा रही है। और यदि माननीय सदस्य के ध्यान में यही बात है कि क्या इस मामले में किसी फ़्रांसीसी सार्थ से परामर्श लिया गया था तो उसके सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हम अभी हाल में एक फ़्रांसीसी सार्थ के साथ एक करार कर चुके हैं जिससे पोत-घाट के निर्माण एवं सुधार में हमें सहायता मिलेगी।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या अब हम पोत-निर्माण में काम आने वाले सभी पुरज़ों का निर्माण करने की स्थिति में हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: हां, श्रीमान्, मेरा भी ऐसा ही अनुमान है। किन्तु मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या भारत की रक्षा स्थिति को दृढ़ बनाने के लिये निकट भविष्य में युद्धपोत बनाने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री के० सी० रेडडी: जी नहीं, इस समय नहीं।

श्री राघवय्या: क्या मैं सामान लादने वाले पोतों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

श्री के० सी० रेड्डी: अब तक ९ पोत बनाये जा चुके हैं।

हिन्दुस्तान पोतघाट

*११९२. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखपतनम पोतघाट के निर्माण के लिये हमें फ़्रांस से क्या सहायता मिल रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेडडी) ९ जून, १९५२ को मेरे द्वारा दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५८६ के भाग (ग) के उत्तर की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि भारत में ऐसे कितने पोत-निर्माण घाट हैं जहां समुद्र पर तैरने वाले तथा तटीय अभिप्राय के पोतों का निर्माण होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी: केवल विशाखपतनम पोतघाट पर समुद्र पर तैरने वाले पोतों का निर्माण होता है । और भी कई पोतघाट हैं जो छोटे पोतों के निर्माण-कार्य में लगे हैं ।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने विशाखपतनम् स्थित पोतघाट का प्राक्कलन किया था जिस के लिये सन् १९४९ में इस फ़्रांसीसी सार्थ को यहां बुलाया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी हां, श्रीमान् । अस्थायी रूप से ।

टाटा आयरन एण्ड स्टील फ़ैक्टरी को वित्तीय सहायता

*११९३. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को उसकी छः वर्षीय योजना में उसके विकासार्थ सहायता देने के लिये वित्तीय सहायता देना चाहती है ?

योजना सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि टाटाज़ द्वारा प्रस्तुत योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

श्री नन्दा: टाटा कम्पनी ने सरकार को कब वह योजना प्रस्तुत की थी ?

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय: वह अगला प्रश्न लें—यह विषय अभी विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह: किन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीयकरण की गई दो अतिरिक्त फैक्टरियों को स्थापित करने की परियोजना को चलाने में अभी भी दिलचस्पी रखती है ।

श्री नन्दा: वह बात भी विचाराधीन है ।

कोयला खान श्रमिकों के झगड़े

*११९४. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १५ अगस्त, १९५०, २६ जनवरी, १९५१, १५ अगस्त, १९५१ और २६ जनवरी, १९५२ को हुई छुट्टियों के पूरे वेतन तथा भत्तों के सम्बन्ध में कोयला खानों के प्रबन्धकों तथा उनके श्रमिकों के बीच हुआ झगड़ा निपटाया जा चका है ?

(ख) यदि नहीं तो उस झगड़े को निपटाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) और (ख). अधिनिर्णय के लिये यह झगड़ा उद्योग न्यायाधिकरण, धनबाद को ८ मई, १९५२ को सौंपा गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस झगड़े में कितने कोयला खान तथा उनके श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: श्रीमान्, पूर्व-सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पूछताछ होने तक उन शिकायत करने वाले श्रमिकों के साथ न्याय करने के लिये कोई अस्थायी कार्यवाही की जा चुकी है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न स्पष्ट नहीं । उन के कहने का यह अभिप्राय है कि क्या सहायता अथवा उच्चतर वेतन, आदि की स्वीकृति के रूप में उन्हें कोई सुविधायें दी गई हैं ?

श्री बी० एस० मूर्ति सहायता के रूप में ।

श्री वी० वी० गिरि: यह एक आपसी झगड़ा है जो न्यायाधिकरण के सिपुर्द हुआ है, और वह न्यायाधिकरण इस मामले का निर्णय करेगा । इस के अतिरिक्त हम से और क्या कराने की आशा की जाती है ?

अध्यक्ष महोदय: जी हां, यह मामला अब न्यायाधिकरण को सौंपा जा चुका है ।

हीराकुड बांध परियोजना

*११९५. **श्री जांगड़े**: क्या सिंचाई तथा **विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि हीराकुड बांध परियोजना के अधीन विविध निर्माणों के सम्बन्ध में निर्माण के निजी ठेकों की भी अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि ये निजी ठेकेदार श्रमिकों को तीन-चार महीनों तक मजूरी नहीं देते या उन को कभी भी मजूरी नहीं देते या उन के जाली हस्ताक्षर बना कर पैसा ऐंठते हैं ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि एक टोकरा मिट्टी ले जाने या बांध की मिट्टी खोदने आदि के लिये सरकार ने दस पैसे की न्यूनतम मजूरी निश्चित कर दी है पर ये निजी ठेकेदार श्रमिकों को १–१२ पैसा या उस से भी कम चुकाते रहे हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने इस विषय में कोई जांच करवाई है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) मेरा अनुमान है कि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में निर्माण कार्य क्या ठेकेदारों को दिया जा चुका है। यदि हां तो उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) एक टोकरा मिट्टी ले जाने अथवा बांध की मिट्टी खोदने के लिये कोई भी मजूरी-दर निश्चित नहीं की गई है, और सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि निजी ठेकेदार श्रमिकों को क्या मजूरी देते हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जांगड़े: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने या ठेकेदारों ने मज़दूरों को भोजन, पानी, सफाई या उन के राशन के लिये कोई इन्तज़ाम किया है जिसके कारण सन् १९५० में मज़दूरों में हैज़ा फैल गया था ?

श्री नन्दा: श्रीमान्, इस प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

श्री जांगड़े: मैं जान सकता हूं कि ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिन के लिये सरकार ठेकेदारों को ठेका देती है ?

अध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत ही विस्तृत सा प्रश्न है ।

श्री दामोदर मैनन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस निजी ठेके में उचित मजूरी देने का कोई अनुबन्ध भी समाविष्ट है ?

श्री नन्दा : न्यूनतम मजूरी-दर का एक विधान है जो राज्यों द्वारा लागू हो सकता है । कई राज्यों ने ऐसा किया है, और मेरा विश्वास है कि हीराकुड बांध परियोजना पर भी यही बात लागू हुई है ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि क्या इस ठेके में इस प्रकार का कोई अनुबन्ध है ।

श्री नन्दा: जी नहीं, श्रीमान्; जहां तक मुझे इस बात की सूचना है, ऐसी कोई भी अनुबन्ध नहीं है।

श्री जांगड़े: मैं जान सकता हूं कि क्या उड़ीसा के लोगों को भी ठेका दिया गया है ?

श्री नन्दा: जी हां, श्रीमान् । बहुत बड़ी संख्या में ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ठेकेदारों को ठेका देने के बजाय इन कार्यों को खुद अपने हाथ में ले लेगी ?

श्री नन्दा: विभागों की ओर से भी कई निर्माण कार्य किये जाते हैं।

श्री राघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रकार के ठेकों में ठेकेदारों को कितना लाभांश दिया जाता है ?

श्री नन्दा: भिन्न भिन्न । टेंडर मांगे जाते हैं और उसके बाद ठेके दिये जाते हैं—हो सकता है कि कुछ एक ठेकेदार औरों की अपेक्षा अधिक लाभ कमा सकें।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि ठेकेदारों ने सरकारी नौकरों से मिल कर मज़दूरों को मशीनरी और औज़ारों के अत्यधिक मूल्य बतला कर लाखों रुपये कमाये और सरकार का रुपया बरबाद किया है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ज्ञात करना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास श्रमिकों की ओर से इस बात की कुछ शिकायतें पहुंची हैं कि निजी ठेकेदार उन के साथ उचित बर्त्ताव नहीं करते हैं ?

श्री नन्दा: आज प्रातः ही मैं ने चीफ इंजीनियर से पूछा था कि क्या कोई शिकायत पहुंची है। वह कहते हैं कि क़ानूनी दृष्टि से हस्तक्षेप करने का अधिकारी न होते हुए भी मैं इस सम्बन्ध में उन पर नैतिक दबाव डालने का प्रयत्न करता रहा हूं, और उन्होंने अपने अधीनस्थों को तदनुसार अनुदेश भी भेजे हैं।

कोयला

*११९६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१ में विभिन्न कोयला खानों से कुल कितने टन कोयला निकाला गया था, और कोयला खान क्षेत्रों से रेलों द्वारा कुल कितने टन कोयला उठाया जा चुका था ; और

(ख) इस वर्ष कोयला खानों से कुल कितने टन कोयला निकाले जाने का अनुमान लगाया जाता है, और कोयला खानों से रेलों द्वारा कुल कितने टन कोयला उठाया जाने वाला है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) १९५१ में कोयला खानों से निकाले गये कोयले तथा रेलों द्वारा वहां से उठाये गये कोयले का विवरण इस प्रकार है :—

निकाला गया कोयला—३४,३०७,५६३ टन ।

रेलों द्वारा क्षेत्रों से उठाया गया कोयला—२८,१२६,९४१ टन ।

(ख) सन् १९५२ में कोयला खानों से निकाले गये कोयले तथा रेलों द्वारा वहां से उठाये गये कोयले का विवरण इस प्रकार है :—

निकाला गया कोयला—

३५,३६,०००,००० टन (लगभग)

रेलों द्वारा क्षेत्रों से उठाया गया कोयला—३० लाख टन (लगभग)

श्री ए० सी० गुहा: मैं इस बात का कारण ज्ञात कर सकता हूं कि बिगत वर्ष कोयला

खान क्षेत्रों से लगभग ६० लाख टन कोयला क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री के० सी० रेड्डी : माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि प्रत्येक कोयला खान के उत्पादन का लगभग १० प्रतिशत उसी के अपने प्रयोग में खप जाता है । शेष ५० प्रति शत कोयला यातायात की बाधाओं अर्थात् रेल डिब्बे न मिलने के कारण उठाया नहीं जा सकता ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री का ध्यान उस बयान की ओर आकर्षित किया जा चुका है जो मुख्य कोयला खान निरीक्षक द्वारा जारी किया गया था और जिस में बताया गया था कि विगत तीन चार सप्ताहों से रेलवे डिब्बों की व्यवस्था न होने के कारण कोयला खान क्षेत्रों से कोयला उठाया नहीं गया ?

श्री के० सी० रेडडी : सरकार को ज्ञात है कि कोयला उठाये जाने के लिये रेल-डिब्बों का अभाव है ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह तथ्य है कि कोयले के अभाव के कारण कलकत्ता के कुछ उद्योग अपना काम बन्द करने वाले हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं । मेरा अनुमान है कि इसी बात के कारण कुछ एक कोयला खानों का उत्पादन कम पड़ गया है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कोयला उठाये जाने के हेतु पर्याप्त रेल डिब्बे मुहैया करने के लिये सरकार ने क्या काम किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान्, सरकार इस के लिये सभी सम्भव कार्य कर रही है । सत्य यह है कि सरकार ने बहुत वे रेल-डिब्बों के लिये अपनी सूची में मांग की है, और हमें आशा है कि शीघ्र ही रेल डिब्बे मुहैय्या होंगे ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोयले के अभाव के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के उद्योगों अथवा पश्चिमी बंगाल सरकार की ओर से कोई शिकायत आ पहुंची है ?

श्री के० सी० रेड्डी : बहुत सी दिशाओं से, जिन में पश्चिमी बंगाल भी सम्मिलित है, साधारण शिकायतें पहुंची हैं ।

श्री राघवय्या : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को उन सभी शिकायतों का ज्ञान है जो डिब्बों के प्रदाय के सम्बन्ध में गंटूर जिले की तम्बाकू का विकृमिकरण करने वाली संस्था ने निरन्तर रूप से सरकार के पास पहुंचाई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं तो पहले ही बतला चुका हूं कि भारत भर के अनेक उद्योगों की ओर से साधारण शिकायतें पहुंची हैं ।

ब्रिटिश उपनिवेशों को निर्यात किया गया कपड़ा

*११९७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५१-५२ में भारत ने ब्रिटिश उपनिवेशों को कुल कितने गज़ सूती कपड़ा निर्यात किया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : १२ करोड़ ५९ लाख और ७० हजार गज़ ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इन उपनिवेशों को किस प्रकार के कपड़े भेजे जाते हैं ?

(श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : श्रीमान्, मेरे पास सूचना नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस वर्ष उन उपनिवेशों को कुल कितने गज कपड़ा निर्यात किया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : उक्त प्रश्न में जो सूचना मांगी गई है, तथा मेरे द्वारा उस का जो उत्तर दिया गया है वह सन् १९५१-५२ के सम्बन्ध में है ।

डा० राम सुभग सिंह : सन् १९५२-५३ की ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आप ही बतलाइये कि किस प्रकार सन् १९५२-५३ की सूचना दे सकता हूं ?

श्री बी० एस० मूर्ति : किन किन विशेष ब्रिटिश उपनिवेशों को यह कपड़ा निर्यात किया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अदन, ब्रिटिश पूर्वी अफ़्रीका, ब्रिटिश पश्चिमी अफ़्रीका, ब्रिटिश गियाना, ब्रिटिश बोर्नियो, ब्रिटिश वेस्ट इंडीज़, जिब्राल्टर और मलाया ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि सन् १९५१-५२ में कुल कितने मूल्य का कपड़ा इन उपनिवेशों को निर्यात किया जा चुका है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मेरे पास इस की कोई सूचना नहीं है ।

श्री पाटसकर : इस में से मोटा अथवा बीच का कपड़ा कितना था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास इस बात का ब्यौरा अवश्य है कि कुल कितना मोटा, बीच का, महीन तथा अति महीन कपड़ा देश से बाहर भेजा जा चुका है, किन्तु इस बात की कोई भी सूचना नहीं है कि उन में से किन किन देशों को किस प्रकार के कपड़े की कितनी मात्रा भेजी गई है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या हाथ-करघे का कुछ कपड़ा भी निर्यात किया गया, और यदि हां तो कितना ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं बतला चुका हूं कि मेरे पास देशवार आंकड़े नहीं हैं ।

उद्यान क्षेत्रों का आवंटन

***११९८. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान में कुल कितना बागाती क्षेत्र छोड़ आये, तथा भारत में मुसलमान निष्क्रमणार्थियों ने इसी प्रकार का कुल कितना क्षेत्र छोड़ा;

(ख) भारत में मुसलमान निष्क्रमणार्थियों द्वारा छोड़े गये कुल बाग़ाती क्षेत्र में से उन विस्थापित व्यक्तियों को जिन के पास पश्चिमी पाकिस्तान में अपने बाग़-बग़ीचे थे, कुल कितना क्षेत्र बांट में दिया गया, अन्य विस्थापित व्यक्तियों को कुल कितना क्षेत्र दिया गया, स्थानीय व्यक्तियों को कुल कितना क्षेत्र दिया गया तथा बांट के लिये अभी सरकार के पास कितना बाग़ाती क्षेत्र शेष बचा है ;

(ग) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में अपने बाग़ बग़ीचे रखने वाले विस्थापित व्यक्तियों की ओर से सरकार के पास इस बात का कोई प्रतिनिधान पहुंचा कि उन्हें बाग़ाती क्षेत्रों की बांट में उन लोगों की अपेक्षा प्राथमिकता मिलनी चाहिये जिन के पास वहां पाकिस्तान में कोई बाग़ाती क्षेत्र नहीं थे ; और

(घ) क्या सरकार ने यह नीति स्वीकार की है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

(ग) जी हां । विस्थापित नागरिक कृषि-योग्य भूमि तथा बाग-बगीचों के स्वामियों (पश्चिमी पाकिस्तान के नगरीय क्षेत्रों में) की सन्था, दिल्ली से एक प्रतिनिधान मिला है जिस में इस बात की प्रार्थना की गई है कि सभी निष्क्रमणार्थी नागरिक बग़ीचे तथा कृषि-योग्य भूमि अर्द्ध-स्थायी आधार पर उन विस्थापित व्यक्तियों को दी जानी चाहिये जिन के पास पश्चिमी पाकिस्तान में नागरिक क्षेत्रों में बाग़-बग़ीचे तथा कृषि-योग्य जमीनें थीं ।

(घ) जी नहीं । पश्चिमी पंजाब में कृषि-योग्य भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों के लिये दावे लिये जा रहे हैं और इस प्रकार की सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में एकीकृत निश्चय किया जायगा ।

नगरीय भूमि का आवंटन

*११९९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अर्द्धस्थायी आधार पर कृषि-योग्य भूमि के आवंटन का काम बहुत समय पहले समाप्त किया जा चुका है जब कि नगरीय अथवा मुफस्सिल की जमीनें दिये जाने में अभी भी देर की जा रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस काम के पूरा किये जाने में अभी कितना समय लगेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) ग्राम्य तथा मुफ़स्सिल की निष्क्रमणार्थी जमीनों की बांट पंजाब तथा पैप्सू में अर्द्धस्थायी आधार पर पूरी की जा चुकी है । किन्तु अभी इसी प्रकार के आधार पर नागरिक निष्क्रमणार्थी जमीनों की बांट नहीं की जा चुकी है ।

(ख) मकान तथा भवन-निर्माण स्थानों जैसी अन्य नागरिक निष्क्रमणार्थी सम्पत्तियों के साथ ही नागरिक निष्क्रमणार्थी जमीनों की बांट के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । इस समय यह नहीं बतलाया जा सकता कि इस काम के पूरा होने में अभी कितनी देर लगेगी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार: मैं पूछ सकता हूं कि गैर-शरणार्थियों को मुफ़स्सिल की जमीनें क्यों दी गई थीं ?

श्री ए० पी० जैन: साधारणतया ग़ैर-शरणार्थियों को मुफ़स्सिल की जमीनें नहीं दी जाती हैं। यह अवश्य है कि जब शरणार्थी इन जमीनों की मांग नहीं करते हैं, तो ग़ैर-शरणार्थियों में इन को बांटा जाता है ।

सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी

*१२००. **पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकारी गृह-निर्माण फ़ैक्टरी, दिल्ली, के निर्माण तथा कार्यकरण पर आज तक सरकार द्वारा कुल कितना धन लगाया जा चुका है ;

(ख) क्या वर्तमान फ़ैक्टरी का और अधिक अच्छा प्रयोग करने एवं उसके साधनों को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिये कोई विशारद-समिति नियुक्त की गई थी, और यदि हां तो क्या कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(ग) क्या सरकार स्ट्रक्चरल एण्ड मैकेनिकल डेवेलपमेंट इंजीनियर्स, लिमिटेड, बर्क्स, इंगलैंड नाम के ब्रिटिश परामर्शदाता सार्थ के विरुद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही कर चुकी है अथवा करना चाहती है, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ठीक १,०७,९४,००० रुपये (एक करोड़ सात लाख और चौरानवे हजार रुपये) इस में लगाये जा चुके है।

(ख) जी हां, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है।

(ग) सरकार ने अभी कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं की है। इसी समय इस रहस्य का उद्घाटन करना कि सरकार भविष्य में किस प्रकार कार्यवाही करेगी, जनता के हित में नहीं होगा।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में किसी निश्चय पर पहुंची है कि अब इस कारख़ाने से क्या काम लिया जायेगा, और इस पर कितना अतिरिक्त धन लगाया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं कभी पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। सरकार इस बात का निश्चय कर चुकी है कि इस कारखाने में एक स्वेडिश सार्थ भी सहायता से कुछ एक प्रनिर्मित मकान के भागों को तैयार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वह कंक्रीट के पूर्व-प्रयोग दाब वाले मिले जुले तख्ते तथा लिग्नोमा (एक प्रकार की लकड़ी) के तख्ते बनाना चाहते हैं।

जहां तक और अधिक धन लगाने का प्रश्न है, सरकार ने अभी इस प्रकार की कोई भी वाक्बद्धता नहीं की है।

श्री पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या संसद् सदस्यों के लिये बनाये गये मकानों में इन प्रनिर्मित भागों का उपयोग हुआ है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे इस बात का कोई भी ज्ञान नहीं।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या भारत सरकार तथा परामर्शदाता सार्थ के बीच किया गया वह करार अन्तिम बार निश्चित होने से पहले उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा भारत भेजा गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: कौन सा परामर्शदाता सार्थ—इन दिनों का या पुराना ?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि वह किसी विशेष क़रार की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिस के सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने बतलाया था कि उस विषय में सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की उद्घोषणा करना जनता के हित में नहीं होगा।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस गृह-निर्माण फ़ैक्टरी का मासिक आवर्त्तक व्यय क्या है ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे इस बात में सन्देह है, मैं आपको शुद्ध आंकड़े नहीं बता सकता।

डा० जयसूर्य: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या किसी जर्मन सार्थ ने इस गृह-निर्माण योजना के लिये कोई नियमसूत्र प्रस्तुत किया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं बिना देखे निश्चित रूप से कोई उत्तर नहीं दे सकता।

उत्सर्जन के लिये अतिरेक सामान

*१२०१. **पंडित एम० बी० भार्गव**: क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५० तक उत्सर्जित किये जाने वाले अतिरेक सामान में से उत्सर्जित किये जाने वाले सामान का मूल्य कितना है ; तथा

(ख) उस सामान का भी जो तब से अनुत्सर्जित रहा है, मूल्य कितना है ?

निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) दर्ज किये गये लेखा के अनुसार ३१ दिसम्बर, १९५० से ३० अप्रैल, १९५२ तक कुल लगभग ३४ करोड़ रुपये का फ़ालतू सामान उत्सर्जित किया गया ।

३१ दिसम्बर, १९५० को उत्सर्जित किये जाने वाले फ़ालतू सामान में से ही ये उत्सर्जन नहीं किये गये अपितु ३१ दिसम्बर, १९५० से ३० अप्रैल, १९५२ तक की अवधि में हुई ताजा घोषणाओं में से भी किये गये हैं ।

(ख) ३० अप्रैल, १९५२ को उत्सर्जित किये जाने वाले सामान का पुस्त-मूल्य ३७॥ करोड़ रुपये था ।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस फ़ालतू सामान के उत्सर्जन में सरकार को कितना समय लगेगा, और क्या इस उत्सर्जन विभाग को बन्द करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री बुरागोहिन: श्रीमान्, मैं स्थिति का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । उत्सर्जन नीति के अन्तर्गत भारत सरकार के असैनिक विभागों के लिये यह अनिवार्य होता है कि वे पुस्त-मूल्य में १,००० रुपये से अधिक के फ़ालतू की रिपोर्ट उत्सर्जन-निमित्त उत्सर्जन संस्था को प्रस्तुत करें । रक्षा सेवायें उत्सर्जन संस्था को पुस्त-मूल्य में ५,००० रुपये से अधिक के सामान की रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं । अत: यह, न्यूनाधिक रूप में, एक निरन्तर रूप से चलने वाली क्रियाविधि है । नये उद्घोषित आधिक्य युद्ध-आधिक्यों में ही मिल जाते हैं । यदि मेरे मान्य मित्र युद्ध-आधिक्यों के सम्बन्ध में स्थिति जानना चाहते हैं तो वह यों है कि उन का अधिकांश उत्सर्जित किया जा चुका है । आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष में ही शेष सामान का बहुत बड़ा भाग उत्सर्जित किया जायेगा ।

पंडित एम० बी० भार्गव: क्या मैं यही समझ लूं कि सरकार इस उत्सर्जन-विभाग को सदा के लिये जीवित रखना चाहती है ?

श्री बुरागोहिन: मैं तो पहले ही इस स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुये कह चुका हूं कि यह न्यूनाधिक रूप में एक निरन्तर कार्यविधि है । कुछ सामान आवश्यकताओं के लिये फ़ालतू पड़ जाता है और कुछ अन्य दक़ियानूसी बन जाता है । तो इस प्रकार का सारा सामान इसी उत्सर्जन संस्था को सौंपा जाता है ।

यदि मुझे इसका और आगे स्पष्टीकरण करने को कहा जाय तो मैं यही कहूंगा कि इस संस्था के कर्मचारियों की संख्या समय समय पर कम कर दी गई है । १९४८ में इस संस्था (विभाग) में काम करने वाले लोगों की संख्या ८,००० से अधिक थी । और विगत वर्ष जब इस संस्था को रसद विभाग में विलीन कर दिया गया तो कर्मचारियों की संख्या केवल १,९०० रखी गई । अब इस वर्ष कर्मचारियों की संख्या घट कर लगभग १,१०० पर पहुंच गई है ।

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, क्या यह तथ्य है कि प्राय: उत्सर्जित वस्तुओं को सस्ते दामों पर ठेकेदारों को बेचा जाता है ?

श्री बुरागोहिन: हो सकता है कि इस प्रकार की स्थिति प्रारम्भिक स्थिति में रही हो जब कि शीघ्र उत्सर्जन पर जोर दिया जाता था ।

डा० पी० एस० देशमुख: जब कि बोली देने वालों द्वारा बताये गये मूल्य बहुत ही कम होते हैं तो क्या वे वस्तुयें विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाने का कोई प्रयत्न किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय: वह कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे रहे हैं।

श्री बैलायुधन: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार द्वारा उपयोग में लाये जाने के अभिप्राय से मंगाई गई वस्तुओं को बाद में दोषयुक्त ठहराया गया और यदि ऐसी बात हुई तो उन वस्तुओं का मूल्य कितना है ?

अध्यक्ष महोदय: किस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है ?

श्री बैलायुधन: वह वस्तुयें सरकार के निजी उपयोग के लिये थीं। उन्हें इसी लिये दोषयुक्त ठहराया गया कि उत्सर्जन विभाग.....

अध्यक्ष महोदय: किसी भी स्थिति में यह प्रश्न अस्पष्ट है, अतः इस के पूछे जाने की आज्ञा नहीं दी जा सकती है।

बेकारी

*१२०२. **पंडित एम० बी० भार्गव**: (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत के विभिन्न सेवा योजनालयों से शिक्षित बेकारों के आंकड़े इकट्ठे किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने मैट्रिक्यूलेट, नान-मैट्रिक्यूलेट, अण्डर ग्राइजुयेट, ग्राइजुयेट तथा पोस्ट-ग्राइजुयेट बेकार हैं ?

(ग) सरकार किस प्रकार इस समस्या को हल करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) जी हां।

(ख) मई, १९५२ के अन्त में एक अथवा एक से अधिक डिग्रोधारी १४,८२८ ग्राइजुयेट, १,०१,०३८ मैट्रिक्यूलेट और २,५०,७२९ नान-मैट्रिक्यूलेट सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध हुये थे।

(ग) सरकार यह आशा करती है कि जिस समय सरकार के अनेक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम आरम्भ हो जायेंगे तो एक बड़ी संख्या में ये बेकार भी काम में लगाये जायेंगे।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विगत वर्ष के मुक़ाबले में बेकारों की संख्या बढ़ती अथवा घटती जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि: बढ़ती जा रही है।

डा० पी० एस० देशमुख: ये आंकड़े किस दिनांक अथवा वर्ष से सम्बन्धित हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मई, १९५२ के अन्त से।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पंजीबद्ध हुये व्यक्तियों की संख्या के कितने प्रतिशत व्यक्तियों को काम दिया जा चुका है ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं सदन पटल पर पूरी सूची रखने का प्रयत्न करूंगा।

डा० राम सुभग सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार इन बेकार शिक्षितों में से कुछ एक को सामूहिक विकास परियोजनाओं तथा अन्य विभागीय योजनाओं में नियुक्त करना चाहती है ?

श्री वी० वी० गिरि: निश्चय ही इस मामले पर विचार किया जायेगा, और ऐसे मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिये।

श्री वीरस्वामी: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या देश के विभिन्न भागों में स्थापित सेवा-योजनालयों की सहायता के बिना बेकार व्यक्तियों को नौकरी दिलाना सरकार के लिये असम्भव है ?

श्री वी० वी० गिरि: जहां कहीं भी ऐसा हो सकता हो, वहां अवश्य ही किया जायेगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि उन बेकारों में से महिलाओं की संख्या कितनी है ?

श्री वी० वी० गिरि: पूर्वसूचना दीजिये ।

नीपा काग़ज मिल

*१२०३. **श्री के० जी० देशमुख:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश स्थित "नीपा पेपर मिल्ज़" के निर्माण व्यय में से केन्द्रीय सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रमशः कितना ख़र्चा उठाया गया ?

(ख) इन उपरोक्त मिल का निर्माण-कार्य कितने वर्षों से चल रहा है, और इसकी प्रगति क्या है ?

(ग) इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये क्या कोई अवधि निश्चित की गई है ?

(घ) आज तक इस पर कितना धन व्यय किया जा चुका है, और भविष्य में और कितना धन व्यय किया जायेगा ?

(ङ) क्या इस मिल के निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में लोगों से कुछ शिक़ायतें पहुंची हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) इस योजना को आर्थिक सहायता देने के हेतु केन्द्रीय सरकार ने सन् १९५१-५२ में मध्य प्रदेश सरकार को ६३.२० लाख रुपये का ऋण दिया है । राज्य सरकार ने ६० लाख रुपये के शेयर ख़रीद लिये हैं और २४० लाख रुपये का ऋण भी दिया है ।

(ख) लगभग ४ साल । जिस मशीनरी के लिये आदेश दिया जा चुका है उस के बहुत से पुरजे उस स्थान में पहुंच चुके हैं । पास से गुजरने वाली रेल भी, जिस पर ७ लाख रुपये का ख़र्चा आया है, बनाई जा चुकी है । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभी इस कारख़ाने का एक भाग ही बनाया जा चुका है । कारख़ाने के मुख्य मकान तथा रहने के क्वार्टरों का निर्माण, जो अभी बाक़ी है, हो रहा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) आज तक लगभग २७० लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं । अनुमान किया जाता है कि इस पर और २२९ लाख रुपये का व्यय आयेगा ।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री के० जी० देशमुख: क्या सरकार ने आज तक व्यय की गई धनराशि को दृष्टि में रखते हुये नेपा पेपर मिल्ज़ के निर्माण-कार्य पर कोई कड़ी निगरानी रखी है ?

श्री करमरकर: आप का अभिप्राय भारत सरकार से है ? इस पर नियंत्रण लगाने अथवा कड़ी निगरानी रखने में कोई भी तुक नहीं ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं पूछ रहा था कि क्या उन्होंने निर्माण-कार्य पर कोई निगरानी रखी है ।

श्री करमरकर: हम मध्य प्रदेश सरकार के कार्य के अनुसार ही चल रहे हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अपेक्षित अतिरिक्त पूंजी मुहैय्या करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ? कौन उस पैसे की व्यवस्था कर रहा है ?

श्री करमरकर: ६० लाख रुपये के मूल्य के शेयर ख़रीद कर मध्य प्रदेश सरकार

ने २४० लाख रुपये का ऋण दिया है। केन्द्रीय सरकार ने ६३.२ लाख रुपये का ऋण दिया है जिस में से मध्य प्रदेश सरकार लगभग ५० लाख रुपये ले चुकी है। एक और भी प्रस्थापना है कि हमें और ४६ लाख रुपये का ऋण देना चाहिये। अतः दोनों भारत और मध्य प्रदेश सरकारें मिल कर यह पूंजी इकट्ठी करेंगी। यही हमारा विचार है।

डा० पी० एस० देशमुख: लोगों ने कितना चन्दा दिया है? जनसाधारण को शेयर बेचने से कितनी धनराशि इकट्ठी की जा चुकी है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): १.४ करोड़ रुपये इकट्ठे किये गये हैं।

श्री के० जी० देशमुख: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि आज तक कितने प्रबन्धक संचालकों को सेवामुक्त किया जा चुका है, तथा किन कारणों से?

श्री करमरकर: बहुत पहले नौकरी से अलग किये जाने के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये, किन्तु अब मध्य प्रदेश सरकार ने अपने एक पदाधिकारी को प्रबन्धक-संचालक नियुक्त किया है।

श्री जसानी: क्या यह बात सही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उस ने उस रक़म की मंजूरी नहीं दी जो कि मांगी गई थी और कोई जानकारी भी नहीं कराई गई जब कि इंक्वारी (पूछताछ) के लिये कहा गया था?

श्री करमरकर: मैं इस प्रश्न को समझ नहीं सका। क्या वह अपना प्रश्न दोहरायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: वह कहते हैं कि कोई विशेष रकम, जो मांगी गई थी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने स्वीकृत नहीं की, और वे चाहते थे कि समिति उस पर और पूछताछ करे अथवा उसकी ओर निर्देश करे। क्या उन्हें इस बात की कोई सूचना है?

श्री करमरकर: श्रीमान्, इस प्रश्न के सम्बन्ध में मेरे पास कोई भी सूचना नहीं।

श्री जसानी: क्या कोई उपसमिति नियुक्त की गई थी?

श्री करमरकर: उक्त समिति ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उस रिपोर्ट में परियोजना-परिव्यय का जो लेखा प्रस्तुत किया गया है वह अब स्वीकृत किया गया है; इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं।

श्री जसानी: उस कमेटी की रिपोर्ट की बातों पर क्या क्या अमल हुआ है?

श्री करमरकर: जो काम चल रहा है वही उस का नतीजा है।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या सरकार बतायेगी कि श्रौफ कमेटी की रिपोर्ट क्यों नहीं प्रकाशित की गई?

श्री करमरकर: इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) से मालूम करेंगे।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

*१२०५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रहने वाले कितने विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रमणार्थियों के मकान दिये गये हैं?

(ख) प्रारम्भ में, फिर से बसाये जाने के लिये दिल्ली को कितने विस्थापित व्यक्ति भेजे गये, और उन में से वस्तुतः कितने दिल्ली आये?

(ग) सन् १९५१-५२ में दिल्ली में तथा इसके आस पास कितने अस्थायी

मकान, स्थायी मकान और दुकानें बनाई गई ?

(घ) जून, १९५२ की समाप्ति से पहले इन मकानों में से कितने आवंटन किये जाने के लिये उपलब्ध होंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) १,९०,००० ।

(ख) प्रारम्भ में, दिल्ली में एक लाख विस्थापित व्यक्ति भेजे गये थे । और अब, इस के मुक़ाबले में, १९५१ की जनगणना के अनुसार ५.१० लाख विस्थापित व्यक्ति दिल्ली में रहते हैं ।

(ग) अप्रैल, १९५२ को ८,५६४ साझेदार मकान और पूरे मकान तथा १,९०६ दुकानें बनाये जा चुके थे, और ५,००२ मकानों एवं साझेदार मकानों तथा ४९३ दुकानों का निर्माण हो रहा था ।

(घ) लगभग ५,००० मकान और दुकानें ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: निष्क्रमणार्थियों के उन मकानों की संख्या कितनी है जो अभी किसी को नहीं मिले हैं ?

श्री ए० पी० जैन: ३३ ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या किसी झगड़े के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री ए० पी० जैन: निष्क्रमणार्थियों के कुल ३३ मकान खाली हैं, और अभी उन्हें आवंटित नहीं किया गया है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थीं, जिस में से, प्रारम्भ में दिल्ली में बसाये जाने के लिये कई एक को भेजा गया था ?

श्री ए० पी० जैन: लगभग ४९ लाख व्यक्ति ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या बाद में इस संख्या का पुनरीक्षण हुआ था ?

श्री ए० पी० जैन: यह तो एक दुखद कहानी है क्योंकि प्रारम्भ में एक लाख विस्थापित व्यक्ति दिल्ली आने वाले थे और १४ सितम्बर, १९४८ को २ १/२ लाख विस्थापित व्यक्तियों के बसाये जाने की प्रस्थापना प्रस्तुत की गई । इसके पश्चात् यह संख्या ३ लाख तक पहुंची—और यह संख्या अस्थायी थी । और ३० जुलाई, १९४९ को यही संख्या ३ से ३ १/२ लाख तक पहुंच गई । वास्तविकता यह है कि जब जनगणना की गई तो इन व्यक्तियों की संख्या ५.१० लाख निकल आई ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: इन बांटों के होने के बाद, उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी बची रहती है जिन्हें अभी भी जगह, आदि दिया जाना शेष है, और कब तक उन्हें बसाया जायेगा ?

श्री ए० पी० जैन: उन की जनगणना हो रही है, और जभी वह काम समाप्त होगा मैं अग्रेतर आंकड़े दे सकूंगा—मैं आशा करता हूं कि इस मास के अन्त तक इसके आंकड़े मिल जायेंगे ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: क्या मैं उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं जिन्हें अभी बसाया नहीं गया है ?

श्री ए० पी० जैन: मैं तो अभी अभी इस बात का उत्तर दे चुका हूं ।

अध्यक्ष महोदय: वह कहते हैं कि जनगणना हो रही है, और उस बात का तभी पता चल सकता है जब जनगणना पूरी हो जाय ।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह जनगणना, जिसकी ओर माननीय मंत्री निर्देश

कर चुके हैं, वही जनगणना है जो नगर-पालिका समिति, दिल्ली द्वारा की जा रही है अथवा स्वयं सरकार द्वारा की जाने वाली इस से कोई भिन्न जनगणना है ?

श्री ए० पी० जैन: सत्य तो यह है कि केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा सरकारी तौर पर एक जनगणना की गई थी। इस के पश्चात् दिल्ली राज्य सरकार द्वारा एक व्यौरेवार जनगणना की जा रही है।

सरदार हुक्म सिंह: आज प्रातः के समाचार पत्रों में बतलाया गया था कि दिल्ली राज्य सरकार द्वारा यह काम पूरा किया जा चुका है। यदि यह काम पूरा हो चुका है तो क्या सरकार के पास इस बात की कोई सूचना है कि उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन को अभी भी बसाया नहीं गया है ?

श्री ए० पी० जैन: माननीय मंत्री ने यदि समाचारपत्रों में इस रिपोर्ट को पढ़ा है तो वहां उन्होंने साथ में यह भी पढ़ा होगा कि पुरानी दिल्ली में १८,००० इकाइयां अभी बसायी जाने वाली हैं।

श्री केलप्पन: क्या सरकार के पास इस बात की कुछ शिकायतें पहुंची हैं कि इन अस्थायी मकानों के लिये निर्धारित किये गये किराये बहुत अधिक हैं ?

श्री ए० पी० जैन: मैं समझता हूं कि बाजारी किरायों के मुकाबले में सरकारी किराये बहुत ही सस्ते हैं।

संसद् सदस्यों के लिये बनाये गये फ्लैटों (मकानों) का किराया

*१२०६. **श्री के० सी० सोधिया:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) विभिन्न श्रेणियों के मकानों में रहने वाले संसद् सदस्यों से लिये जाने वाले किराये की दरों में अन्तर होने का कारण क्या है;

(ख) क्या बंगलों में रखा गया फर्नीचर तथा वहां के कमरे फ्लैटों से कुछ बढ़िया हैं;

(ग) एक ही प्रकार के स्थानों में रहने वाले सदस्यों को 'ड्यूटी पर' तथा 'ड्यूटी से अनुपस्थित' रहते हुये भिन्न भिन्न किराया क्यों देना पड़ता है;

(घ) प्रत्येक संसद्-सदस्यों को दिये गये बंगले तथा फ्लैट के निर्माण पर क्या लागत आई है; तथा

(ङ) क्यों बंगले ही वार्षिक किराये पर मिलते हैं, और फ्लैट नहीं मिलते हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) पूंजी परिव्यय के अनुसार ही मकानों का किराया निर्धारित किया जाता है, और यही कारण है कि विविध श्रेणियों के मकानों में रहने वाले संसद्-सदस्यों से विविध किराये लिये जाते हैं। यों तो अब सरकार ने यह निश्चय किया है कि बंगलों और फ्लैटों के किरायों का संचय होगा और उन में उपलब्ध स्थान के अनुसार नये सिरे से किराया निर्धारित किया जायेगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) यह अन्तर इसीलिये है क्योंकि सत्र की अवधि में कार्य करते समय सदस्यों से एफ० आर० ४५-क के अन्तर्गत किराया लिया जाता है और सत्र की अवधि में ड्यूटी से अनुपस्थित रहते समय एफ० आर० ४५-ख के अन्तर्गत किराया वसूल होता है। सरकार ने अब यह निश्चय किया है कि ड्यूटी पर तथा ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधियों में कुछ अन्तर रखा जाय, और एफ० आर० ४५-क के अन्तर्गत वर्ष भर एक प्रमाप का निश्चित किराया लिया जाय।

(घ) एक विवरण जिस में माननीय सदस्य द्वारा बंगलों के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न की सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११**]

फ्लैटों के सम्बन्ध में पूछी गई सूचना के लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान सदन पटल पर रखे गये उस विवरण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो ३० मई, १९५२ को सरदार लाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ के भाग (ग) के उत्तर में दिया जा चुका है।

(ङ) क्योंकि वार्षिक किराये पर बंगले दिये जाने के निश्चय के बहुत समय बाद फ्लैटों का निर्माण किया गया। अतः मेरे द्वारा इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित निश्चय के अनुसार वार्षिक किराये पर बंगले अथवा फ्लैट दिये जाने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि अभी हाल में हुई एक बहस में माननीय मंत्री ने इस मामले का स्पष्टीकरण किया था। इस के सम्बन्ध में अब कुछ और कहे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

श्री एम० एल० द्विवेदी: श्रीमान्, मुझे एक प्रश्न पूछने की आज्ञा दीजिये।

डा० राम सुभग सिंह: श्रीमान् एक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय: बहुत से सदस्य एक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। मेरा विचार है कि अगला प्रश्न लिया जाना चाहिये।

श्री एम० एल० द्विवेदी: श्रीमान्, क्या मैं ज़ाहिर कर सकता हूं.....

अध्यक्ष महोदय: मैं इस तरह का भेद नहीं कर सकता कि श्री द्विवेदी को प्रश्न पूछने की आज्ञा दूं और औरों को नहीं दूं। अगला प्रश्न।

उत्तर प्रदेश के लिये खरघोधा नमक

*१२०७. **श्री आर० एन० सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आगे के सारे पूर्वी ज़िलों में इस बात पर भीषण असंतोष है कि वहां खरघोधा नामक के प्रवेश पर क्यों पाबन्दी लगाई गई है और लोगों को अधिक मूल्य वाला समुद्री नमक खाने पर क्यों मजबूर किया जाता है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश तथा बम्बई के कई एक पत्रों ने सरकार की ऐसी हरकत की घोर निन्दा की है; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि उन पूर्वी ज़िलों को दिये जाने वाले समुद्री नमक की अपेक्षा खरघोधा नमक सस्ता होता है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) जी हां, उत्तर प्रदेश से कई एक पूर्वी ज़िलों में, जिन्हें पहले खरघोधा और कलकत्ता से नमक मुहय्या किया जाता था, असन्तोष है, क्योंकि अब इन ज़िलों को कलकत्ता से ही नमक दिया जाता है। यों तो इस बात का कोई भी उपाय नहीं है क्योंकि कम वर्षा होने के कारण सांभर नमक का उत्पादन घट गया है, और अब उन क्षेत्रों को भी जिन्हें सांभर से नमक मिला करता था खरघोधा से नमक भेजना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप खरघोधा से नमक पाने वाले क्षेत्रों को भी कलकत्ता से आने वाले समुद्री नमक से ही काम चलाना पड़ता है।

(ख) जी हां, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार तो पहले ही दिनांक २९ अप्रैल, १९५२ के अपने प्रेस नोट संख्या १७८ में इस बात की शुद्ध स्थिति समझा चुकी है, और उस नोट की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ग) जी हां, खरघोधा नमक का दाम समुद्री नमक के दाम से कुछ कम है, और इन दोनों के खुदरे दामों में लगभग ९ पाई प्रति सेर का औसत अन्तर है।

श्री आर० एन० सिंह: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कौन सा नमक जापान को निर्यात किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी: खेद है कि मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न की पूर्व-सूचना देंगे तो मैं इस का उत्तर दूंगा।

श्री आर० एन० सिंह: क्या सरकार को विदित है कि अच्छा और सस्ता होने के कारण उत्तर प्रदेश के लोग इसी नमक को पसन्द करते हैं, किन्तु उन्हें अपनी आवश्यकताओं का आधा भाग भी नहीं दिया गया जब कि जापान को इस नमक की एक बड़ी मात्रा निर्यात की गई ?

श्री के० सी० रेड्डी: मैं पहले ही बतला चुका हूं कि जापान को निर्यात किये गये नमक के सम्बन्ध में सूचना देने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये। इस प्रश्न के अन्य पहलू पर मैं अपने उत्तर में ही सूचना दे चुका हूं।

नमक शुल्क

*१२०८. **श्री आर० एन० सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में समुद्री नमक पर प्रति मन दो आने का उपकर लगाया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): इसमें कोई सत्य नहीं।

उत्तर प्रदेश के लिये समुद्री नमक

*१२०९. **श्री आर० एन० सिंह**: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने समय से तथा किन के आदेशानुसार कलकत्ता के मेसर्ज़ जमनादास श्रीनिवास लिमिटेड सार्थ को उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों को समुद्री नमक भेजने का एकमात्र एजेण्ट नियुक्त किया गया है, और किस प्रकार यह नियुक्ति की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): जनवरी, १९५१ से। उत्तर प्रदेश सरकार ने नमक कमिश्नर के साथ परामर्श करके, टेंडर मांगने के बाद ही इस सार्थ को नियुक्त किया था।

मद्रास में सामूहिक परियोजना

*१२१०. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) मद्रास राज्य में सामूहिक विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक केन्द्र में केन्द्रों तथा गांवों की संख्या कितनी है; और

(ख) सन् १९५०-५१ में कितनी धन-राशि स्वीकृत हुई थी तथा व्यय की गई थी ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) मद्रास राज्य के हिस्से में छः परियोजनायें आई हैं, और उनके नाम इस प्रकार हैं:—

	गांव
(१) कुरनूल कडुप्पा	१७९
(२) कोयम्बटूर	१८८
(३) मालबार	१२३
(४) पूर्वी गोदावरी	२४२
(५) दक्षिणी कन्नड़ा	४४२
(६) मदुराई	२७९

(ग) कुछ भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ? मेरे विचार से यही अधिक अच्छा रहेगा कि हम अगले प्रश्न पर विचार करें ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: भाग (ख) का उत्तर मुझे मालूम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय: इस का उत्तर 'नहीं' है ।

श्री वैलायुधन: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस एक परियोजना में सरसरी तौर पर कितने गांव आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से उन्होंने अपने आंकड़ों में इस बात का उल्लेख किया है ।

श्री वैलायुधन: मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक परियोजना में कितने गांव समा जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि वह पहले ही इस बात का उत्तर दे चुके हैं ।

श्री नन्दा: जी हां ।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ध्यान देने का प्रयत्न करें ।

श्री वैलायुधन: एक परियोजना से कितनी जनसंख्या को लाभ होगा ?

अध्यक्ष महोदय: वह तो एक भिन्न बात है ।

श्री नन्दा: मैं जनसंख्या के आंकड़े भी बता सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

विदेशी नियोगों को भूमि का विक्रय

*१२११. **श्री बी० एस० मूर्त्ति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशी राजदूतावासों को इमारतें अथवा भूमि बेचे जाने की शर्तें, यदि कुछ हों तो, क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): भारत सरकार ने इस के लिये कोई विशेष शर्तें नहीं रखी हैं; भूस्वामियों तथा ग्राहकों के बीच क़रार पाई शर्तों आदि पर ही राजनयिक नियोगों को भूमि अथवा इमारतें बेची जा सकती हैं ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने राजदूतावासों ने भारत में ज़मीनें प्राप्त कर ली हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: नई दिल्ली में विदेशी चार तथा राष्ट्रसंघ के दो—अर्थात् कुल छः देशों ने भूमि तथा इमारतें प्राप्त कर ली हैं । एक और देश ने केवल भूमि प्राप्त कर ली है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: उस अन्तिम देश का नाम क्या है ?

श्री सतीश चन्द्र: इण्डोनेशिया ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में राजदूतावासों ने ज़मीनें तथा इमारतें प्राप्त कर ली हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: कई ऐसी इमारतें हैं जो मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में विदेशों द्वारा प्राप्त की जा चुकी हैं । बम्बई में ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका तथा अफगानिस्तान ने इमारतें प्राप्त कर ली हैं, और कलकत्ता और मद्रास में केवल संयुक्त राज्य अमरीका ने इमारतें प्राप्त कर ली हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या यह तथ्य है कि एरनाकुलम में ज़मीनें तथा इमारतें प्राप्त करने के लिये विदेशी राजदूतावासों में होड़ लग रही है ?

श्री सतीश चन्द्र: मुझे विदित नहीं ।

श्री दामोदर मैनन: माननीय मंत्री ने बतलाया कि विक्रेताओं तथा ग्राहकों के बीच क़रार पाई हुई शर्तों पर ही ये लेनदेन

हुये थे। क्या मैं यही समझ लूंगा कि सरकार इन लेनदेनों पर अपना कोई भी नियंत्रण नहीं रखती ?

श्री सतीश चन्द्र : नियंत्रण का कोई भी प्रश्न नहीं। प्रत्येक लेनदेन निजी पार्टियों और सम्बद्ध सरकारों के बीच होती है। इसी प्रकार जब हम विदेशों में सम्पत्ति अथवा भूमि प्राप्त कर लेते हैं तो निजी पार्टियों से ही सौदा करते हैं और वहां की सरकारें इस प्रकार के लेनदेनों में हस्तक्षेप नहीं करतीं।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का पुनः संगठन

*१२१२. **श्री केलप्पन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या आंक समिति की पांचवीं रिपोर्ट (१९५१-५२) के पैरा २० में बताई गई समालोचना के प्रकाश में सरकार केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के मंत्री कर्मचारी वर्ग का पुनः संगठन करना चाहती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : उक्त सिपारिश भारत सरकार की परीक्षा के अधीन है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कब निश्चय किये जाने की सम्भावना है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यही तो सभी का सधारण प्रश्न है।

श्री ए० सी० गुहा : कुछ समय पहले यही उत्तर दिया गया था। कुछ महीने पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

दामोदर घाटी निगम में मितव्ययता

*१२१३. **श्री केलप्पन :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंक समिति की पांचवीं रिपोर्ट के पैरा २७ और २८ में दी गई सिफारिशों के अनुसार पुनर्वास तथा दामोदर घाटी निगम के विकास विभागों में कोई मितव्ययिता की गई है ; तथा

(ख) क्या सरकार पुनर्वास तथा विकास विभाग द्वारा किये गये काम में पूछ-ताछ करने के लिये तथा सुधार सुझाने के लिये एक समिति नियुक्त करने की कृपा करेगी ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). १२ जून, १९५२ को माननीय श्री बी० आर० भगत द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७४३ के उत्तर में मैं बतला चुका हूं कि यह मामाला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

श्री वैलायुधन : कितने समय में इस पर विचार होगा ?

अध्यक्ष महोदय : हमें एक ही प्रकार का प्रश्न प्रायः नहीं पूछना चाहिये। अगला प्रश्न।

उत्तर प्रदेश में सामूहिक परियोजनायें

*१२१४. **श्री गणपति राम :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेषतया बनारस तथा गोरखपुर विभागों में, सामूहिक परियोजनाओं के नाम क्या हैं ; तथा वह किन स्थानों पर हैं ; तथा

(ख) उन पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) उत्तर प्रदेश को छः परियोजनायें मिली हैं, और उन के नाम इस प्रकार हैं :

(१) महाराज गंज-सदर तहसीलें—गोरखपुर ज़िला।

(२) घोसी-मुहम्मदाबाद-गोहाना तहसीलें—आज़मगढ़ ज़िला।

(३) बीकापुर तहसील—फैज़ाबाद ज़िला।

(४) मैनपुरी तहसील—मैनपुरी ज़िला।

(५) गरौथा-मऊरानीपुर तहसीलें—झांसी ज़िला।

(६) अलमोड़ा तहसील—अलमोड़ा ज़िला।

(ख) कुछ भी नहीं।

श्री गणपति राम: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में प्राय: वर्षा का अभाव रहता है, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार अधिक धनराशियां दे कर इन परियोजनाओं को लागू करने में प्राथमिकता बरतेगी ?

श्री नन्दा: इन में से प्रत्येक परियोजना पर विशेष धनराशि लगाये जाने का निश्चय किया जा चुका है। इन विविध परियोजनाओं के सम्बन्ध में अब बहुत तबदीलियां नहीं होंगी।

श्री गणपति राम: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि १९५२-५३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की जायेगी तथा राज्य सरकार उस में कितना अंशदान देगी ?

श्री नन्दा: उसके सम्बन्ध में मैं पहले ही ब्यौरेवार सूचना दे चुका हूं।

श्री गणपति राम: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि विकास, अनाज तथा मशीन-निर्मित वस्तुओं के उत्पादन और शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्राक्कलन बनाये जाते हैं, और कहां तक इन से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है ?

श्री नन्दा: सामूहिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में परिमाप हो रहा है, और संक्षेप में, इसी परिमाप के परिणाम पर इस सारे का परिणाम निर्भर होगा।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

खाद्य तथा कृषि मंत्री का पश्चिमी बंगाल के विपत्ति-ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा

श्री बी० के० दास : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ जून, १९५२ को उत्तर दिये गये अल्प सूचना प्रश्न की ओर निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल में पश्चिमी बंगाल के दौरे में उन्होंने किन अभाव के क्षेत्रों को देखा ;

(ख) इन क्षेत्रों में तथा उन अन्य क्षेत्रों में जिन के सम्बन्ध में उन्हें भारी विपदाग्रस्त होने की सूचना दी गई है, कितनी विपत्तियां पड़ी हैं ;

(ग) इन क्षेत्रों में इस संकट के मुख्य कारण क्या हैं ;

(घ) साधारण लोगों द्वारा खरीदे जाने के योग्य स्तर तक मूल्यों को घटाने के लिये क्या कार्यवाही की जाने वाली है अथवा की जा चुकी है ;

(ङ) कितने व्यक्तियों को जांच के बाद तथा बिना देखे ही सहायता दी गई है ;

(च) इस समय राज्य सरकार के पास चावल और गेहूं का कितना स्टाक मौजूद है ; और

(छ) अनुविहित राशनिंग से बाहर के क्षेत्रों में संकट की स्थिति का मुकाबला करने के लिये चावल और गेहूं की कितनी अनुमानित मात्राओं की आवश्यकता पड़ेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) नादिया ज़िला में स्थित चकदाह और सुन्दरबन क्षेत्र में हतगाची, बर्मेजुर और हसनाबाद।

(ख) इन सभी स्थानों में, विशेषतया २४-परगने के ३ थानों में अर्थात् (१) हसनाबाद, (२) संदेशखाली तथा (३) हड्डुआ के एक भाग में बहुत अधिक संकट है। इस क्षेत्र में लगभग ४·१ लाख जनसंख्या पर इसका प्रभाव पड़ता है ।

(ग) (१) सितम्बर, १९५० की बाढ़ों के परिणामस्वरूप बांध टूट जाने के कारण फसलों को काफी हानि हुई, (२) १९५१ में अनियमित वर्षापात से फ़सलें नहीं उगीं, (३) चावल का मूल्य अधिक था, और (४) लोगों के पास अनाज खरीदने के लिये पैसा नहीं था—तो इन कारणों से ही इन क्षेत्रों में बहुत अधिक संकट रहा है ।

(घ) २४-परगने ज़िले में दाम बढ़ जाने का एक कारण यह है कि कलकत्ता में स्थानीय चावल चोरी से पहुंचाया जाता है। कलकत्ता में कुछ विशेष दुकानों के सिल-सिला चलाने के द्वारा वितरण करने के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त चावल दिये जा रहे हैं और इसके साथ ही कलकत्ता में चोरी से चावल पहुंचाने पर निगरानी और भी कड़ी की जायेगी । ऐसी निगरानी से वहां का स्थानीय चावल उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा, और चावलों के दाम, परि-णामस्वरूप, कम हो जायेंगे । सरकार संकट-ग्रस्त क्षेत्रों में १५ रुपये प्रति मन, घटे दामों में १०,००० टन चावल और १०,००० टन गेहूं भी दे रही है ।

(ङ) जांच कार्यों में प्रति दिन लगभग ८,५०० लोगों को काम दिया जाता है और ५,००० से अधिक परिवारों को सहायता दी गई है ।

इस के अतिरिक्त गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा ५,००० मन गेहूं तथा ५,००० मन चावल दान में दिये जा रहे हैं।

(च) १५ जून, १९५२ को पश्चिमी बंगाल सरकार के पास निम्नांकित स्टाक (स्कन्ध) थे:—

	टन
चावल	९२,४००
गेहूं	१५६,६००
	२४९,०००

(छ) परिवर्तित राशनिंग प्रणाली के अन्तर्गत इन दिनों प्रति सप्ताह लगभग २,२०० टन चावल तथा २,२०० टन गेहूं वितरित किये जाते हैं । इस हिसाब से जून से दिसम्बर तक के लिये साधारणतया ६६,००० टन चावल तथा ६६,००० टन गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी । किन्तु आने वाले महीनों में परिवर्तित राशनिंग में आने वाली जनसंख्या में वृद्धि होगी । परिवर्तित राशनिंग के अन्तर्गत विगत वर्ष में जून से दिसम्बर तक, वस्तुतः ५४,००० टन चावल तथा १०६,००० टन गेहूं, अर्थात् कुल १६०,००० टन अनाज वितरित किया गया था । हो सकता है कि इस वर्ष लगभग ७५,००० टन चावल और ७०,००० टन गेहूं वितरित किया जाय । पश्चिमी बंगाल सरकार का अनुमान है कि इस अवधि में परिवर्तित राशनिंग के अन्तर्गत उन्हें ९५,००० टन चावल और ८९,००० टन गेहूं वितरित करना पड़ेगा ।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता कि आज तक की गई कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ा है और चावल के दाम में कितनी कमी हो गई है ?

श्री किदवई: जिन दिनों मैं २४-परगने तथा नादिया में था, उन दिनों लगभग ४५ रुपये प्रति मन का भाव था । कल की रिपोर्ट में यह बात आई थी कि अब ३० रुपये २ आने प्रति मन का घटा भाव है ।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या २४-परगने से बाहर के किन्हीं अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

श्री किदवई: जहां कहीं भी संकट आ पड़ा था, यही कार्यवाही की गई, अन्यथा चावल के दाम बढ़ कर ४५ रुपये प्रति मन तक पहुंच जाते ।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि सीमान्त जिलों से कलकत्ता तक चावल पहुंचाने एवं समाहार करने का दबाव इस संकट का एक कारण है जिससे चावल की बड़ी मात्रायें कलकत्ता में पहुंचाई जाती हैं तथा जिसके परिणाम-स्वरूप उन सीमान्त जिलों में दाम बढ़ गये हैं ?

श्री किदवई: समाहार किया गया चावल कलकत्ता में चोरी से नहीं पहुंचाया जाता है न उसे ऊंचे दामों पर बेचा जाता है ।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि चोरी से चावल लाने ले जाने का काम बन्द कराने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है, और क्या यह तथ्य है कि सरकार उस दबाव को कम करने के लिये कलकत्ता के राशनिंग वाले क्षेत्र का काम संभाल रही है ?

श्री किदवई: कलकत्ता के उद्योग-प्रधान क्षेत्र की राशनिंग के लिये जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता रहती है, सरकार ने उस को मुहैय्या करने का काम संभाला हुआ है ताकि भिन्न भिन्न जिलों में समाहार किया गया चावल उन ही क्षेत्रों में सुरक्षित रखा जा सके और संकट काल में बेचा जा सके ।

श्री बी० के० दास: मैं ज्ञात कर सकता हूं कि अब तक वस्तुतः पश्चिमी बंगाल प्रान्त को कितना अनाज भेजा जा चुका है ?

श्री किदवई: मैं तो वास्तव में यह कह नहीं सकता कि 'कितना' भेजा जा चुका है, किन्तु इतना जानता हूं कि अभी और तीन महीनों तक कलकत्ता की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये उन के पास पर्याप्त स्टाक मौजूद है और मेरा विचार है कि ३५,००० टन से अधिक अनाज उन को बांट में मिल चुका है । इस बांट में से कुछ तो पहले ही वहां पहुंच चुका है, और चावल भरे अन्य जहाज़ भी अगले महीने में कलकत्ता पहुंच जायेंगे ।

श्री बी० के० दास: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार चावल की उस सारी मात्रा को देने का उत्तरदायित्व लेने को तैयार है, जिस प्रकार प्रश्न के भाग (छ) के उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा बतलाया गया है ?

श्री किदवई: जी हां ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि सरकार के पास बहुत बड़े स्टाक मौजूद हैं, क्या सरकार कलकत्ता में उचित मूल्य की दूकानें खोलने के स्थान पर राशन की मात्रा बढ़ाना चाहती है ?

श्री किदवई: मुझे इस में सन्देह लग रहा है क्योंकि बंगाल सरकार द्वारा निर्धारित राशन की मात्रा में कोई भी वृद्धि नहीं की जा सकती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: क्या हम यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि माननीय मंत्री द्वारा देखे गये इन तीन क्षेत्रों में कितने प्रति शत लोग अनाज नहीं खरीद सकते हैं ?

श्री किदवई: मैं तो कह नहीं सकता कि कितने प्रति शत लोग खरीद नहीं सकते किन्तु बहुत से लोग जो कृषि सम्बन्धी श्रमिकों अथवा छोटे छोटे कृषकों के रूप में काम कर रहे हैं, इस से प्रभावित होते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि मौनसून के कारण सहायता देना सम्भव नहीं है, उन लोगों पर क्या बीतेगी जो इस कारण से अनाज़ ख़रीद नहीं सकते चूंकि उन को दी गई धनराशि ख़रीद करने के पर्याप्त नहीं है ?

श्री किदवई : वह धनराशि कितनी है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : आपने ही कहा था कि १०,००० है ।

श्री किदवई : वह तो सब से पहले की बात है । जब तक इस की आवश्यकता रहेगी तब तक यह सहायता दी जायेगी । जितनी भी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, मुहैय्या की जायेगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : एक और प्रश्न । जांच करने तथा सहायता देने के लिये जो भी धनराशि दी जाती है, क्या सरकार द्वारा उस के सम्बन्ध में ऐसी कोई नीति बनाई गई है कि किस प्रकार उस सहायता का वितरण किया जाय ?

श्री किदवई : बंगाल सरकार ने यह निश्चय किया है कि किसी ग़ैर-सरकारी संस्था द्वारा इस सहायता का वितरण किया जाना चाहिये । मैं इस का पूरा विस्तार नहीं जानता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : क्या इस का यही अभिप्राय है कि कांग्रेस पार्टी ही, साधारणतया, उसका वितरण करेगी ?

वित्त राज्य-मंत्री (श्री त्यागी) : यदि वह ही एकमात्र ग़ैर-सरकारी संस्था है, तो उसी द्वारा वितरण होगा ।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बतलाया है कि मैं २४-परगने में तीन पुलिस स्टेशनों और नादिया के एक पुलिस स्टेशन को देख चुका हूं । क्या उन के पास २४-परगने के अन्य पुलिस स्टेशनों, अर्थात् बंगाव उप-विभाग, आदि तथा नादिया के अन्य क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई सूचना है ?

श्री किदवई : सच यह है कि संकट उन ही स्थानों पर नहीं आ पड़ा, जिन का मैं ने दौरा किया । अन्यथा, मैं कभी भी उनका दौरा नहीं करता ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या हम यही समझें कि केवल इन चार थानों में सहायता तथा जांच की जायेगी, और अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रों, अर्थात् बंगाव उप-विभाग और हरिन-घाटा पुलिस स्टेशन को कोई भी सहायता नहीं दी जायेगी ?

श्री किदवई : यह अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है । मैं ने कुछ एक जांच-सहायता क्षेत्रों का उल्लेख किया है, सभी का नहीं ।

डा० एम० एम० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जा चुका है कि निहित हित वाली कुछ एक राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस बात का ज़ोरदार प्रचार किया जाता है कि गेहूं के खाने से बंगालियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और इसीलिये अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिय ?

श्री किदवई : निस्सन्देह, निहित हित वाली पार्टियां कुछ भी कहें, किन्तु मुझे यह कहा गया है कि खाद्य में परिवर्तन करन से बंगालियों को स्वास्थ्य लाभ होता है ।

पंडित एल० के० मैत्रा : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया है कि सहायता के अन्तरिम साधन के रूप में लोगों को वितरण के लिये ५,००० टन गेहूं और चावल तथा १५ रुपये प्रति मन के हिसाब से १०,००० टन बिकाऊ गेहूं और चावल स्वीकृत किये हैं । श्रीमान्, क्या मैं यही समझूं कि उन्होंनें कुल इतना

ही अनाज देना स्वीकार किया है, अथवा समय समय पर आवश्यकता बढ़ने के अनुसार वह इस सहायता में भी वृद्धि करेंगे ?

श्री किदवई: मैं तो पहले ही बतला चुका हूं कि प्रारम्भ में इतनी ही मात्रा दी गई, किन्तु जब तक सहायता की आवश्यकता रहेगी, तब तक यह सहायता भी जारी रहेगी।

श्री बी० के० दास: श्रीमान्, मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ज़िलों में निर्बाध रूप से वितरणार्थ अनाज़ पहुंचाने के सम्बन्ध में विचार कर रही है ?

श्री किदवई: मैं पहले ही एक प्रैस वक्तव्य में बतला चुका हूं कि इस औसत फसल के पश्चात् सरकार अपने समाहार की प्रणाली बदलेगी, और उस नई प्रणाली के प्रारम्भ किये जाने के बाद कलकत्ता से बाहर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में अनाज बेरोक-टोक पहुंचाया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मलाया में हवालात में एक भारतीय की मृत्यु

*११८३. **श्री वैलायुधन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मलाया पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये एक भारतीय की अभी हाल में ही मृत्यु हुई; और

(ख) मलाया स्थित भारतीय प्रतिनिधि (राजदूत) ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). माननीय सदस्य, अनुमानतः मलाया स्थित क्लांग के पुलिस हवालात में २६ मार्च, १९५२ को हुई कालिमुठू नाम के एक भारतीय की मृत्यु की ओर, जिस के सम्बन्ध में इस प्रकार बताया जाता है कि वह व्यक्ति पुलिस की मार से मर गया, निर्देश कर रहे हैं। मलाया स्थित भारत सरकार के एजेण्ट को ज्यों ही इस दुर्घटना का पता चला था, उन्होंने वहां के स्थानीय पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की थी, और उन्होंने हमारे एजेण्ट से यह वादा किया है कि वह इस मामले की पूरी पूरी जांच कर लेंगे । चुनांचि, इस घटना के बाद वहां के एक विशेष सिपाही को इसी दोष में गिरफ्तार किया गया है कि उस की मार से ही कालिमुठू की मृत्यु हुई है ।

ग्रेट ब्रिटेन से बुलाया गया छपाई-विशारद

*११८४. **श्री वैलायुधन :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने ग्रेट ब्रिटेन से किसी छपाई-विशारद को बुलाया था ; तथा

(ख) यदि हां, तो छपाई के सम्बन्ध में उस व्यक्ति का क्या अनुभव है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) वह ब्रिटिश सरकार के समय के लेखन सामग्री कार्यालय में सन् १९३५ में प्रविष्ट हुये थे और सन् १९३९ तक वह विभागीय छपाई को क्रमबद्ध करने का कार्य कर रहे थे। सन् १९३९ से १९४२ तक आप हर मैजेस्टी (महामहिम्नी सम्राज्ञी) के लेखन सामग्री कार्यालय, प्रेस हैरो में सुरक्षा नियंत्रण पदाधिकारी के रूप में थे। सन् १९४२ से १९४६ तक आप रायल एयर फोर्स (शाही वायु सेना) में थे । १९४६ में आप की पदोन्नति हुई और आप को लेखन सामग्री प्रधान कार्यालय के मूल्यांकनकारी विभाग में भेजा गया । १९४९ में आपको हर मैजेस्टीज़ लेखनसामग्री कार्यालय, प्रेस,

युद्ध कार्यालय का निर्माण-व्यवस्थापक नियुक्त किया गया, और आप यह काम २ १/२ वर्ष तक संभालते रहे। भारत आने से पूर्व तक आप ब्रिटिश सरकार के संसदीय तथा ग़ैर संसदीय प्रकाशनों के छपाई तथा जिल्दबन्दी विभाग के अधीक्षण का कार्य संभाल रहे थे ।

मकानों का निर्माण

*१२०४. **सेठ गोविन्द दास :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ वर्ष में मकानों के बनाने के लिये आयव्ययक में कितनी राशि का उपबंध किया गया है और इन में से कितने क्लर्कों, चपरासियों और राजपत्रित पदाधिकारियों के लिये हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १३**]

बनावटी रंग

*१२१५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१-५२ में आयात किये गये बनावटी रंगों के आंकड़े क्या हैं, तथा किन देशों से उन रंगों का आयात हुआ है; तथा

(ख) क्या भारत में भी रंग बनाने के कुछ एक कारख़ाने हैं, और यदि हां, तो उनके नाम, और स्थान बता दीजिये, और यह भी कि यहां रंग की कितनी मात्रा का निर्माण होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिस में इस से सम्बन्धित आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १४**]

(ख) जी हां, श्रीमान् । एक विवरण, जिस में इस के आंकड़े दिये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १५**]

कपड़ा (निर्यात और आयात)

*१२१६. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ में भारत से कुल कितने विदेशी कपड़े का आयात हुआ ; तथा

(ख) सन् १९४९-५०, १९५०-५१, १९५१-५२ में भारत से कुल कितने कपड़े का निर्यात हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें इस के आंकड़े दिये गये हैं सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १६**]

मोटर गाड़ियां जोड़ने वाली कम्पनियां

*१२१७. **श्री दातार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आठ ब्रिटिश और अमरीकी कम्पनियों को सरकार द्वारा भारत में मोटर गाड़ियों के जोड़ने का काम करने की आज्ञा मिली है ;

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्थापनात्मक हो तो क्या वे उन हो पुरज़ों से मोटर गाड़ियां जोड़ते हैं जो विदेशों में बने हुये हैं ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि इन कम्पनियों ने सन् १९५१-५२ में २८० लाख रुपये से अधिक मूल्य की विदेशी वस्तुओं का आयात किया था ; और

(घ) किन शर्तों पर इन कम्पनियों को भारत में काम धन्धा चलाने की आज्ञा मिली है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। केवल दो कम्पनियों को इस प्रकार की आज्ञा मिली है ।

(ख) इस बात का अनुमान है कि इन दो कम्पनियों द्वारा जोड़ी जाने वाली मोटर गाड़ियों के पुरज़े प्रायः भारत में नहीं बनाये जाते ।

(ग) सन् १९५१ में इन दो कम्पनियों ने आयात किये गये मोटर के पुरज़ों के विनिमय में ५९८.५ लाख रुपये विदेशों को भेजे ।

(घ) कोई भी शर्तें नहीं हैं ।

साइकिल बनाने वाली कम्पनियां

***१२१८. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में साइकिल का निर्माण करने वाली कम्पनियों की संख्या कितनी है ; तथा

(ख) सरकार ने प्रत्येक कम्पनी को कितनी आर्थिक सहायता दी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) पांच, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय राजदूतों द्वारा प्रयुक्त भाषा

***१२१९. श्री बलवन्त सिन्हा महता :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में हमारे राजदूत प्रायः किस भाषा का प्रयोग करते हैं ;

(ख) प्रत्ययपत्र किस भाषा में प्रस्तुत किये जाते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) विदेश जाने वाले राजदूतों से इस बात की आशा की जाती है कि वे वह भाषा जानते हों, जो उस देश में बोली जाती है जहां वह भेजे गये हों, किन्तु इस समय, हर राजदूत के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है । इस के साथ ही प्रायः अंग्रेज़ी अथवा कभी कभी फ़्रांसीसी भाषा का प्रयोग होता है । राज्य का महत्वपूर्ण व्यवहार प्रायः अंग्रेज़ी भाषा में ही किया गया है, यद्यपि कुछ एक सरकारी पत्रों में कभी कभी हिन्दी को भी प्रयोग में लाया गया है ।

(ख) आज तक अंग्रेज़ी में ही प्रत्ययपत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं । कई एक बातों की व्यवस्था होने के साथ ही हिन्दी भाषा में प्रत्ययपत्र जारी करने की प्रस्थापना की जा रही है ।

केन्द्रीय रेशम पर्षद्

***१२२०. श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कब केन्द्रीय रेशम पर्षद् का पुनः संगठन हुआ था ; तथा

(ख) इस पर्षद् में शहतूत उगाने वालों तथा रेशम के कोयों का काम करने वालों के कितने प्रतिनिधि हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) ९ अप्रैल, १९५२ को।

(ख) तीन ।

कुटीर उद्योगों के प्रदर्शनालय

***१२२१. श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में स्थापित कुटीर उद्योगों के प्रदर्शनालय जैसी अन्य दुकानें विभिन्न स्थानों में भी खोली हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों में; तथा

(ग) क्या सरकार ने इन प्रदर्शनालयों के संचालन तथा नियंत्रण के लिये कुछ कमेटियां नियुक्त की हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चमड़े के सामान का आयात

*१२२२. **श्री रामानन्द दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विदेशों से कौन सा चमड़े का सामान भारत मंगाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य "चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुयें" नाम के विस्तृत शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली मदों के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं। भारत क्रोम (मालीदा किया गया तथा रंगा हुआ चमड़ा) तथा छाल से रंगे चमड़े के टुकड़ों और चमड़े के तख्तों का थोड़ा सा आयात करता है क्योंकि यहां से वस्तुयें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। उद्योगों में काम आने वाली चमड़े की वस्तुयें भी मंगाई जाती हैं ।

प्लास्टिक

*१२२३. **श्री रामानन्द दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में विदेशों से प्लास्टिक की कितनी मात्रा भारत में आयात की गई ; और

(ख) किन वस्तुओं के निर्माण में इसका उपयोग होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क)—

	१९५०-५१ (टन)	१९५१-५२ (टन)
कृत्रिम राल तथा सांचा ढालने के काम आने वाला चूर्ण	२,८४२	४,००३
प्लास्टिक का अर्द्ध निर्मित माल अंतिम स्थिति में पालिश किया गया प्लास्टिक का सामान (प्लास्टिक के खिलौने, खेल-समान की आवश्यक सामग्री तथा शृंगार प्रसाधन सम्बन्धी प्लास्टिक के सामान रहित।)	कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।	

(ख) बिजली का सामान तथा पुरजे, मोटरगाड़ियों के पुर्जे शृंगार-प्रसाधन वस्तुयें, रेडियो के पुरजे, छातों के दस्ते और घड़ी बांधने की क़लई की पट्टियां आदि जैसी अनेक वस्तुयें बनाने के काम में लाया जाता है।

सिंचाई प्रपात से बिजली

*१२२४. **श्री बी० डी० शास्त्री**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विंध्य प्रदेश के सिंचाई प्रपात से विद्युत् शक्ति पैदा करने की कोई परियोजना पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ली गई हैं; और

(ख) क्या विंध्य प्रदेश में सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने की कोई परियोजना भी उस में है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १७**]

आल इण्डिया रेडियो में यू० पी०-ए० का टेलीप्रिंटर

*१२२५. **श्री सी० आर० चौधरी।** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ए० आई० आर० (आल इण्डिया रेडियो) के न्यूज़ सर्विस डिवीजन (समाचार दाता विभाग) में यूनाइटेड प्रेस आव अमरीका का एक टेलीप्रिंटर लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का वार्षिक किराया (व्यय) क्या है ; और

(ग) विगत छः महीनों में इस यू० पी० ए० टेलीप्रिंटर द्वारा कितने समाचार (संदेश) प्राप्त हुये हैं, और, उन में से कितने एक समाचार ए० आई० आर० से प्रसारित किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) एक टेलीप्रिंटर का प्रति मील का वार्षिक किराया (व्यय) ३० रुपये है।

(ग) ५ मई, १९५२ को समाचार (संदेश) पहुंचने आरम्भ हुये थे। १६ जून, १९५२ तक की अवधि में ३,३०० से अधिक संदेश प्राप्त हुये, जिन में से लगभग ८०० संदेश ए० आई० आर० के समाचार बुलेटिनों में काम आये।

जूट के मूल्य

*१२२६. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रति वर्ष गन्ने के ढंग पर जूट का न्यूनतम दाम निश्चित करने के लिये भारत सरकार के समक्ष कोई प्रतिनिधान पहुंचा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस प्रतिनिधान में उन्होंने कौन से मुख्य तर्क प्रस्तुत किये हैं ; तथा

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वि/य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) दाम कम हो जाने के परिणामस्वरूप, सरकार के पास अनेक प्रतिनिधान पहुंचे हैं जिन में कच्ची जूट के न्यूनतम दाम निश्चित किये जाने का सुझाव दिया गया है। यह दलील दी जाती है कि कच्ची जूट के मूल्य घट जाने से जूट उगाने के काम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस सिलसिले में इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विदेशी बाज़ारों में जूट-निर्मित वस्तुओं की मांग पर ही बहुत हद तक कच्ची जूट का दाम निर्भर रहेगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के लिये अनुदानों की मांगों के सिलसिले में भाषण देते हुये मैं बतला चुका हूं कि सरकार इस स्थिति को जांच रही है और परिस्थिति अनुसार उचित कार्यवाही करेगी।

कोयले के मूल्य

*१२२७. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) पटना, मोतीहारी, छपरा, मुजफ़्फ़रपुर और दरभंगा में कोयले के प्रति टन मूल्यों में कितना अन्तर है ; तथा

(ख) उपरोक्त स्टेशनों में कोयला खान से रेल स्टेशनों तक कोयला पहुंचाने का प्रति टन रेल भाड़ा कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) और (ख) सूचना इकटठी की जा रही है, और यथासंभव शीघ्रता से सदन पटल पर रखी जायेगी।

लोहे तथा इस्पात के मूल्य

*१२२८. **पंडित डी० एन० तिवारी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पटना, मोतीहारी, दरभंगा, मुजफ़्फ़रपुर और सावन (सोरन जिला स्थित) में लोहे तथा इस्पात के मूल्य (प्रति टन) में कितना अन्तर है ;

(ख) क्या सीधे ही उत्पादकों द्वारा उपरोक्त स्थानों को लोहा और इस्पात भेजे जाते हैं ; और

(ग) उत्पादन केन्द्रों से उपरोक्त स्टेशनों तक का प्रति टन भाड़ा कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १८]** ।

(ख) जी हां, किन्तु शर्त यह है कि प्रत्येक अवसर पर एक डिब्बे का बराबर सामान (२० टन) से कम भार नहीं होना चाहिये ।

(ग) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १९]**

रूई (आयात और निर्यात)

*१२२९. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५०-५१ और १९५१-५२ में किन २ देशों को, किन दामों पर (प्रति मन) रुई निर्यात की गई ;

(ख) उक्त अवधि में रुई की कितनी मात्रा किन देशों से किन दामों पर (प्रति मन) आयात की गई ;

(ग) उक्त अवधि में वर्षवार रुई का कुल उत्पादन कितना था ; और

(घ) मिलों, हाथ-करघा उद्योगों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये क्रमश: रुई की वार्षिक घरेलू खपत कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). अपेक्षित विवरण जिनमें ये सभी सूचनायें दी गई हैं, सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २०, २१, २२ और २३]**

भारतीय भाण्डार विभाग, लन्दन

*१२३०. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगें कि भारतीय भाण्डार विभाग, लन्दन में सब से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी का मासिक वेतन (रुपयों में) कितना है, तथा वह किस देश का है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): भत्ते रहित मासिक वेतन १,९०० रुपये है ; भारत के है ।

बंगलौर की मशीनी औज़ार बनाने की फ़ैक्टरी

*१२३१. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बंगलौर की मशीनी औज़ार बनाने वाली फ़ैक्टरी के प्रभारी उच्चतम पदाधिकारी अथवा महाप्रबन्धक का मासिक वेतन कितना है ; तथा

(ख) क्या उक्त फ़ैक्टरी में अभारतीयों को भी काम दिया गया है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) महाप्रबन्धक का मासिक वेतन ३,००० रुपये है ।

(ख) जी हां ;

खालें तथा चमड़े की वस्तुयें

*१२३२. **श्री कजरोलाकर:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में किन देशों को खालें निर्यात की गई हैं, और निर्यात की गई खालों की मात्रा कितनी थी ;

(ख) इस लेनदेन में विदेशी विनिमय की कुल कितनी राशि है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में पूर्ण रूप से तैयार की गई चमड़े की वस्तुओं की, जो भारत में आयात की गईं, कुल मात्रा कितनी है, और इस लेनदेन में भारत ने विदेशों को कितनी धन राशि दी है ;

(घ) क्या सरकार ने पूर्ण रूप से तैयार की जाने वाली चमड़े की उन वस्तुओं का, जो इन दिनों आयात की जाती हैं, भार में ही निर्माण करने के लिये कोई प्रयत्न किया है, और, यदि हां तो किस प्रकार के प्रयत्न हुये हैं ; और

(ङ) क्या भारत में कुछ ऐसे कारखाने हैं जहां इस प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क)—

	१९४९-५० (टन)	१९५०-५१ (टन)	१९५१-५२ (टन)
खालें (कच्ची)	७८३	१९७३	१२४९
खालें (कमाई)	१५७३५	१७५४६	१६७५०
कुल जोड़	१६५१८	१९५१९	१७९९९

मुख्यतया संयुक्त राज्य अमरीका, ग्रेट बिटेन और जापान को इन का निर्यात किया गया था।

(लाख रुपयों में)

१९४९-५०	८७४
१९५०-५१	१२७१
१९५१-५२	१४२३

(ग) मुख्यतया उद्योग सम्बन्धी चमड़े की वस्तुओं का आयात हुआ है। एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ६, अनुबन्ध संख्या २४]**

(घ) सरकार मशीन तथा कच्ची वस्तुओं को प्राप्त करने और उनकी उत्पादित वस्तुओं को चलाने में सम्बन्ध पार्टियों को प्रत्येक सहायता देती है।

(ङ) जी हां, श्रीमान्।

बिहार में सामूहिक परियोजनायें

*१२३३. **श्री झूलन सिन्हा:** (क) क्या योजना मंत्री ९ जून, १९५२ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४१ की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बिहार के लिये चुनी गई सामूहिक परियोजनाओं के स्थान कहां हैं तथा उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूची में से ही ये स्थान चुने गये हैं, अथवा बिहार सरकार द्वारा केवल इन ही परियोजनाओं की सिपारिश की गई थी ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) बिहार को चार परियोजनायें तथा एक विकास योजना मिली हैं और उनके नाम इस प्रकार है :—

१. पूसा-समस्तीपुर-बेगूसराय क्षेत्र।

२. देहरी-भबुआ-मोहनियां क्षेत्र।

३. ओरमांझी-रांची-मंछार क्षेत्र।

४. जहानाबाद-एकांगा-सराय-बिहार-बरबिघा क्षेत्र।

५. सन्थाल परगनें (रानेश्वर ब्लाक क्षेत्र)—एक विकास ब्लाक क्षेत्र ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ११ परियोजना क्षेत्रों की सूची में से उक्त भूखण्ड चुने गये थे ।

खादी के लिये सहायक अनुदान

*१२३४. **श्री झूलन सिन्हा :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** ९ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खादी के विकास के लिये किन खादी उत्पादन केन्द्रों को सहायक अनुदान दिये गये हैं ?

(ख) क्या हाथ की कती और बुनी खादी के प्रति उपरोक्त आर्थिक सहायता के अनुदान के अतिरिक्त हाथ से बुने गये अन्य कपड़े के मुक़ाबले में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई वरेण्य बर्त्ताव किया गया है अथवा किया जाने वाला है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) अखिल भारतीय चरखा संघ को वर्ष १९५१-५२ में उस से सम्बद्ध सहायता के पात्र खादी-उत्पादन-केन्द्रों में सहायक अनुदानों के वितरण के लिये २,००,००० रुपये का कुल अनुदान दिया गया था, किन्तु उक्त संघ ने अभी उस राशि को पूरी तरह से वितरित नहीं किया है ।

(ख) खादी को प्रोत्साहन देने की विविध प्रस्थापनाओं की जांच हो रही है ।

विस्थापित व्यक्तियों को बेचे गये मकान

*१२३५. **श्रीमती सुचेता कृपलानी:** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनर्वास मंत्रालय (१) पूरी तरह से एक बार ही बेचे जाने के आधार पर, (२) किश्तवार, और (३) किराया-ख़रीद पद्धति पर विस्थापित व्यक्तियों को मकान बेचता रहा है ; और

(ख) यदि उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) (३) का उत्तर स्थापनात्मक हो तो किन वर्गों के विस्थापित व्यक्तियों को इस प्रकार की सुविधा दी जाती है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) हां, दिल्ली में ही ।

(ख) विभिन्न बस्तियों में बिक्री की विभिन्न शर्तें हैं । ऐसी बस्तियों में जो शहर के निकट हैं और जहां मकानों की बहुत बड़ी मांग है, एक ही बार पूरे दाम दिये जाने पर ही मकानों की बिक्री होती है । और उन बस्तियों में, जो शहर से कुछ दूरी पर हैं, मकान प्रायः किश्त तथा किराया-ख़रीद के आधार पर बेचे जाते हैं । शरणार्थियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है ।

किचनर रोड होस्टल में विस्थापित व्यक्ति

*१२३६. **श्रीमती सुचेता कृपलानी:** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि नई दिल्ली स्थित किचनर रोड होस्टल में पिछले चार वर्षों से विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के बहुत से परिवार रह रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने सरकार के विरुद्ध इस बात की शिकायत की है कि उक्त होस्टल भीड़ से भरा है और उन्हें बहुत अधिक किराये देने पड़ते हैं ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि कुछ वर्ष पहले किचनर रोड होस्टल के मकानों को मनुष्यों की रहायश के योग्य नहीं समझा गया था ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

पूर्वी अफ़्रीका की रुई

*१२३७. **श्री एस० जी० पारिख :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) बहुराशि ख़रीद योजना में इस वर्ष पूर्वी अफ़्रीकी रुई की कितनी मात्रा ख़रीदी जा चुकी है और किस दाम पर ;

(ख) किस प्रकार रुई का मिलों में वितरण होता है, मिलों द्वारा कितनी मात्रा मांगी गई है और उन्हें, अर्थात् प्रत्येक मिल को, रुई की कितनी मात्रा दी गई है ; और

(ग) क्या उस रुई के वितरण के लिये अपनाई गई पद्धति के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें भी हुई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) ४ जन, १९५२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर की ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) बहुराशि ख़रीद योजना के अन्तर्गत ली गई रुई उन मिलों को दी जाती है जिन्होंने सन् १९४६-४७, १९४७-४८, और १९४८-४९ में इस प्रकार की रुई की औसत खपत के उपाधार पर मोल लेने की लिखित प्रत्याभूति दी है :—

(१) सभी प्रकार की पूर्वी अफ़्रीकी रुई ।

(२) अमरीकी रुई ।

(३) मिस्री अशमौनी और ज़गोरस ।

(४) पेरुई टैंगुइस ।

ख़रीद दाम पर ही वह ख़रीदी गई रुई इन मिलों को दी जाती है ।

(ग) अब कोई भी शिकायतें नहीं हैं ।

आसाम के जनजाति क्षेत्रों में सड़कें

*१२३९. **श्री गौहन :** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के जनजाति क्षेत्र के भाग 'ख' में आज तक बनाई गई उन सड़कों की कुल लम्बाई, मीलों में, कितनी है, जिन पर से जीपें और अन्य मोटर गाड़ियां गुज़र सकती हैं ;

(ख) वित्त वर्ष १९५०-५१ से आज तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ;

(ग) इन सड़कों द्वारा कुल कितने क्षेत्रों को मिलाया गया है ; और

(घ) कब इन क्षेत्रों में अन्तिम रूप से सड़क संचरण का काम आरम्भ किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री के सभा सचिव (श्री सतीश चन्द्र): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सदन पटल पर रखी जायेगी ।

विज्ञापन

*१२४०. **श्री के० जी० देशमुख :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५१-५२ में भारतीय समाचार पत्रों में भारत सरकार द्वारा कितने विज्ञापन दिये जा चुके हैं ;

(ख) इस सिलसिले में कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों को किस अनुपात में विज्ञापन दिये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) विविध मंत्रालयों की

विज्ञापन-शाखाओं द्वारा वर्ष १९५१-५२ में लगभग ६,००० विज्ञापन दिये जा चुके हैं।

(ख) ६,७२,५२६ रुपये।

(ग) विज्ञापन-स्थान का ६४·४ प्रति शत भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार-पत्रों को दिया गया था।

रेशम

*१२४१. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) भारत में किन स्थानों में रेशम पैदा किया जाता है ?

(ख) क्या भारत में रेशम का वार्षिक उत्पादन इस की आवश्यकताओं का सम-मात्रिक है ?

(ग) १९५१ में रेशम का उत्पादन कितना था ?

(घ) क्या रेशमी कपड़े का भारत से विदेशों को निर्यात होता है ?

(ङ) यदि होता है, तो लगाये गये निर्यात-शुल्क की राशि क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): (क) मैसूर, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, आसाम, पंजाब (भारत स्थित), बिहार, बम्बई, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व काश्मीर।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) १,९२५,२६१ पौण्ड।

(घ) जी हां, श्रीमान्।

(ङ) रेशमी कपड़े पर कोई भी निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता।

सेंधा नमक

*१२४२. **श्री आर० एस० तिवारी:** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) वे स्थान, जहां भारत में सेंधा नमक पाया जाता है;

(ख) भारत में सन् १९५१ में सेंधा नमक का उत्पादन;

(ग) साधारण नमक और सेंधा नमक की दरों के बीच अन्तर क्यों है;

(घ) इस नमक पर मूल्य नियंत्रण क्यों नहीं है;

(ङ) क्या सेंधा नमक पर साधारण नमक की भांति कोई शुल्क लगता है; और

(च) यदि लगता है, तो गत वर्ष इस शुल्क से सरकार को हुई आय ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) मंडी ज़िला में गुमा, ट्रंग और मैगल, तथा हिमाचल प्रदेश।

(ख) १,५०,००० मन।

साधारण नमक की अपेक्षा सेंधा नमक का उत्पादन-परिव्यय बहुत ही अधिक है।

(घ) इस समय मंडी में खान से निकाला जाने वाला सेंधा नमक बहुत बढ़िया प्रकार का नहीं है, और इसलिये एक सीमित क्षेत्र में उसकी खपत होती है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार के मूल्य नियंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ङ) सेंधा नमक अथवा साधारण नमक पर कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चा जूट

*१२४३. **श्री राजगोपाल राव:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) निम्नांकित दिनांकों को अथवा इन के आसपास कलकत्ता तथा भिन्न केन्द्रों में मेस्ता अथवा बिमली प्रकारों सहित

विविध प्रकार के कच्चे जूट के दाम क्या थे :—

जनवरी, १९५१ से जून, १९५२ तक के महीनों के प्रथम सप्ताहों में ;

(ख) कलकत्ता तथा भिन्न केन्द्रों में उपरोक्त दिनांकों को अथवा इन के आस-पास विविध प्रकार की जूट-निर्मित वस्तुओं के मूल्य क्या थे ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि पूरी तरह तैयार की गई जूट की वस्तुओं की अपेक्षा कच्चे जूट की बहुत हद तक कमी हो गयी है ;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) कच्चे जूट को पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तुओं में परिवर्तित करने पर कितना व्यय आता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) तथा (घ). कच्चे जूट तथा जूट की वस्तुओं के दाम सदा ही बदलते रहते हैं, और प्रत्येक स्थिति में, किसी भी विशेष समय में, बाज़ार की स्थिति तथा सर्वोपरि मांग पर ही दामों का गिर जाना निर्भर करता है ।

(ङ) विभिन्न मिलों में उत्पादन-परिव्यय भिन्न भिन्न हैं । प्रायः अनुमान लगाया जाता है कि प्रति टन थैलों का उत्पादन-परिव्यय लगभग ५०० रुपये तथा प्रति टन हैसियन का उत्पादन-परिव्यय ७५० रुपये है ।

वानगंगा परियोजना

***१२४४. श्री चण्डक :** (क) क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतला क कृपा करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश में 'वानगंगा परियोजना' नाम की एक पयिोजना सरकार के विचाराधीन थी या है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उपर्युक्त योजना का पंचवर्षीय योजना में समावेश किया जायेगा ?

(ग) क्या इस परियोजना के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ?

(घ) यदि की गई थी, तो जांच के परिणाम ?

(ङ) इस परियोजना के बारे में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या परामर्श दिया गया था ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ङ). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में वानगंगा परियोजना की जांच की गई थी । इस परियोजना में ५० करोड़ रुपये का व्यय तथा चावल उगाने के एक बड़े क्षेत्र का समावेश है । उक्त परियोजना से उसी क्षेत्र की सिंचाई होने वाली थी जो प्रायः जंगलप्रधान क्षेत्र है और जिसके लिये बहुत अधिक भूमि-उद्धार का काम करना पड़ता । राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि इस परियोजना को नहीं चलाया जाय । पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को समाविष्ट नहीं किया गया है ।

मध्य प्रदेश में छः वर्षीय योजना

***१२४५. श्री चण्डक :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतालने की कृपा करेंगे :

(क) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की छः वर्षीय योजना के निष्पादन के लिये मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि देने का विचार है ?

(ख) उस योजना के अनुसार मध्य प्रदेश में किन परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष पंचवर्षीय योजना है जिस का कुल व्यय ४३·६ करोड़ रुपये है ।

(ख) एक विवरण जिसमें उक्त योजना की मुख्य योजनायें समाविष्ट हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २५**]

कपड़ा (उत्पादन तथा निर्यात)

*१२४६. **श्री एम० इस्लामुद्दीन**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जनवरी से मई, १९५२ तक (महीनावार) प्रत्येक प्रकार के कपड़े की उत्पादन की स्थिति क्या है ;

(ख) उपरोक्त महीनों में प्रत्येक प्रकार की स्टाक-स्थिति क्या है ; और

(ग) विदेशों को कितना निर्यात हुआ था, यदि कुछ हो तो, तथा किन किन देशों को कितनी मात्रा निर्यात को गई ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). ये सभी विवरण जिनमें अपेक्षित सूचनायें दी गई हैं, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २६**]

प्रत्यर्पण

*१२४७. **श्री एन० एल० जोशी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन देशों के साथ भारत ने प्रत्यर्पण की व्यवस्था की है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद भारत ने विदेशों के साथ प्रत्यर्पण की कोई भी नई व्यवस्था नहीं की है । भारत (पूर्व विभाजन काल) की ओर से ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई सभी प्रत्यर्पण सन्धियां भारत के स्वतन्त्र होने के बाद तक वैसी की वैसी ही चली आ रही हैं ।

सीमेंट

*१२४८. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) (१) भारत में उत्पादन, (२) विदेशों से आयात, तथा (३) वितरण के सम्बन्ध में सीमेंट की नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है ; और

(ग) यदि नहीं तो सीमेंट के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २७**]

(ख) और (ग). उन वृद्धियोजनाओं के साथ ही जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं, इसी वर्ष के अन्त तक सीमेंट का उत्पादन ३७,२०,००० टन से ४०,८०,००० टन हो जायेगा, और १९५५ के अन्त तक ४९,५०,००० टन हो जायेगा । आशा की जाती है कि इतनी सीमेंट से देश भर की सारी मांगें पूरी हो जायेंगी ।

वृद्धि प्रशिक्षण केन्द्र

*१२४९. **श्री दाभी**: क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि फोर्ड फाउन्डेशन तथा भारत सरकार के बीच हुये करार के अन्तर्गत भारत के भिन्न भिन्न भागों में पांच वृद्धि प्रशिक्षण केन्द्रों तथा पन्द्रह विकास क्लबों की स्थापना होने वाली है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्थापनात्मक हो तो बम्बई राज्य के किन किन स्थानों में वृद्धि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना हुई है अथवा होने वाली है तथा बम्बई राज्य के किन क्षेत्रों में प्रकृष्ट विकास ब्लाक की स्थापना हुई है अथवा होने वाली है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख). इस प्रश्न का उत्तर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से मांगा गया है ।

पत्र तथा पत्रिकायें

*१२५०. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उक्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्र तथा पत्रिकाओं की संख्या कितनी है उन के ग्राहक कितने हैं, तथा उनका उत्पादन परिव्यय कितना है ; तथा

(ख) क्या सरकार **'इण्डियन मार्केट'** तथा **'फ़ारेन मार्केट रिव्यू'** साप्ताहिकों को पुनः प्रकाशित करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक पत्र छपता है जिसकी २,६०० प्रतियां छपती हैं और जिसका वार्षिक उत्पादन परिव्यय १५,००० रुपये है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ एक व्यापार मंडलों से प्रतिनिधान प्राप्त हो चुके हैं और उन पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा की कपड़ा मिलें

*१२५१. **श्री निरंजन जेना** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उड़ीसा की कपड़ा मिलों द्वारा कुल कितने वस्त्रों का निर्माण होता है ;

(ख) क्या ये वस्त्र कुछ अन्य राज्यों को भी निर्यात किये जाते हैं, और, यदि हां तो वर्ष १९५१ तथा १९५२ में कितनी गांठे निर्यात की जा चुकी हैं ; तथा

(ग) क्या यह तथ्य है कि इस मिल के विविध प्रकार के कपड़ों के दाम अन्य मिलों में बनाये जाने वाले कपड़ों की अपेक्षा अधिक हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उड़ीसा कपड़ा मिलों ने सन् १९५१ में ५,५७१,००० पौंड सूती धागा तथा १४,४००,००० गज़ कपड़ा और जनवरी-अप्रैल, १९५२ की अवधि में २,३३७,००० पौंड सूती धागा तथा ४,३४९,००० गज़ कपड़ा उत्पादित किया ।

(ख) उक्त मिलों द्वारा उत्पादित सूती धागा अभी किसी राज्य को निर्यात नहीं किया गया है । वर्ष १९५१ में अन्य राज्यों को कपड़े की ६१३ गांठें देने के लिये उक्त मिल के नाम यातायात-आज्ञापत्र जारी किये गये थे, और आज तक वर्ष १९५२ में ६३१ गांठें देने के लिये भी यातायात आज्ञा-पत्र जारी किये गये हैं ।

(ग) नहीं ।

राज्य व्यापार

*१२५२. **श्री गोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राज्य व्यापार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के प्रकाश में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बुनियादी व्यापार नीति में कुछ अन्तर है ; और

(ख) क्या हमारी आवश्यक निर्यात-वस्तुओं के विदेशी व्यापार को संभालने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रस्थापना की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

कचार चाय बागान जांच समिति प्रतिवेदन

*१२५३. **श्री एस० सी० देब** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दो वर्ष पूर्व भारत सरकार द्वारा स्थापित चाय बागान जांच समिति की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उन प्रस्थापित उद्देश्यों के सम्बन्ध में, जिन के लिये उक्त समिति स्थापित हुई थी, सरकार कोई अग्रेतर कार्यवाही करना चाहती है ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि चाय उद्योग की स्थिति की जांच करने के लिये सरकार द्वारा दो विशारद भेजे गये हैं ; तथा

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के शिष्ट मंडल के भेजे जाने का मुख्य कारण क्या है, अर्थात् क्या यह नियोजकों की आर्थिक स्थिति का, अथवा श्रम की आर्थिक दशा का अथवा इन दोनों का अध्ययन करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). कचार चाय बागान जांच समिति की मुख्य सिफारिशों को दो समुदायों में विभक्त किया गया था, अर्थात् :—

(१) चाय बागानों की फ़सल तथा भूमि के साधारण सुधार से सम्बन्धित प्राविधिक सिफारिशें ; तथा

(२) उन खाद्य सम्बन्धी रियायतों को जो सभी स्थानों पर एक साथ एवं एक मत की नहीं थीं नक़द आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने और कर्मचारियों के, प्रतिनिधियों की विमतियों के सम्बन्ध में सिफारिशें ।

चाय बागान मालिक सन्थाओं तथा आसाम सरकार को वे सभी प्राविधिक सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं ताकि वे उस पर विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करें । तब से कचार स्थित कुछ अमितव्ययी बागान में खाद्य सम्बन्धी रियायतों के बदले नक़द आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में नियोजक तथा कामकर भी एक ही निश्चय पर पहुंचे हैं । जहां तक अन्य बागीचों का सम्बन्ध है, उक्त प्रश्न पर त्रिदलीय सम्मेलन ने कई बार पुनः विचार किया था किन्तु उन में नियोजकों तथा कामकरों के बीच कोई भी समझौता नहीं हो पाया । अभी हाल में चाय के मूल्य गिर जाने के परिणामस्वरूप चाय उद्योग ने खाद्य सम्बन्धी रियायतों के बदले आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग दोहराई है, और अब उनका यह मामला विचाराधीन है ।

(ग) और (घ). अभी हाल में ही मूल्य गिर जाने के परिणामस्वरूप चाय उद्योग द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों की जांच करने तथा सहायता के साधनों की सिफारिश करने के लिये सरकार ने दो पदाधिकारी और उन की सहायता के लिये एक व्यय-लेखा-पदाधिकारी नियुक्त किये हैं ।

कृषि श्रम सम्बन्धी जांच

२६२. **श्री एम० एल० द्विवेदी**: (क) क्या **श्रम** मंत्री सदन पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें कृषि सम्बन्धी श्रम की पूछताछ के सम्बन्ध में सूचना दी गई हो ?

(ख) सन् १९५० से इस पूछताछ में क्या प्रगति हुई है ?

(ग) क्या सरकार इन तीन भागों के अन्तर्गत पुनरीक्षित, विशद प्रश्नावली की एक प्रति सदन पटल पर रखना चाहती है ?

(ख) क्या इन सभी राज्यों में, जहां जांच हो रही थी, तीनों अवस्थाओं की पूछताछ पूर्ण की जा चुकी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) और (ख). एक विवरण जिस में अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २८**]

(ग) विशद प्रश्नावली तथा अनुदेशों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में पहले से ही उपलब्ध हैं। [**देखिये संख्या त-५६/५२**]

(घ) जी हां ।

व्यापार शिष्टमंडल

२६३. **डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५०, १९५१ और १९५२ (३० अप्रैल, १९५२ तक) में समुद्र पार भेजे गये व्यापार शिष्ट-मंडलों की संख्या कितनी है, प्रत्येक शिष्ट-मंडल में कितने सदस्य थे तथा प्रत्येक का क्या प्रयोजन था ?

(ख) उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया तथा कितनी देर वहां रहे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २९**]

जूट

२६४. **श्री मेघनाद साहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४७-४८ से १९५१-५२ तक, वर्षवार, (१) भारत संघ, तथा (२) पाकिस्तान से कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल से बाहर के अन्य भारतीय मिल-केन्द्रों में कच्ची जूट के लाखों भेजी जाने वाली गांठों की संख्या के कुल आंकड़े कितने हैं ;

(ख) उक्त अवधि में, वर्षवार, भारत संघ के जूट उत्पादन क्षेत्रों में गांठें बांधने वालों, विक्रेताओं तथा उत्पादकों के पास कालसमाप्ति पर कुल कितने स्टाक थे ;

(ग) क्या यह तथ्य है कि दामों में बहुत बड़ा अन्तर होने के कारण अन्य देशों से मंगाई गई कच्ची जूट की बहुत बड़ी मात्रायें अब भारतीय जूट के रूप में भारत में ही बेची जाती हैं ; और

(घ) यदि हां तो विगत छः महीनों के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). संलग्न विवरण में सूचना दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३०**]

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम

२६५. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हज़ारी बाग़ कस्बे में पेय जल के प्रदाय के लिये दामोदर घाटी निगम ने छरवा बांध से पानी लेने की योजना पर कार्य शुरू किया है, और यदि हां, तो प्रदाय आरम्भ करने के लिये कौनसा दिनांक निश्चित किया गया है अथवा किया जाने वाला है ;

(ख) क्या छरवा बांध प्रत्येक सम्भव स्थिति में पूरा किया जा चुका है और यदि हां तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम वाणिज्यिक सार्थों के रूप में किसी अन्य परियोजना अथवा परियोजनाओं को शुरू कर रहा है, और यदि हां तो उन के नाम क्या हैं ?

योजना सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) दामोदर घाटी निगम ने बिहार सरकार की प्रार्थना पर छरवा बांध का निर्माण शुरू किया । इस बांध के निर्माण से यह अभिप्रेत है कि हज़ारी बाग़ क़स्बे को पेय जल पहुंचाया जाय और कुछ भूमि की भी सिंचाई हो जाय । जल प्रदाय को प्रारम्भ करने के लिये कोई भी दिनांक निश्चित नहीं हुआ था, न तो कोई भी बात तय हो पाई थी । जल प्रदाय के लिये नलों के बिछाये जाने का काम बिहार सरकार द्वारा किया जायगा ।

(ख) बांध पूरा किया जा चुका है । इस पर बिहार सरकार ने ही लगभग ५ लाख रुपये का व्यय किया है ।

(ग) उक्त निगम इस बात के लिये तैयार हो चुका है कि यदि बिहार सरकार सारा व्यय उठाये तो ऊपरी घाटी में सिंचाई के लिये छोटे छोटे साधनों का भी निर्माण किया जायेगा ।

आल इंडिया रेडियो

२६६. श्री सी० आर० चौधरी : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९४८ में ए० आई० आर० के संपादकीय विभाग में कितने व्यक्ति थे और अब कितने हैं ; तथा सन् १९४८ में सम्वाददाताओं की संख्या कितनी थी और उन्हें किन केन्द्रों पर रखा गया था, और अब उनकी संख्या कितनी है तथा उन्हें कहां कहां पर रखा गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३१]**

आल इण्डिया रेडियो में निश्चित अवधि के कर्मचारी-कलाकार

२६७. श्री सी० आर० चौधरी : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय ए० आई० आर० के विविध केन्द्रों में निश्चित अवधि के कर्मचारी-कलाकारों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन के भरती किये जाने की विधि क्या है, तथा इस के लिये कितनी न्यूनतम योग्यताओं का होना आवश्यक है ;

(ग) उनके वेतन-स्तर, भत्ते तथा वृद्धि आदि क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त कलाकारों के साथ उस समय प्राथमिकता बरती जाती है जब स्थाई एवं यथाक्रम पदालियों में स्थान रिक्त हो जाते हैं, और यदि नहीं तो क्यों नहीं ; और

(ङ) क्या मद्रास स्टेशन (ए० आई० आर०) के स्थायी कर्मचारी-कलाकारों ने ७ मई, १९५१ को मंत्री महोदय के पास कोई

आपन भेजा था, और यदि भेजा था तो उस पर क्या कार्यवाही की जा चुकी है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मेरा अनुमान है कि उन कर्मचारी-कलाकारों के सम्बन्ध में सूचना मांगी जा रही है जिन्हें ए० आई० आर० के विभिन्न स्टेशनों पर निश्चित अवधि के लिये रखा गया है ; तो इस के सम्बन्ध में मेरा यह उत्तर है कि इस समय ऐसे कर्मचारी-कलाकारों की कुल संख्या ७०४ है ।

(ख) कर्मचारी-कलाकारों के लिये किसी भी प्रकार की न्यूनतम योग्यताओं का होना परिनियत नहीं है । वे स्थायी कलाकार जो किसी भी विशेष काम में कुशल पाये जाते हैं तथा उस प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं, स्टेशन संचालकों की सिफारिशों के अनुसार आल इंडिया रेडियो के महा-संचालक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं ।

(ग) कर्मचारी-कलाकारों के लिये किसी भी प्रकार के एकरूप पदस्तर, भत्ते अथवा वेतन-वृद्धियां, आदि नहीं हैं । कार्य-संगत कार्यकुशलता, औचित्य तथा प्रतिभा के आधार पर ही किसी भी कर्मचारी-कलाकार का वेतन निश्चित किया जाता है । कर्मचारी-कलाकार के काम के आधार पर ही वेतन वृद्धियां होती हैं, किसी अन्य कारण से नहीं ।

(घ) परिनियत क्रियाविधि जिस में सभी प्रकार के वैध उम्मीदवारों के लिये प्रावधान किया गया है, के अनुसार ही स्थायी तथा क्रमबद्ध पदों पर भर्ती की जाती है ।

(ङ) मद्रास स्टेशन के कर्मचारी-कलाकारों द्वारा ७ जुलाई, १९५१ को मंत्री महोदय के समक्ष एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था । ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वालों के सूचनार्थ टेशन संचालक, मद्रास को उस ज्ञापन में पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में सरकार के सभी निश्चय सूचित किये गये थे ।

निर्यात और आयात

२६८. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४८-४९ और १९५१-५२ में भारत को किन पांच मदों के निर्यात से विदेशी विनिमय में सब से अधिक धनराशि प्राप्त हुई थी ; और

(ख) उक्त अवधि में भारत को किन पांच मदों के आयात पर विदेशी विनिमय में सब से अधिक धनराशि व्यय करनी पड़ी थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) पटसन का धागा तथा पटसन-निर्मित वस्तुयें; चाय ; सूती धागा तथा सूती वस्तुयें; खालें तथा चमड़े (कमाये अथवा पालिश किये गये), और चमड़ा ; तथा गरम मसाले ।

(ख) अनाज, दालें तथा आटा ; मशीनें और मिलों का सामान ; कपास और गूदड़; तेल (मुख्यरूप से खनिज तेल) तथा कच्ची पटसन ।

विदेशों में प्रदर्शनार्थ फिल्में

२६९. **श्री बादशाह गुप्त:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन सी फिल्में विदेशों में प्रदर्शन के प्रयोजन से निर्मित हुई थीं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : मेरा अनुमान है कि उन फिल्मों के सम्बन्ध में, जो फिल्मज़ डिवीज़न द्वारा १९४८ से निर्मित हुई हैं तथा प्रदर्शन के लिये विदेशों को भेजी गई ह, सूचना मांगी जा रही है । इस प्रकार की फिल्मों का विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३२**]

दुग्ध उत्पाद

२७०. श्री कजरोलकर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विगत तीन वर्षों में (१) जमाये दूध, (२) विशुद्ध दुग्ध-चूर्ण, तथा (३) मक्खन निकाले गये दुग्ध-चूर्ण की कितनी मात्रायें भारत में आयात हुई हैं, तथा किन किन देशों से इनका आयात किया गया है ;

(ख) उपरोक्त आयातों के लिये विदेशों को कुल कितना धन दिया गया ;

(ग) खाद्य की इस मद में भारत को अन्तिम एवं पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर बनाने की दृष्टि से उक्त उद्योग के विकास के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ; और

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में जहां दूध की बहुतायत है, ऐसे उत्पादों के निर्माण के लिये भारत के किन्हीं निजी उद्यमों को सहायता देना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क)––

वस्तु	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
	(टन)	(टन)	(टन)
जमाया दूध	६,५८५	९,३००	८,७०२
विशुद्ध दुग्ध चूर्ण	२,४०४	१,६८०	१,०५४
मक्खन निकला दुग्ध चूर्ण	६,१०९	६,५२०	११,६९९

आयात तो मुख्यतया आस्ट्रेलिया, हालैंड और डैनमार्क से किये गये थे।

(ख)	रुपय (लाखों में)
१९४९-५०	२५१
१९५०-५१	३०९
१९५१-५२	६१३

(ग) जब तक भारत में इस उद्योग का विकास नहीं हो जाता दूध की कमी रहेगी।

(घ) इस मामले पर तभी विचार किया जायेगा जब इन उत्पादों के निर्माण के लिये हितसम्बद्ध पार्टियों द्वारा सरकार के समक्ष प्रस्थापनायें प्रस्तुत की जायेंगी।

न्यू विक्टोरिया मिल्ज की धोतियां

२७१. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि एक जोड़ा धोती का दाम उत्पादकर तथा बिक्री कर सहित लगभग १७ रुपये होता है, जब कि बाज़ार में एक धोती केवल ८ रुपये में मिल जाती है ; तथा

(ख) कौन इन दामों का अंकन करता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार के पास इस को कोई भी सूचना नहीं है किन्तु यह सम्भव हो सकता है कि निर्दिष्ट धोतियों का जोड़ा रियायती दामों पर बिकता हो।

(ख) टेक्सटाइल कमिश्नर, बम्बई द्वारा निश्चित किये गये आंकड़ों के आधार पर ही मिलों द्वारा ये दाम धोतियों पर लिखे जाते हैं।

अपहृत व्यक्ति

२७२. श्री बादशाह गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** मार्च, १९५२ तक पाकिस्तान द्वारा भारत वापिस भेजे गये तथा भारत द्वारा

पाकिस्तान वापिस भेजे गये व्यक्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

रक्षा मंत्री (श्री गोपालस्वामी): पाकिस्तान ने भारत को ८,०५३ और भारत ने पाकिस्तान को १६,३६७ व्यक्ति लौटाये थे ।

नमक

२७३. श्री बादशाह गुप्त: क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत देश में किस किस स्थान से तथा प्रति वर्ष कितना नमक उत्पादित होता है ; तथा

(ख) इसके लाने ले जाने एवं वितरण पर, यदि कुछ हों तो, क्या प्रतिबन्ध हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): एक विवरण जिसमें नमक-उत्पादन के मुख्य प्रदेश तथा उन से उत्पादित होने वाले नमक की मात्रायें क्रमश: दी गई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३३**]

(ख) केवल इस बात को ध्यान में रख कर कि वितरण की महाखण्डीय योजना के अनुसार ही नमक ले जाने के लिये रेल डब्बों के दिये जाने में प्राथमिकता बरती जाती है, भारत सरकार ने नमक के लाने ले जाने तथा वितरण पर कोई भी नियंत्रण नहीं किया है, और कलकत्ता में नमक का आयात करने वालों से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आयात का १० से १५ प्रतिशत तक का भाग रक्षित निधि के रूप में साल्किया स्थित सरकारी गोलाओं में रख लें ।

यों तो, कुछ एक राज्य सरकारों ने क्रमश: अपने अपने अधिकार-क्षेत्रों में नमक के लाने ले जाने तथा वितरण पर नियंत्रण रखा हुआ है ।

आल इंडिया रेडियो स्टेशन, पटना

२७४. श्री सी० एन० पी० सिन्हा: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४९, १९५०, १९५१ तथा १९५२ में आल इंडिया रेडियो स्टेशन, पटना पर कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ख) उक्त वर्षों में अंग्रेज़ी तथा हिन्दी भाषाओं में प्रसारित किये जाने वाले बुलेटिन पर, पृथक् पृथक् कितनी धनराशि व्यय की गई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) सन् १९४८-४९ से सन् १९५१-५२ तक के वित्त वर्षों में पटना स्थित ए० आई० आर० स्टेशन पर जो आवर्त्तक राशि व्यय की गई, उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये
१९४८-४९	४,९१,२११
१९४९-५०	५,३७,१८७
१९५०-५१	५,२१,७५८
१९५१-५२	४,८१,५००

(ख) यह तो बहुत ही कठिन है कि अंग्रेज़ी तथा हिन्दी भाषाओं में प्रसारित किये जाने वाले बुलेटिनों पर व्यय की गई धनराशि का विशद्ध रूप से, पृथक् पृथक् हिसाब लगाया जा सके क्योंकि इन का कार्य स्वतन्त्र विभागों द्वारा नहीं होता । कुल पर यही कहा जा सकता है कि अंग्रेज़ी के प्रसारण कार्यक्रम पर अपेक्षतया बहुत ही कम धनराशि व्यय की जाती है ।

Thursday, 26 June 1952

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(First Session)

संसदीय वाद विवाद

∞

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:•:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २६ जून ११५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९–२९ म० प०

सामान्य आयव्ययक-अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष महोदय: अब हम राज्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों की चर्चा करेंगे। इन अनुदानों का क्रमांक ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ और १२६ है। संमत कटौती प्रस्ताव यह है—मैं अन्त में माननीय सदस्यों से यह पूछूंगा कि क्या कोई अन्य प्रस्ताव इस सूची में जोड़ना शेष है।

मांग संख्या ८१—राज्य मंत्रालय—७,३१,००० रुपये

मांग संख्या ८२—देशी नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते—१,३१,००० रुपये

मांग संख्या ८३—कच्छ—६४,७७,००० रुपये

मांग संख्या ८४—बिलासपुर—९,६५,००० रुपये

मांग संख्या ८५—मणिपुर—३०,८९,००० रुपये

मांग संख्या ८६—त्रिपुरा—७३,९०,००० रुपये

मांग संख्या ८७—राज्यों के साथ सम्बन्ध—३९,५२,००० रुपये

मांग संख्या ८८—राज्य मंत्रालय के अंतर्गत फुटकर व्यय—५४,६६,००० रुपये

मांग संख्या १२६—राज्य मंत्रालय सम्बन्धी पूंजी व्यय–२,१४,०३,००० रुपये

भाषावार प्रांतों का निर्माण

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) में प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

हैदराबाद राज्य का विघटन

श्री माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

भाग ख में के राज्यों में परामर्श-दाताओं की नियुक्ति

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोडि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

भाग ख और ग में के राज्यों में अनुसूचित जातियां

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

काश्मीर और हैदराबाद सम्बन्धी नीति

श्री वी० जी० दशपांडे (गुना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग भें १०० रुपये की कटौती की जाये।"

देशी नरेशों की निजी थैलियां और भत्ते

श्री बलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

हैदराबाद नरेश के भत्ते

श्री वाघमारे (परभणी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

भाषावार प्रान्त के रूप में संयुक्त महाराष्ट्र

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

पैप्सू में विश्वविद्यालय

श्री अजीत सिंह (कपूरथला—भटिन्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

काश्मीर का पृथक झंडा

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

हैदराबाद राज्य का विघटन

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

निजाम हैदराबाद

श्री वी० जी० देशपांडे : में प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य-मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर प्रश्न को वापस लिया जाना

श्री वी० जी० देशपांडे : में प्रस्ताव करता हूं कि :

"'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

मणिपुर राज्य का विकास

श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मणिपुर —रक्षित—अनुसूचित जन जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'मणिपुर' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाय।"

त्रिपुरा का प्रशासन

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'त्रिपुरा' सम्बन्धी मांग में १००,००० रुपये की कटौती की जाये।"

काश्मीर में जनमत संग्रह

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्यों के साथ सम्बन्ध' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

राज्य मंत्रालय

श्री नेसामनी (नगरकोइल) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्य मंत्रालय' के अन्तर्गत फुटकर व्यय सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

जम्मू और काश्मीर की संविधान सभा

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

काश्मीर पर संविधान लागू किया जाना

श्री वी० जी० देशपांडे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

सामान्य नीति

श्री आनन्दचन्द (बिलासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

भाषावार प्रान्त

श्री पी० एन राजभोज : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

हैदराबाद राज्य में सीमा शुल्क

श्री वाघमारे : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" 'राज्य मंत्रालय' सम्बन्धी मांग में १०० रुपये की कटौती की जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब इन्हीं मांगों और कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी, किन्तु एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। भाषावार प्रान्तों की रचना के सम्बन्ध में ७ जुलाई १९५२ को सदन में संकल्प प्रस्तुत होगा। अतः भाषावार प्रान्त रचना के प्रश्न पर इस समय चर्चा न होनी चाहिये, क्योंकि प्रक्रिया के नियमों के अनुसार हमें पश्चगामी वाद-विवाद का पूर्वकिन न करना चाहिये। इसका उद्देश्य यह है कि वाद-विवाद की पुनरुक्ति न हो। अतएव भाषावार प्रान्त रचना सम्बन्धी कटौती प्रस्तावों पर कोई चर्चा इस समय न हो। इसके फलस्वरूप माननीय सदस्यों को अपने मुद्दे प्रस्तुत करने के लिये अधिक समय मिल सकेगा। अतः भाषावार प्रान्त रचना के कटौती प्रस्तावों को छोड़ अन्य समस्त कटौतियों पर चर्चा हो सकेगी।

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान

[श्री एस० एस० मोरे]

लीजिए मेरा कटौती प्रस्ताव पास हो जाये तो वह सरकार के प्रति एक प्रकार का अविश्वास होगा। किन्तु यदि मेरा संकल्प पास हो जावे तो वह सदन की पवित्र घोषणा मात्र होगी जिससे सरकार पर कोई बन्धन न होगा।

अध्यक्ष महोदय : कदाचित् सिद्धान्त के रूप मेंयह कथन ठीक है, किन्तु हम कुछ ऐसी कल्पना क्यों कर लें जो सत्य न उतरे और बाद में निष्कर्ष निकालते बैठें। हमें वास्तविकताओं को सामने रखना चाहिये। हमारे सामने प्रश्न यह है कि क्या हम एक ही विषय पर एक ही अधिवेशन में दो बार चर्चा करें। माननीय सदस्यों को यह ध्यान में रखना चाहिये कि बैठक का खर्च करदाताओं पर पड़ता है। इसलिये माननीय सदस्यों को चर्चाओं की पुनरुक्ति न करनी चाहिये।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) श्रीमान्, हैदराबाद के भविष्य के प्रश्न में भाषावार क्षेत्रों के पुनर्विभाजन का प्रश्न निहित है। आप उस प्रश्न को किस तरह हल करने का प्रस्ताव करते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यगण हैदराबाद राज्य पर विशेषतः बोलना चाहें तो उन्हें ऐसा करने का पूर्ण स्वातन्त्र्य है। परन्तु उस प्रश्न को भाषावार प्रान्त रचना के साथ जोड़ना अलग बात होगी। यह हो सकता है कि कहीं कहीं विभाजन रेखा धुंधली हो किन्तु मैं अत्यन्त आग्रह पूर्वक कहूंगा कि वे भषावार प्रान्तों के प्रश्न की ओर न उन्मुख हों।

श्री मोरे के प्रश्न के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सरकार इस विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी है और इस सदन की राय व्यक्त करने वाले प्रस्ताव की, मेरी राय में, सरकार उपेक्षा नहीं कर सकती। वह चाहे न्याय की दृष्टि में बन्धनकारी न हो, किन्तु साम्य तथा नैतिकता की दृष्टि से सरकार पर बन्धनकारी होता है।

श्री एस० एस० मोरे : किन्तु वह न्याय की दृष्टि से बन्धनकारी न होगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरी दृष्टि में वैधानिक बन्धनों की अपेक्षा नैतिक बन्धन अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी हो मैं अब इस प्रसंग पर अधिक न कहूंगा।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : श्रीमान्, समय सीमा के बारे में क्या व्यवस्था होगी?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में कहना ही चाहता था।

श्री सत्य नारायण सिन्हा : आध घण्टा तो बेकार गया ही।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यर्थ नहीं गया है उसका सदुपयोग ही हुआ है।

वक्ताओं की सूची असामान्यतया बड़ी लम्बी है। यदि सदन सम्मत हो तो मैं भाषण के लिये समय मर्यादा १० मिनट कर दूं।

कई माननीय सदस्य : जी हां।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : हम मध्यान्होत्तर में भी बैठें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यदि सदस्यगण अपने मुद्दे संक्षेप में रखें और अधिक विस्तृत भाषण देने का लोभ संवरण करें.....

एक माननीय सदस्य : संसद् बोलने के लिये है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, किन्तु सुसम्बद्धता से बोलने के लिये। मैं भाषण की अवधि १० मिनिट निश्चित करता हूं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इस प्रकार चर्चा पर अंकुश न रखा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि किसी दल का कोई सदस्य अधिक समय लेगा तो उसके दल के अन्य सदस्यों को भाषण के लिये कम समय मिलेगा। श्री चटर्जी।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : अब तक भारत ने काश्मीर के सम्बन्ध में अपनी जबान पर ताला लगा रखा था, क्योंकि हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते थे जिससे पाकिस्तान भारत विरोधी नारा लगाने लगे। किन्तु जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री के रूप में शेख अब्दुल्ला के हाल के भाषणों ने हमें अपना दृष्टिकोण सम्मुख रखने पर विवश किया है, विशेषतया काश्मीर संविधान सभा में पास हुए संकल्पों ने हमें सांवैधानिक स्थिति पर पुनर्विचार करने के लिये प्रवृत्त किया है और भारत सरकार तथा लोक-सभा दोनों ही को उस परिस्थिति का गम्भीरता से सामना करना चाहिए।

हम बार बार कह चुके हैं कि हमारी सरकार ने काश्मीर प्रश्न के सम्बन्ध में घपला किया है। काश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्रमण्डल के समक्ष रखना सब से बड़ी घपले बाज़ी हुई। दूसरी घपले बाज़ी शस्त्र-पात थी। जब कि भारतीय सेनायें पाकिस्तान-सहायता प्राप्त आक्रमणकारियों को खदेड़ ही थी और सारा काश्मीर शत्रु से मुक्त होने ही वाला था तब अभागा शस्त्र-पातादेश दिया गया। फलतः एक तिहाई—उससे भी अधिक—काश्मीर भूमि हमलावरों के चंगुल में है।

तीसरी घपले बाज़ी जो भारतीय इतिहास में सब से दुखद है जनमत संग्रह का प्रस्ताव है। मैं दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि विधि तथा संविधान के अधीन जनमत संग्रह का कोई प्रश्न ही न होना चाहिये था। जनमत संग्रह से प्रस्ताव के कारण हमारे सामने गम्भीर परिस्थिति है। काश्मीर की घाटी में भारतीयों ने रक्त बहाया है, भारतीय करदाताओं का १५० करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अधिक भी खर्च होगा परन्तु हम संकट की स्थिति में ही पड़े हुए हैं। शेख अब्दुल्ला कहते हैं "मैं ऐसे किसी दल को कैसे सह सकता हूं जो भारत के साथ पूर्णरूप से सम्मिलित होने, संम्पूर्ण एकीकरण की मांग करता हो"। यह कथन कितना आश्चर्यजनक है। हमारे संविधान में भी काश्मीर भारत का अविच्छिन्न अंग माना गया है। किन्तु दुर्भाग्य का विषय तो यह है कि काश्मीर संविधान सभा ऐसा कुछ कर रही है जो हमार संविधान की मंशा के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि मेरे माननीय सुविज्ञ मित्र डा० काटजू मेरा ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३७० की ओर आकृष्ट करेंगे। उस अनुच्छेद के उपबन्ध के अनुसार राज्य की सरकार से आशय उस व्यक्ति से है जो राष्ट्रपति द्वारा जम्मू तथा काश्मीर के महाराजा के रूप में स्वीकृत हो और जो अपने मन्त्री परिषद् की मन्त्रणा पर कार्य करे जिसने महाराजा की घोषणा ता० ५ मार्च १९४८ के अधीन तत्समय पदग्रहण किया है। वह घोषणा ता० १७ अक्तूबर १९४९ को संविधान सभा में माननीय श्री गोपालस्वामी द्वारा पढ़ कर सुनाई गई थी जिसकी मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार है :

मंत्री परिषद् में प्रधान तथा उतने अन्य मन्त्री होंगे जो प्रधान

[श्री एन० सी० चटर्जी]

मन्त्री की मन्त्रणा पर नियुक्त किये जाएं। प्रधान मन्त्री तथा अन्य मंत्रिगण मंत्रिमण्डल के रूप में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करेंगे।

यह कहना वस्तुस्थिति की निकृष्ट विडम्बना होगी कि उन्होंने महाराजा के शासन की अन्तकर-निरंकुश तथा स्वेच्छापूर्ण शासन को समाप्ति कर—काश्मीर की चमत्कारी संविधान सभा द्वारा किसी विस्मयकारी घटना का सूत्रपात किया है। घोषणा जारी होने और अनुच्छेद ३७० के प्रवर्तन में आने के पश्चात् काश्मीर के महाराजा सांवैधानिक-शासक मात्र रह गये। अब महाराजा को हटाकर जम्मू और काश्मीर के चमत्कारी राज्य में जनतन्त्र की ओजस्वी प्रगति को जाने वाली है।

मैं किसी राजा या महाराजा का पक्षपोषक नहीं हूं। मैं भारतीय गणतन्त्र में सामन्त शाही के अवशेषों के रखने का समर्थक नहीं हूं, किन्तु जम्मू और काश्मीर संविधान सभा को भारतीय संसद् की प्रभुसत्ता और भारतीय गणतन्त्र की सार्वभौमता माननी पड़ेगी, हैदराबाद के निजाम को हमने काश्मीर के महाराजा अथवा मैसूर के महाराजा के समकक्ष रखा है। अतः जम्मू और काश्मीर की संविधान सभा को क्या अधिकार है कि वह अपनी एकतर्फा कार्यवाही से महाराजा का शासन समाप्त कर दे। इस के लिये संविधान में संशोधन लाना होगा। काश्मीर की संविधान सभा को भारतीय संविधान की परिधि के अन्तर्गत कार्य करना होगा। यदि शेख-अब्दुल्ला को होश में न लाया गया तो कुल काश्मीर संविधान सभा कह सकती है "हम भारत में के राज्य नहीं रहेंगी।" मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि संविधान के अधीन वे ऐसा नहीं कर सकते। परसों वे कहेंगे "हम रक्षा, संचरण तथा वैदेशिक कार्य के विषय में भी भारत में न शामिल होंगे।" हमें इस स्थिति पर विचार करना होगा। इन कार्यवाहियों से इस संसद् के अधिकारों में कमी हो जायेगी। विभिन्न गम्भीर प्रलेखों द्वारा देशी नरेशों को प्रत्याभूतियां और आश्वासन दिये जा चुके हैं और हमें उन वादों को पूरा करना होगा। यदि काश्मीर संविधान सभा अपना पृथक् झंडा रखने और एक गणतन्त्र के अन्तर्गत दूसरा गणतन्त्र बनाने का आग्रह न छोड़े और हठपूर्वक यह कहे "हम भारत में पूर्णतया सम्मिलित न होंगे और हम जम्मू की जनता को आत्म-निर्णय की न्यायसंगत अभिव्यक्ति और भारत के साथ सम्पूर्णतया सम्मिलित होने की आज्ञा न देंगे तो मैं कहूंगा कि जम्मू और काश्मीर के प्रतिनिधियों को तीन विषय रक्षा, संचार तथा वैदेशिक कार्य को छोड़ किसी अन्य चर्चा में भाग लेने या मतदेने न दिया जाय। उन्हें हमारे भीतरी मामलों में भाग लेने का क्या अधिकार है? इस में जो विसंगति है उसका सामना करना होगा। मैं सर्वेन्ट आफ इण्डिया सोसाइटी के नामांकित सदस्य श्री कोदंडराव के विचार गर्भित भाषण से उद्धृण देता हूं:

"यदि महाराजा के डोगरा शासन के काले कारनामे हैं तो निज़ाम की रजाकार सरकार के और भी काले हैं। यदि महाराजा को सिंहासन च्युत करना न्यायसंगत था तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि निज़ाम को इससे कहीं अधिक दण्ड मिलना चाहिए। तो भी महाराजा को तो गद्दी से हटा दिया गया है, परन्तु निजाम को राजप्रमुख बना दिया

गया। भारत-सरकार ने निज़ाम के प्रति औदार्य दिखलाया जिसने उसकी उपेक्षा की थी किन्तु इसके विपरीत उसने मित्रवत् महाराजा के प्रति नीचतापूर्ण व्यवहार किया जिसने उसकी शरण चाही थी।"

आप देश के समक्ष यह कैसे कह सकेंगे कि आप संविधान के अनुच्छेद ३६६ (२१) के अधीन निज़ाम को राजप्रमुख के पद पर आसीन रखेंगे और काश्मीर के परम्परागत शासक को निकाल देंगे। यह प्रश्न इस संसद् के समक्ष लाया जाना चाहिए। संसद् को इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि झंडे के प्रश्न की ओर दुर्लक्ष नहीं किया जाना चाहिए। शेख अब्दुल्ला अवसरों के अनुरूप स्फूर्तिदायक तथा ओजस्वी भाषण देते रहे हैं। क्या हम किसी राज्य को उसका पृथक् झंडा रखने देंगे? क्या यह राष्ट्रीय ध्वज के प्रति शत्रुता का प्रतीक न होगा? क्या आप अन्य समस्त राज्यों को अपने पृथक् पृथक् झंडे रखने की आज्ञा देंगे? भारतीय संविधान में एक निर्वाचित राष्ट्रपति की व्यवस्था है जो राज्य का प्रमुख होगा। संघागों के लिये मनोनीत प्रमुखों का उपबन्ध है, चाहे वह राजप्रमुख के रूप में हो या राज्यपाल के रूप में। क्या आप काश्मीर को संविधान की अवज्ञा करने और अपनी मनमानी करने देंगे? मैं आशा करता हूं कि ऐसा न होने दिया जायेगा।

मैं प्रधान मंत्री तथा डाक्टर काटजू से अनुरोध करता हूं: इस संविधान के साथ खिलवाड़ न होने दीजिए। कश्मीर को पृथक् झंडा रखने का अवसर देकर विनाशकारी तत्वों को पनपने न दीजिए यह भयंकर परिवर्तन होगा। आप भारत के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं दिखलावेंगे। भारत ने काश्मीर की घाटी में १५० करोड़ रुपये खर्च किये हैं और भारतीय रक्त बहाया है। हम इस के बदले में ऐसा व्यवहार नहीं चाहते। हमारे प्रधान मंत्री तथा राज्य मंत्री को इस प्रकार के अतिलंघन के विषय में दृढ़ता से काम लेना चाहिये नहीं तो इस कार्यवाही से हमारे संविधान का अपमान होगा और देश के इस सर्वोच्च सत्ताधारी अंग की उपेक्षा होगी।

(**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे)

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर): उपाध्यक्ष जी आज हम उन स्टेट्स के बारे में सोच रहे हैं जोकि "बी" और "सी" क्लास स्टेट्स कही जाती हैं। इन स्टेट्स के विषय में पिछले मौकों पर हमारे बहुत सारे मित्रों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं। पार्लियामेंट में यह सवाल कई बार आया है कि हमारें देश में 'बी' और 'सी' क्लास में जो स्टेट्स हैं उनकी उन्नति आहिस्ता आहिस्ता ऐसी की जाय कि वे भी "ए" पार्ट स्टेट्स के समान जनतंत्रीय शासन चला सकें। पिछली पार्लियामेंट में सदस्यों ने यह जान कर कि यह ख्वाहिश उन स्टेट्स के रहने वालों की मुनासिब और स्वाभाविक है, इस बात का निर्णय किया कि जिन स्टेट्स में अभी तक जम्हूरी उसूलों पर शासन कायम नहीं वहां के लिये विधान में ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां पर भी जम्हूरी प्रजातंत्रीय शासन कायम हो सके। हम अपने उन तमाम सदस्यों के बहुत कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस स्वाभाविक ख्वाहिश को पहिचाना और हमारा समर्थन किया और उन के प्रयत्नों के फलस्वरूप इन "सी" स्टेट्स के अन्दर भी जम्हूरी

[श्री राधा रमण]

शासन कायम हुआ। मगर यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिये कि इन स्टेटों में जो आज शासन कायम है उस शासन के अन्दर अभी कुछ बातें ऐसी बाकी हैं कि जो लोक-प्रिय सरकार के अन्दर होनी चाहियें। मेरा यह विश्वास है कि ज्यों ज्यों ये इलाके या ये स्टेट्स अपने आप को काबू में करेंगे और प्रजातंत्रवाद के अनुसार अपने शासन को उन्नत करेंगे भविष्य में वहां पर भी उसी प्रकार का शासन कायम होगा जैसा कि हम पार्ट "ए" स्टेट्स में देखते हैं।

इसलिय जहां मैं अपनी सरकार का आभार प्रकट करता हूं वहां यह आशा रखता हूं कि हमारी सरकार इस विचार को अपने अन्दर सदा कायम रखते हुए इन स्टेट्स को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेट्स भी "ए" स्टेट्स की तरह ही अपने वहां राज्य शासन कायम कर सकेंगी।

दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वह यह है कि चन्द पार्ट सी स्टेट्स ऐसी ह जहां पर अभी तक कोई रिफ़ार्म्स् (सुधार) जो वहां के लोगों को मंजूर हो सकता है या जिसे लोग वहां पसन्द करते हैं, या चाहते हैं और जो कि तसल्लीबख्श कहा जा सकता है, वह अभी तक वहां नहीं दिये गये हैं। मेरा मतलब त्रिपुरा और मनीपुर आदि से है। जो भाई उन स्टेट्स से आये हैं उन को अगर आपने मौका दिया तो ये अपने विचार रखेंगे मगर मैं उनके विचारों का पूरा समर्थन करता हूं कि इन स्टेट्स में जो शासन की असुविधायें अभी तक मौजूद हैं उन्हें हमें जल्दी से जल्दी दूर करना चाहिये। आप ने और हमन सब ने देखा है कि पिछली पार्लियामेंट में इस बहस पर बहुत काफ़ी लोगों ने विचार प्रगट किये थे और बहुत से हमारे भाइयों ने यह माना था कि इन छोटे-छोटे स्टेटों को अगर हमने प्रजातंत्रीय शासन दिया तो उसका नतीजा यह होगा कि हम उनके खर्चों को बढ़ा देंगे और वहां के लोगों की तकलीफें बढ़ जायेंगी और बहुत सारे काम शायद ऐसे होंगे कि जिन से हमें नुकसान पहुंचे। लेकिन जिन-जिन राज्यों में आपने प्रजातंत्रीय शासन कायम किया वहां आपने देखा कि ऐलेक्शन (चुनाव) के ज़माने में एक नया जोश, एक नया उत्साह पैदा हुआ और वहां की जनता ने बड़े ज़ोरों के साथ कांग्रेस को कामयाब करके दिखाया। अगर आप ज़रा विचार करें तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश में जहां ऐसा शासन कायम हुआ वहां पर कांग्रेस को बहुत बड़ी मैजारिटी (बहुमत) आज मौजूद है। इसका कारण यही है कि वहां की जनता चाहती थी कि जिस प्रकार देश के दूसरे हिस्सों में राज्यशासन है उसी प्रकार का राज्यशासन उनके राज्य में भी हो। यह एक स्वाभाविक ख्याल था और उस स्वाभाविक ख्याल को पूरा करने पर जो नतीजा निकला वह बहुत अच्छा नतीजा आप ने देखा। अतः मैं यह अर्ज करूंगा कि मनीपुर, त्रिपुरा और इस प्रकार की जो स्टेट्स हैं जहां पर अभी तक प्रजातंत्रीय शासन कायम नहीं हुआ है वहां पर लोक-सभा को और हमारी सरकार को बहुत जल्दी ही कोई ऐसी शासन पद्धति निकाल कर चलानी चाहिये जिस से कि जनता का असंतोष खत्म हो जाये, वहां के लोग खुशहों और वहां के लोगों में एक नया जोश पैदा हो, जिस की वजह से वह शासन का भार अपने ऊपर लेकर आम जनता की भलाई की तरफ़ आग बढ़ सकें। मूझे पूरा विश्वास है कि

हमारी यह लोक सभा और यह सरकार इस तरफ पूरा ध्यान देगी और ये स्टेट्स जो कि अभी तक लोकप्रिय शासन से वंचित हैं उनको इस प्रकार का शासन प्रदान किया जायेगा जिस से वहां के लोगों को संतोष हो सके।

मैं इस सम्बन्ध में आज जब कि "सी" स्टेट्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली की स्थिति पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। दिल्ली एक छोटा सा राज्य है और इसमें २०-२२ लाख के करीब की जनसंख्या बसती है। यह राजधानी भी है। ६ महीने पहिले इस राज्य की हालत वही थी कि जैसी और दूसरी "सी" स्टेट्स की हालत थी। एक आन्दोलन हुआ, जनता ने एक आवाज़ उठाई, सारे हिन्दुस्तान में उसका कुछ असर हुआ, हमारी सरकार ने भी उस पर गौर किया और खास तौर पर हमारे नेता पंडित जवाहरलाल जी ने, जो कि जम्हूरी उसूलों के पाबन्द हैं और जो हमेशा एक सही और जायज़ मांग को सुनते हैं और इस के मुताबिक अमल करते हैं, इस आवाज़ को सुना और दिल्ली को एक "सी" स्टेट बना कर यहां पर लोकप्रिय सत्ता कायम की। बहुत से लोगों ने यह ख्याल किया कि इस सत्ता के कायम होने के बाद हमारा बहुत सारा काम खत्म हो जाता है और बहुत से लोगों को जो तकलीफें हैं वे भी बहुत कुछ खत्म हो जाती हैं।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दिल्ली दारुलखिलाफा होने की वजह से, एक राजधानी होने की वजह से, एक खास हैसियत रखता है। यहां पर जो कुछ भी काम होता है उस का सिर्फ हिन्दुस्तान पर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर भी असर होता है। साथ ही साथ यहां पर ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हमेशा इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि कोई न कोई गड़-बड़ का काम हो, कोई न कोई बात ऐसी बने जिस से कि कम से कम उन को यह मौका मिले कि वह इस स्टेट को कमजोर बना सके या उस को गिरा सकें। अभी चन्द दिन हुए कि आप लोगों के सामने एक मसला आया था और जिसका जवाब काटजू साहब ने यहां पर दिया था मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस मसले के अन्दर कांग्रेसमैन न होते या कोई कांग्रेसमैन का ख्याल नहीं होता, तो दिल्ली में किसी आदमी के कानों कान खबर भी न होती। वह मसला भी उसी तरह से चला जाता जिस तरह से आम मसले रोज चले जाते हैं। सिर्फ यह वजह होने से कि उस में कांग्रेसमैन शामिल थे, जो लोग हमेशा इस बात की ताक में रहते हैं कि जब कभी भी मौका मिले कांग्रेसमैनों पर वार करें और कांग्रेस वालों का नुकसान पहुंचायें। इन लोगों ने इस छोटी सी बात का फायदा उठाया और उसको बढ़ा चढ़ा कर सारे हिन्दुस्तान के अन्दर ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के बाहर तक फैलाया। यह एक बहुत अफसोसकुन बात है।

मैं चाहता हूं कि लोक-सभा के सदस्य और हमारी सरकार के नेता इस बात को ख्याल में लायें कि दिल्ली एक ऐसी जगह है, और दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी होने की वजह से एक ऐसी अहमियत रखती है कि अगर यहां पर एक छोटा सा मामला भी हो जाय जिस पर कहीं कोई गौर तक नहीं किया जा सकता वह यहां पर बड़ी से बड़ी शक्ल अख्तियार कर सकता है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जो इस तरह के शरारती लोग मौजूद हैं और जिन का सिर्फ एक ही मकसद है कि हिन्दुस्तान की हुकूमत कमजोर या बदनाम हो, वह ऐसी हरकतें करते रहते हैं और हमें उनसे होशियार

[श्री राधा रमण]

रहना चाहिये। और मैं यह कहूंगा कि ऐसे मौकों पर पार्ट "सी" वालों की जिम्मेदारी बहुत काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता दिल्ली को जो कि "सी" पार्ट में आता है, हमेशा अपने ख्याल में रखेंगे और उसकी हिफाजत करते रहेंगे। वह इस की उसी तरह से हिफाजत करेंगे जिस तरह से एक माता अपने बच्चे को पालती है और उसको हर मुसीबत से बचाती है या हर दिक्क़तों से बचती है और उस को बड़ा बनाती है। मुझे विश्वास है कि हमारे नेता दिल्ली स्टेट की इसी तरह से सहायता करते रहेंगे और यह आगे बढ़ती ही रहेगी।

इस समय इन बी और सी स्टेट्स में जो कमी दिखाई देती है अगर हमारी सरकार और इस सभा के सदस्य उनकी मदद करेंगे तो बहुत जल्द वह वक्त आयेगा जब कि यह कमियां सब खत्म हो जायेंगी और इस समय जो तीन किस्म की स्टेट दिखलाई दे रही हैं वह भी न रहेंगी। फिर इन तीनों स्टेटों के सवाल खत्म हो जायेंगे और यह तीनों एक बन कर सारे देश को एक मज़बूत मुल्क बनायेंगे। फिर हम को किसी तरह की भिन्नता शासन पद्धति में कहीं भी नहीं दिखलाई देगी। जिस तरह से ए पार्ट वाली सरकार अपनी जनता की सेवा कर रही है और लोकप्रिय बन गई है, उसी प्रकार बी और सी स्टेट वाली सरकारें भी लोक प्रिय बन जायेंगी।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट कर के अपना भाषण खत्म कर दूंगा। पिछली बार पार्लियामेंट में सी स्टेट्स में रहने वालों की ख्वाहिशों को देखते हुए विधान में संशोधन किया गया था। यह एक मुनासिब ख्वाहिश थी और जनता बहुत दिनों से इसको चाहती भी थी, जो कि हमारी सरकार और हमारे नेताओं ने पूरी की। मगर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल कर जो कमी इनके शासन में रह गई है और जिसकी वजह से पार्ट सी स्टेट्स के रहने वाले असन्तुष्ट हैं, हमारी सरकार इस कमी को भी पूरा कर देगी। इस कमी को पूरा करने से हमारा सारा देश एक जगह से दूसरी जगह तक एक हो जायेगा और सब का शासन प्रबन्ध भी एक ही तरह का होगा।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : मैंने इस अवसर के लिये काफ़ी लम्बा भाषण तैयार किया था, परन्तु समय के निर्बन्ध के अधीन और पहले वक्ता का भाषण सुन कर मैं ने अपने भाषण के रूप में परिवर्तन कर दिया। प्रथम वक्ता महोदय ने सांवैधानिक प्रश्न प्रस्तुत कर यह कहा कि काश्मीर संविधान सभा भारतीय संविधान की उपेक्षा कर रही है। मैं कोई सांवैधानिक विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु मुझे एक बात सुस्पष्ट है कि जनता का व्यक्त संकल्प किसी संविधान में समाविष्ट बड़े से बड़े नियम से हज़ारों गुना बढ़कर है। यदि काश्मीर की संविधान सभा यह निश्चय करे कि वहां महाराजा नहीं होगा तो आप को या विश्व की किसी शक्ति को क्या नैतिक अधिकार होगा, क्या शक्ति होगी, क्या सत्ता होगी कि वह कश्मीर की जनता से कहे "नहीं, आपको महाराजा रखना ही होगा।" मैं उन माननीय मित्र से पूर्णतया सहमत हूं कि निज़ाम के साथ पक्षपात पूर्ण व्यवहार किया गया और यही नहीं समस्त महाराजाओं तथा राजप्रमुखों के प्रति बड़ा सदय तथा नर्मी का बर्ताव किया गया जो वस्तुतः जन इच्छा के प्रतिकूल है, हमारे लिये सुसंगत तो यह होगा कि इस सिद्धान्त को तत्काल स्वीकार कर प्रत्येक राजा, महाराजा तथा हैदराबाद के निजाम को निकाल

माननीय सदस्य ने यह प्रश्न रखा : एक गणतन्त्र के अन्तर्गत दूसरा गणतन्त्र क्यों ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं "क्या आप सांवैधानिक प्रयोगों के समस्त इतिहास में से एक भी ऐसा उदाहरण दे सकेंगे जिसमें एक गणतन्त्र के एक ओर एक मुकुट है—मेरा संकेत आंग्ल सम्राट से है और दूसरी ओर दर्जनों मुकुट हैं—मेरा अर्थ देशी नरेशों से है। अतः यहां अनेकों विचित्र बातें हैं। यह जनतन्त्र नहीं है।

माननीय सदस्य को काश्मीर के झंडे पर आश्चर्य होता है। आप मैसूर जाएँ जहां आप उसकी पृथक् पताका फहराती हुई पायेंगे। त्रावनकोर-कोचीन आइए जहां आप दूसरे प्रकार का ध्वज फहराता हुआ पायेंगे।

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): जी नहीं।

श्री पुन्नूस : ये झंडे रज्यवंशों के हैं। इनमें और काश्मीर के झंडे में यही अन्तर है कि वह जनेच्छा द्वारा चुना गया है। हम काश्मीर की जनता के साथ हैं और हम कांग्रेस मंत्रिमण्डल तथा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करेंगे कि वह इस स्थिति को इसी क्षण स्वीकार करले। हमें काश्मीर के इस प्रश्न के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। संविधान सभा ने कहा है कि वह भारतीय संघ में प्रविष्ट हो चुकी है। इस वस्तुस्थिति को मान लिया जाए और यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ से निकाल लिया जाये।

काश्मीर को तीन ही विषयों के सम्बन्ध में भारत में सम्मिलित होना चाहिये। मैं एक ऐसे राज्य से आया हूं जो समस्त विषयों में भारतीय संविधान में शामिल होने के फलस्वरूप घोर कष्ट उठा रहा है। डा० काटजू हमें यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह सर्वांग सुन्दर है, यह एक आदर्श है जो जनता की दृष्टि में वस्तुतः नहीं है।

यह कहना कि हमारे राज्यों अथवा इन राज्यों में से किसी में जनप्रिय मन्त्रि-मण्डल है एक विडम्बना है। ये मंत्रिमण्डल केन्द्र के हां हजूरों से भरे हुए हैं जो जनता को खुश रखने की अपेक्षा केन्द्र के लोगों को प्रसन्न रखने के लिये अधिक प्रयत्नशील होते हैं।

चुनाव आन्दोलन में हर कांग्रेसी यह कहता फिरता था : देखो भाई, कम्युनिस्ट (साम्यवादी) या संयुक्त मोर्चे को मत देने से क्या फायदा। हमारे हाथ में केंद्र है और चाहे जो भी दल सत्ताधारी बन जाय या जो भी सरकार बनाई जाय, जनता हमारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगी क्योंकि केंन्द्र हमारे हाथ में है। क्या यह जनतन्त्र है? त्रावनकोर-कोचीन के भूतपूर्व मंत्रि-मण्डल के एक मंत्री ने मुझे बतलाया कि परामर्शदाता नियुक्त किये जाने की आशंका के कारण वे मन्त्री नहीं बनेंगे। मंत्रिगण इस परामर्शदाता की संरक्षणता में जनतंत्र का पाठ पढ़ेंगे।

श्री ए० एम० टामस (ऐरणाकुलम) : उसी मंत्री महोदय ने अपने शासन काल में परामर्श-दाता रखने की सम्मति दी थी।

श्री पुन्नूस : हो सकता है; यह तो कांग्रेस नेताओं की विसंगति है।

इसका परिणाम यह हुआ कि मन्त्रियों के प्रति जनता का आदर कम होता जा रहा है। केंद्र हर बात में हस्तक्षप कर रहा है।

एक हास्यास्पद घटना हुई। भूतपूर्व मुख्य सचिव ने एक परिपत्र जारी किया कि मंत्रियों को कोई फाइल (कागज़ात) न भेज जाय। हुआ क्या? मंत्रिगण ने भर्त्सनात्मक संकल्प पास किया।

[श्री पुन्नूस]

निजी थैलियों के लिये ४ १½ करोड़ की राशि पृथक् क्यों रखी गई है? क्या देशी नरेश इतने निर्धन हैं? उनके पास लाखों रुपये नक़द जमा हैं।

राज्यों में जनता जब मंत्रियों के पास सहायता के लिये जाती है वे कहते हैं "देखो भाई, हमारे पास पैसा है ही नहीं सब बातें केंद्र के पास चली गई हैं।" जब हम केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष शिकायतें ले जाते हैं तब वे कहते हैं "क्यों आप के मित्रगण वहां हैं।" मैं अपने पक्ष की ओर से कांग्रेस सरकार से अनुरोध करता हूं कि संविधान का संशोधन कर निजी थैलियां देना बन्द कीजिये।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम): अति वेतनदायी पदों के बारे में क्या हो?

श्री पुन्नूस: वह सब बाद में किया जा सकेगा। भाग ग में के राज्य जन संख्या में कम हैं। उन्हें तुरन्त तोड़कर भाषावार राज्यों में पुनः मिला दें।

श्री सी० आर० इय्युन्नी (त्रिचूर): मैं आपका आभार मानता हू कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया।

मैं कोचीन राज्य से सदस्य चुना गया हूं। हम शिक्षण में भारत भर में प्रथम हैं। डाक्टरी सहायता के विषय में हम भारत के किसी भी राज्य से होड़ ले सकते हैं।

हम पड़ोसी राज्य त्रावनकोर से मिला दिये गये। इस एकीकरण के पश्चात् हमारी दशा बहुत ही गिर गई। त्रावनकोर का प्रशासन स्तर कोचीन के प्रशासन स्तर से कहीं नीचा था। वहां भ्रष्टाचार बहुत अधिक पाया जाता है। एकीकरण हुए ढाई से तीन वर्ष हुए, परन्तु सेवाओं का एकीकरण अब तक पूर्ण नहीं हो पाया है। छः सदस्यों के मन्त्रिमण्डल में कोचीन के दो ही सदस्य होंगे और ४ हों तो केवल १ ही। ट्रावनकोर के पदाधिकारियों का वेतन कोचीन के पदाधिकारियों की अपेक्षा अधिक है। दोनों सेवाओं के एकीकरण की दिशा में कुछ भी नहीं किया गया। इस विषय का निर्णय संविधान के अनुच्छेद ३७१ के अधीन अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति पर निर्भर है।

त्रावनकोर-कोचीन में हम कोचीन वाले निर्बल तथा गौण भागीदार है। हमें त्रावनकोर वासी पैरों तले रौंद रहे हैं। हम अपना क्रन्दन केन्द्र अथवा राष्ट्रपति को ही सुना सकते हैं। परामर्शदाता केन्द्र का प्रेक्षकमात्र होगा। वह प्रशासन में हस्तक्षेप न कर सकेगा। वह मंत्रियों को परामर्शमात्र दे सकेगा कोचीन तथा त्रावनकोर दोनों ही में लगभग २७ वर्ष से विधान सभाएं हैं परन्तु त्रावनकोर ने अब तक प्रशासन दक्षता नहीं प्राप्त की है।

हमें न्याय नहीं मिला। यदि केंद्र अथवा राष्ट्रपति ने हमारी पुकार न सुनी तो हम कदाचित ही चल सकें। यदि अवस्था इसी प्रकार बनी रही तो हम विधयन का स्वागत करेंगे।

यदि त्रावनकोर-कोचीन में परामर्शदाता की नियुक्ति नितान्त आवश्यक है तो मैं कहूंगा कि अन्य राज्यों में उससे भी अधिक आवश्यकता होगी क्योंकि वे राजनैतिक स्तर में त्रावनकोर कोचीन राज्य से कहीं नीचे हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि संकीर्णता अथवा अन्य हितों के कारण जिन राज्यों में मानव मानव में भेदभाव बरता जाता है वहां मन्त्रणाकार की नियुक्ति नितान्त आवश्यक है

श्री माधव रेड्डी: श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय कब्ल इसके कि मैं कटौती प्रस्ताव नम्बर ४०१ पर अपने विचार आप के सामने रक्खूं मैं जरूरी समझता हूं कि स्टेट्स मिनिस्ट्री की पालिसी के बारे में कुछ कहूं। यह दावा अक्सर किया जाता है कि स्टेट्स मिनिस्ट्री ने हिन्दुस्तानी रियासतों के मसले को बड़ी खूबी से हल किया। मैं अब इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि कहां तक यह दावा सही है, मगर हिन्दुस्तानी रियासतों के मामले में स्टेट्स मिनिस्ट्री की हमेशा यह नीति रही है कि हिन्दुस्तानी रियासतों के अवाप्त पर स्टेट्स मिनिस्ट्री अपनी मर्जी के फैसले को थोपे। मैं हैदराबाद से आता हूं और वहां के बारे में ही मैं बात कहता हूं। पुलिस एक्शन (आरक्षी कार्यवाही) के बाद हैदराबाद के लोगों से यह वायदा किया गया था कि हैदराबाद की किस्मत का फैसला हैदराबाद के अवाम ही करेंगे। जब वजीवे आजम हैदराबाद आये थे, तो उन्होंने हैदराबाद के पांच लाख लोगों को मुखातिब करते हुए कहा था कि हैदराबाद की किस्मत का फैसला और निजाम का फैसला हदराबाद के लोग ही करेंगे और स्वर्गवासी सरदार पटेल जब हैदराबाद में आये थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि हैदराबाद की किस्मत का फैसला हैदराबाद के लोग ही करेंगे। स्टेट्स मिनिस्ट्री का जो व्हाइट पेपर (स्वेतपत्र) शाया हुआ और निजाम ने जो फरमान जारी किया और जिस की बिना पर हैदराबाद का ताल्लुक हमेशा के लिए रिपब्लिक आफ इंडिया (भारतीय गणतन्त्र) से किया गया और जिस में साफ तौर पर उन्होंने कहा :

> "मैं यह भी ज़ाहिर करता हूं कि मैंने उक्त निर्णय पूर्ण विचार के पश्चात् किया है ताकि संयुक्त तथा जनतन्त्रीय भारत में हैदराबाद की जनता के लिये सम्मान-पूर्वक भागीदारी सुनिश्चित हो जाये और इसके व्यापक प्रभावकारी होने के कारण यह निर्णय इस राज्य की जनता की राय के द्वारा अनुसमर्थित होगा जो शीघ्र ही घटित होने वाली संविधान सभा द्वारा व्यक्त किया जायेगा। वही सभा इस राज्य तथा भारतीय संविधान के परस्पर सम्बन्ध तथा स्वरूप का, तथा इस राज्य के संविधान का अन्ततोगत्वा निश्चय करेगी।"

और स्टेट्स मिनिस्ट्री का यह व्हाइट पेपर जो शाया हुआ, उस में साफ तौर पर यह कहा गया कि:

> "उद्घोषणा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निजाम के द्वारा किया गया निर्णय जनता की पुष्टि के अधीन होगा जिसकी राय राज्य की संविधान सभा द्वारा व्यक्त की जायेगी जो केन्द्र से राज्य के सम्बन्ध के स्वरूप का तथा राज्य के संविधान का, अन्ततोगत्वा निश्चय करेगी; तथा
>
> "भारत-सरकार ने बारंबार यह घोषणा की है कि इस राज्य का राजनैतिक भविष्य तथा भारत से इसका सम्बन्ध ऐसे विषय हैं जिनका निर्णय इस राज्य की जनता ही करेगी।"

फिर उस के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे हैदराबाद के इस मसले को सेन्टर (केन्द्र) ने अपने हाथ में लिया। हैदराबाद के सोलह लोगों को कांस्टीटुएन्ट असेम्बली (संविधान सभा)

[श्री माधव रेड्डी]

नामजद किया, नामिनेट मनोनीत किया जिन्होंने हैदराबाद की किस्मत का फैसला किया और स्टेट्स मिनिस्ट्री दावा कर सकती है कि हम ने तो हैदराबाद की किस्मत का फैसला हैदराबाद वालों पर छोड़ दिया और जो वहां के सौलह नुमाइन्दे यहां आये थे, उन्होंने फैसला किया था और मंजूर किया था कि हैदराबाद को पार्ट बी स्टेट्स में शामिल किया जाय। ठीक है, अगर इस से यह मतलब निकाला जाय कि वह फैसला हैदराबाद के लोगों ने वहां के अवाम ने किया, तो यह बात सही है।

इसके बाद हैदराबाद के कई मामलों में खास तौर पर फायनेंसियल इंटेग्रेशन (वित्तीय एकीकरण) के मामले में हैदराबाद का दस करोड़ का नुकसान हुआ, जो आमदनी उस को ऐक्साइज (उत्पादन) रेलवे और इनकम टैक्स वगैरह से थी, उस को इस इंटेग्रेशन से करीब दस करोड़ का नुकसान हुआ, हालांकि मैसूर को तकरीबन सिर्फ २ करोड़ का नुकसान हुआ लेकिन उस को दस करोड़ के लगभग सबवेंशन (अनुसाह्य) मिलता है, इस के बरखिलाफ हैदराबाद की इतनी बड़ी स्टेट को जिस की आमदनी फ्रायनेंसियल इंटेग्रेशन से पहले दस करोड़ की थी, उस को सबवेंशन के तौर पर केवल १ करोड़ २५ लाख या १ करोड़ ३० लाख दिया गया, मुझे ठीक तौर से इस समय फिगर (आंकड़े) याद नहीं हैं, लेकिन वह डेढ़ करोड़ के अन्दर है।

तो यह तो रहा हैदराबाद के बारे में खास तौर से जो ऐग्रीमेंट (करार) किया गया वह हैदराबाद के लोगों से नहीं किया गया; वह ऐग्रीमेंट स्टेट और स्टेट्स मिनिस्ट्री के बीच में हुआ। हम यह मानने के लिय तैयार नहीं हैं कि वह एंग्रीमेंट हैदराबाद के लोगों से किया गया। क्योंकि जिस वक्त फाइनेन्शल ऐग्रीमेंट किया गया उस वक्त हैदराबाद की हुकूमत की बागडोर आप के हाथ में थी, हैदराबाद की हुकूमत हैदराबाद के लोगों के हाथ में नहीं थी। इसलिये मैं आप से यह दरख्वास्त करूंगा कि फाइनेन्शल इन्टेग्रेशन (वितीय एकीकरण) के बारे में जो ऐग्रीमेंट (करार) है उसको रिवाइज (पुनरीक्षित) किया जाय और हैदराबाद की ऐसेम्बली में उस को पूरी तरह डिस्कस (चर्चा) किया जाय और अजसरे नौ समझौता किया जाय।

इसके बाद हैदराबाद के कई मामलों में खास तौर से अभी अभी सैन्टर ने फैसला किया कि उस्मानिया युनिवर्सिटी को सेन्टर ले ले। अगर इस मौके पर मैं यह भी कहूं कि इस के बारे में भी हैदराबाद के लोगों से पूछा नहीं गया तो बेजा न होगा। क्योंकि हदराबाद में स्टेट कोन्सेलर बैठा हुआ है जो इस बारे में अपना दखल रखता है। हैदराबाद के कई लोगों ने, उस्मानिया युनिवर्सिटी की सेनेट (अधिसभा) ने और कई युनियन्स (संघों) ने यह डिमाड (मांग) किया कि वह मसला ऐसा है कि जिस को हैदराबाद की ऐसेम्बली (सभा) में रखा जाय और वहां पर यह डिस्कस हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उस्मानिया युनिवर्सिटी को आप न लें। लेकिन कम से कम हैदराबाद के लोगों के सेन्टीमेंट (जज़बात) का ख्याल करें। मैं यहां दिल्ली इम्पीरियलिज्म या और किसी इम्पीरियलिज्म (साम्राज्यवाद) की बात नहीं कहता मैं यहां इस चीज को भी नहीं लाना चाहता जो यहां हिन्दी वर्सेज नान हिन्दी, नार्थ वर्सेज साउथ या इस तरह की चीजों के बारे में लाई जाती है। लेकिन फिर भी हैदराबाद में जो ऐटीट्यूड (भाव) रहा है उस को मैं दिल्ली इम्पीरियलिज्म कहूं तो बेजा न होगा।

फिर कांसेलर की बात लीजिय। हैदराबाद में स्टट कौंसेलर को एप्वबाइ-ट (नियुक्त) किया गया। इस्तदलाल यह है कि हैदराबाद के लोग इतने काबिल नहीं हैं। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेशन साउन्ड (सबल) नहीं है। मैसूर के बारे में फसला किया गया, मैसूर न ऐग्जेम्पशन (छूट) मांगा और आपने फैसला किया कि मैसूर को ऐग्जैम्पट किया जाय। वहाँ कांसेलर नहीं है। इस्तदलाल यह है कि हैदराबाद स्टेट के लोग काबिल नहीं हैं। ठीक है, हैदराबाद की हुकूमत तीन चार साल तक आपके हाथ में रही। स्टेट्स मिनिस्ट्री के हाथ में रही। स्टेट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया, किस हद तक अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, किस हद तक आप उसको जायज समझेंगे स्टेट्स मिनिस्ट्री ने जो कुछ तीन सालों के अन्दर किया। मैं इन बातों की तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन खास तौर पर ला एण्ड आर्डर (विधि और व्यवस्था) के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तेलंगाना के बारे में कई दफा यहां बहस उठाई गई। स्टेट्स मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया कि हमने तेलंगाना में अमन कायम किया। अब तो वहां पूरी पीस (शान्ति) है, कोई गड़ बड़ी नहीं है। सारे तेलंगाना में अमन कायम हो गया यह बहुत बड़ा काम था जिसे स्टेट्स मिनिस्ट्री ने किया अगर इस को मान लिया जाय कि आपने तेलंगाना में अमन कायम किया, उसमें आप को कामयाबी हुई लेकिन जिस ढंग से वहां अमन कायम किया गया वह किसी मोहज्जब हुकूमत के लिए फखर की बात नहीं हो सकती। आप की इंडियन यूनियन (भारतीय संघ) से, ऐड-ज्वाइनिंग प्राविन्सेज (पड़ौसी प्रान्तों) से मध्य प्रदेश से, मैसूर से, बिहार से जो पुलिस आपने वहां भेजी उन्होंने क्या किया। कोई जाकर देखे कि उन्होंने क्या किया है। सारे तेलंगाना में दहशत फैला रक्खी है। हुकूमत की यह पालिसी रही है, मैं स्टेट्स मिनिस्ट्री पर यह इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि उस की पालिसी यह रही है कि कम्यूनिस्ट टैरर (साम्यबाद जन्य भय) का मुकाबला काउन्टर टैरर (साम्यवाद विरोधी भय) से किया जाय। अगर कम्युनिज्म को खत्म करना है तो एक ही रास्ता है कि जुल्म करो। स्टेट गवर्नमेंट की हमेशा यह पालिसी रही है कि सब लोग गांव के कम्युनिस्ट हैं। इसलिए उन पर जुल्म करो, जिसमें वह मजबूर हो कर कम्युनिस्टों को पकड़ा दें, या उनके खिलाफ हो जायें। इस पालिसी का नतीजा क्या हुआ ? फिर कम्युनिस्ट भाई क्या कहते हैं, कई दफा उन्होंने ऐलान किया कि हमने तेलंगाना में पेजेंट रिवोल्ट (किसानों का बल्वा) किया, पेज़ेन्ट्स थे, जिन्होंने रिवोल्ट किया, पुलिस और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ रिवोल्ट किया। यह कह कर वह सारी दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हैदराबाद के लोगों को धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं तेलंगाना से आता हूं और दावा कर सकता हूं कि मैं तेलंगाना के बारे में कुछ जानकारी रखता हूं। मुझे अफसोस है कि इस से पहले मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, अब भी केवल दस मिनट ही मिले हैं, इसलिये मैं तफ़्सील से कुछ नहीं बतला सकता, लेकिन तेलंगाना में जो कुछ हुआ था हुकूमत या कम्युनिस्टों के लिये कोई शान की बात नहीं है। कम्युनिस्ट भाइयों ने चुनाव के जमाने में खास तौर से ऐलान किया था कि हमने हथियार नीचे डाल दिये। हम आइन्दा नहीं लड़ेंगे। हमको वोट दो। किसानों को धोखा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम वायदा करोगे, अगर हथियार नीचे डाल दोगे, और आइन्दा कभी हथियार ले कर गांव में नहीं आओगे तो हम तुम को वोट देंगे, यह कह कर वोट

[श्री माधव रेड्डी]

दिया । मगर अब हालत यह है कि कम्युनिस्ट लोग अभी भी हथियार लेकर गांवों में आते हैं, अब भी गड़बड़ी करते हैं, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी कान्स्टीट्यूऐन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) में अब भी कम्युनिस्टों के दल घूमा करते हैं, और वहां से बराबर मजालिम की रिपोर्ट मिला करती है। वह जगह जगह तेलंगाना में टैक्स वसूल कर रहे हैं, खून तो अब भी नहीं होते, लूट मार नहीं होती, लेकिन वहां पर डबल टैक्स वसूल किया जाता है। एक तरफ आप टैक्स वसूल करते हैं, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट करते हैं, और इस डबल टैक्स के बीच में तेलंगाना पिस रहा है, मेरे पास कई लोगों के स्टेटमेंट्स (बयान) हैं, कि कम्युनिस्ट आते हैं, रातों में हथियार ले कर गावों में घूमते हैं, और पैसा मांगते हैं, और सब लोगों को देना पड़ता है। उन से कहा जाता है कि पीपुल्स गवर्नमेंट (जनता की सरकार) के लिये चन्दा चाहिये। नहीं दोगे तो मकान जला देंगे और कत्ल करेंगे, और जब दे दिया जाता है मजबूर हो कर, तो दूसरे दिन पुलिस आती है, अक्सर मैं ने देखा है कि पुलिस वहां क्या करती है। पुलिस यह समझती है कि किसान खुशी से देते हैं, किसान कम्युनिस्टों का साथ दे रहे हैं। वह यह नहीं महसूस करते कि जो दहशत और डर कम्युनिस्टों ने वहां फैला रक्खा है उस की वजह से यह करना पड़ता है। पुलिस दूसरे दिन जाती है पता चलाती है कि किस किस ने दिया और तब उनको डिटेन (नजर बन्द) कर लिया जाता है। मैं जानता हूं कि मेरी कान्स्टिट्यूएन्सी में सौ से ज्यादा आदमी डिटेन हुए थे, भले ही कुछ बाद में छूट गये, जिन्होंने भी चन्दा दिया था कम्युनिस्टों से मजबूर हो कर दिया था। चूंकि आप नाकामयाब हुए थे, आप में इतनी शक्ति नहीं थी कि आप उनकी रक्षा कर सकते। ऐसे मामले भी हैं कि कुछ लोगों को डिटेन नहीं किया गया, पुलिस उन से रिश्वत ले कर, सुपरटैक्स (अधिकर) ले कर उन को छोड़ देती थी। मैं बता सकता हूं कि अक्सर अगर कम्युनिस्टों ने दस हजार जमा किया तो पुलिस ने कुछ कम किया। पांच हजार या छः हजार उन्होंने भी किया। कम्युनिस्टों ने कई दफा जनरल एमनेस्टी (सामान्य सर्वक्षमा) के मसले को उठाया। मुझे इस के बारे में कुछ कहना नहीं है, यह आप लोगों के आपस का मामला है।

मैं तो कहूंगा कि हुकूमत को तेलंगाना में अभी हथियार नहीं मिलने वाले हैं। यहां आप की पुलिस रही, लेकिन अब भी कम्युनिस्ट जंगलों में हथियार ले कर घूमते हैं। उन को न आप का खौफ है और न उन के पकड़े जाने की उम्मीद है। जब तक आप किसानों को अपने विश्वास में नहीं लेते तब तक आप को कामयाबी होने वाली नहीं है। जब तक आप यह समझते रहेंगे कि किसान कम्युनिस्टों के साथ मिल कर रहते हैं तब तक आप किसानों को अपने साथ नहीं ले सकते और आप को हथियार नहीं मिलने वाले हैं। आखिर, मैं इतना कह कर रुखसत लेता हूं कि यह हैदराबाद का मसला हैदराबादियों पर ही छोड़ दिया गया होता तो आज हैदराबाद का कुछ दूसरा ही नक्शा होता।

श्री कृष्णाचार्य जोशी (यादगिर) : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के हैदराबाद के मेरे दोस्त ने स्टेट मिनिस्ट्री के निस्बत अभी यह फरमाया और यह तस्वीर हाउस के सामने पेश की कि जब से स्टेट

मिनिस्ट्री के अफसरान वहां गये तब से बहुत मज़ालिम कर रही है। वहां जो पुलिस वगैरह गई थी उस ने जो देहातियों पर मज़ालिम किये उस की उन्होंने बहुत लम्बी फेहरिस्त बतलाई। लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि हैदराबाद में पुलिस एक्शन (पुलिस कार्यवाही) के बाद क्या हालात थे ? हैदराबाद में रजाकारों के जमाने में जो हालात थे और जो मज़ालिम और केआस (अव्यवस्था) की हालत थी उस को सब लोग जानते हैं चाहे वह इंडियन यूनियन के रहने वाले हों या हैदराबाद के रहने वाले हों। और सब लोग यह भी जानते हैं कि किस तरह से स्टेट मिनिस्ट्री ने अपने आफिसर्स के जरिये से ला एण्ड आर्डर (विधि और व्यवस्था) कायम किया और उन हालात का मुकाबला किया। स्टेट मिनिस्ट्री ने वहां जा कर ला एण्ड आर्डर कायम किया और इस तरह से वहां के लोगों को इत्मीनान की सांस लेने का मौका दिया इस के लिये चाहिये तो यह था कि वह स्टेट मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करते। वह एक मासूम की तरह से यह बतला रहे हैं कि वहां कम्युनिस्टों ने कुछ नहीं किया। कम्युनिस्टों के निस्बत और तेलंगाना के मसायल के निस्बत आज तक काफी बहस हो चुकी है। जितने बार उन के मज़ालिम के बारे में कहा गया कि लूट, मार, कत्ल व गारत कर के किस तरह से उन्होंने देहातियों की जिन्दगी को नामुमकिन बना दिया था। मैं अर्ज़ करूंगा कि न सिर्फ देहात में रहने वाले लोगों पर मज़ालिम किए गये हैं बल्कि उन लंबाडे व आदिवासी पर भी मज़ालिम किए जाते हैं जो कि जंगलों में झौंपड़ियां डाल कर रहते हैं इसलिये कि उन से छिपन के लिये मदद चाही जाती है। उस का नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को अपने झौंपड़े छोड़ कर दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से उन की दहशत की पालिसी का यह नतीजा हुआ कि देहातों में एक इन्तिशार (बेचैनी) पैदा हो गया है और देहात के लोग इस कदर परेशान हैं कि बहुत से लोग तो आ कर शहरों में बस गये हैं और देहात खाली हो रहे हैं। देहात की मुआशी हालत बहुत खराब हो गई है। अब कहते हैं कि यहां अमन हो गया है। यह सही हैं कि इलेक्शन (निर्वाचन) के बाद वहां पहले के से हालात तो नहीं हैं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यह एक तूफ़ान के आने से पहले वाली खामोशी है। इस वास्ते मैं यहां की स्टेट मिनिस्ट्री से यह अर्ज करूंगा कि वह काफी एहतियात करे। वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो अखराजात पुलिस के लिए मांगे हैं वह मसला ऐसा है कि उस पर गौर होना चाहिए, इस वजह से साबिक में काफी अनुभव उठा चुके हैं। इस कम्युनिस्ट मूवमेंट (साम्यवादी आन्दोलन) की वजह से न सिर्फ हैदराबाद पर ही बल्कि हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स पर भी बहुत बुरा असर हुआ है। यह तेलंगाना का मसला सिर्फ हैदराबादियों का मसला नहीं है बल्कि यह मसला एक आल इंडिया प्राबलम हो गया है। अगर हिन्दुस्तान में अमन कायम रखना है तो तेलंगाना के मसले को खास अहमियत दी जाये और स्टेट मिनिस्ट्री को चाहिये कि उस को अच्छी तरह से डील (व्यवस्था) करे और वहां के फाइनेन्स मिनिस्टर ने जो फाइनेन्शल (वित्तीय) मदद मांगी है वह दे दे।

दूसरी चीज में यह अर्ज करना चाहता था कि आज जो यह कहा जाता है कि

[श्री कृष्णाचार्य जोशी]

ए० स्टेट और बी० स्टेट में जो फर्क रखा गया है उस को निकाला जाय और स्टेट मिनिस्ट्री जो कंट्रोल बी० स्टेट्स पर रखती है उस को भी बर्खास्त किया जाय। यह मतालबा एक हद तक सही हो सकता है। लेकिन जिन स्टेट्स को पहले से कोई डेमोक्रेटिक एक्स-पीरिएंस (जनतंत्रीय अनुभव) नहीं थे और जहां पहले से डिमाक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स (जनतंत्रीय संस्थायें) नहीं थे, उन के लिए नई हालत काफी तकलीफ़देह थी। हैदराबाद का मसला एक खास अहमियत रखता है। पुराने जमाने में हैदराबाद में कोई डिमाक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था न वहां के लोगों को डिमाक्रेसी का तजुर्बा था। जनरल इलेक्शन (आम चुनावों) के बाद वहां असेम्बली (सभा) बनी है और मिनिस्ट्री बनी है और वहां अब डिमाक्रेटिक इंस्टीट्यूशन्स शुरू हुए हैं। वहां स्टेट मिनिस्ट्री के मश्विरे से काम होता है। लेकिन इस का मतलब यह है कि रोजमर्रा मामलों में दस्त-अन्दाज़ी की जाती है। स्टेट्स मिनिस्ट्री तो सिर्फ मश्विरा देती है खुसूसन उन स्टेटस को जिन को कि डिमाक्रेसी का तजुर्बा नहीं है। इस में किसी स्टेट का कुसूर नहीं है। लेकिन यह वाकया है कि नेटिव स्टेट्स (देशी राज्य) डिमाक्रेसी अनुभव में पीछे थीं। आप बम्बई और मद्रास को लीजिए। वहां यह हालत नहीं थी जो कि हैदराबाद में थी। हैदराबाद में फ्यूडलिज्म (सामन्तशाही) था और वहां डिमाक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं था ऐसी हालत में अगर स्टेट मिनिस्ट्री वहां के लोगों को मदद करती है तो यह कोई बेजा दस्तन्दाजी नहीं समझी जानी चाहिये। अलबत्ता यह काउंसलर (परामर्शदाता) को मुकर्रर करने का मसला काबिले गौर है। काउंसलर के मुकर्रर करने के बारे में मेरी यह राय है कि इस का अख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया जाय, और अगर वह जरूरत समझे तो काउंसलर मुकर्रर कर ले।

इस के अलावा मैं एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं। वह यह है कि हैदराबाद में जो मसला युनिवर्सिटी (विश्वविद्यालय) के निस्बत उठाया गया है। वह काबिले गौर है। हाल ही में मैं हैदराबाद गया था। वहां हिन्दी युनिवर्सिटी बनाने के निस्बत काफी ऐजिटेशन (आन्दोलन) हो रहा है। वहां अब तक उर्दू युनिवर्सिटी थी। वहां के रहने वाले लोगों में से ८० लाख के करीब तेलगू बोलते थे, ५० लाख मराठी और ३५ लाख कन्नड बोलते हैं। यहां के लोगों की मर्जी के खिलाफ वहां एक जमाने में उर्दू युनिवर्सिटी बनाई गई थी। और उसी का नतीजा था कि हैदराबाद एंजूकेशन के मामले में काफी तरक्की नहीं कर सका। अब बाज लोग यह ख्याल करते होंगे कि हिन्दी युनिवर्सिटी बनाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यह ठीक है कि वहां के लोग हिन्दी के खिलाफ नहीं है। लेकिन वहां के लोगों का ख्याल है कि सिर्फ स्क्रिप्ट (लिपि) को बदल कर हिन्दी युनिवर्सिटी बनाने से फिर से उर्दू को ही जारी किया जायेगा। उन का यह ख्याल है कि इस वक्त हिन्दी युनिवर्सिटी न बनाई जाय। आज वहां इस की मुखालिफत हो रही है। इस वास्ते आज के हालात के लिहाज से मैं अर्ज करूंगा कि इस

मसले को अभी दोबारा सोचा जाय या इस वक्त इस को मुल्तवी कर दिया जाय। और इस के निस्बत एक ऐसी कमेटी कायम की जाय जो आफिशियल्स (सरकारी) और नानआफिशियल्स (ग़ैर सरकारी) की हो और वह इन मसलों को समझ कर कोई तजवीज पेश करे और उस के बाद कोई फैसला किया जाय।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अपनी तक़रीर को खत्म करता हूं।

डा० एस० पी० मुखजी : सीमित समय के कारण मैं केवल काश्मीर पर ही बोलूंगा।

काश्मीर पर बोलने में कुछ झिझक तथा विमर्श से बोलना स्वभाविक ही है, क्योंकि हमें कोई ऐसी बात न कहनी चाहिये जिससे पाकिस्तान का पक्ष सबल हो जाय और सुरक्षा परिषद में अपने मामले पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ना सम्भव हो। परन्तु हाल की घटनाओं से अत्यन्त संशय सा उत्पन्न होता है और हम यह जानना चाहेंगे कि काश्मीर के विषय में भारत की स्थिति क्या है। मैं विशेषतः प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे उन लोगों के साथ सत्र से काम लें जो उन की काश्मीर सम्बन्धी नीति से भिन्न मत रखते हैं। इससे क्या लाभ कि हम एक दूसरें को साम्प्रदायिक या प्रतिक्रियावादी कहें, उन्हें यह ध्यान में रखना चाहिये कि इस समस्या के समाधान के विषय में उन के और हमारे दृष्टिकोण में आमूल मतभेद है। हम आपस में तथा काश्मीर के प्रतिनिधियों के साथ इस प्रश्न की ब्यौरे वार विवेचना कर न्तोषजनक समाधान ढूंढसकते हैं प्रयत्नशील हैं कि कोई सन्तोषजनक समाधान हो सके जिससे काश्मीर भारत के आन्तर्गत रहे।

सांवैधानिक पहलू पर मेरे मित्र श्री एन० सी० चटर्जी ने प्रकाश डाला ही है। मैं उन की दलीलों को दुहराऊंगा नहीं। कश्मीर सभा के हाल के कृत्य तथा उस की सिफारिशें भारतीय संविधान के अधीन किस सीमा तक सूक्ष्मतः समर्थनीय हैं इसका उत्तर डा० काटजू ही देंगे। किन्तु मैं कुछ समय के लिये संविधान की सीमाओं से परे जाऊंगा। झंडे का प्रश्न सम्मुख है। संविधान सभा द्वारा किये गये विनिश्चय की गम्भीरता को कम करने का प्रयास प्रधान मन्त्री जी ने कल प्रेस सम्मेलन में किया था, दो दिन पहले शेख अब्दुल्ला ने कहा था "हम संघ के झंडे को निःसन्देह मानेंगे।" उन के मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह तो स्वतन्त्र भारत का ध्वज है जिसे मानना ही होता है। किन्तु यदि आप इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेंगे कि कोई भी राज्य अपना पृथक झंडा रख सकता है तो आप अविलम्ब कठिनाइयां उत्पन्न करेंगे। और आप यह न अनुमान कर सकेंगे कि इन की इतिश्री कहां होगी। प्रश्न यह है कि क्या कोई राज्य अपना पृथक झंडा रख सकता है? क्या भारत संघ ध्वज को छोड़ किसी अन्य पताका के लहराये जाने का स्वातन्त्र्य दे सकता है? यदि एक पत्नी व्रत का सिद्धान्त यहां प्रवर्तनीय होगा तो समस्त भारत के लिये एक ही झंडा रखा जाये। राष्ट्रभक्ति अविभाज्य है। शेख अब्दुल्ला का कहना है "हम दोनों झडों का समान आदर करेंगे"। आप यह नहीं कर सकते। सारे भारत में जिसमें काश्मीर शामिल है एक ही झंडा रखने का

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

प्रश्न निहित है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, अन्यथा मैं ने पंडित नेहरू के भाषण में से ओजमय उद्धरण पढ़कर सुनाये होते जो उन्हों ने वर्तमान राष्ट्रध्वज के भारत को पताका के रूप में ग्रहण किये जाने के समय संविधान सभा के समक्ष किया था। यह ऐसा प्रश्न है जिस को भारत सरकार को दृढ़तापूर्वक हल करना चाहिये।

नैशनल कान्फरेंस अपना पृथक झंडा रखे, उस पर किसे आपत्ति है। किन्तु जब आप सरकार के रूप में कार्य करें तो केवल वह स्वतन्त्र भारत का ही झंडा होगा जो लहरा सकता है और लहरायेगा।

जहां तक महाराजा का प्रश्न है वहां तक सांवैधानिक अड़चन विद्यमान है। इसी अभागे महाराजा ने भारत में सम्मिलित होने के पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। जिसके फलस्वरूप भारत ने अपनी सेनायें काश्मीर भेजीं और शेख अब्दुल्ला उस राज्य क्षेत्र पर महा सम्राट की भांति राज्य करने में समर्थ हुए। यदि महाराजा भाग खड़े होते तो कश्मीर पर आज पाकिस्तानी झंडा लहराता होता।

एक माननीय सदस्य : महाराजा के ही कारण पाकिस्तान ने काश्मीर पर हमला किया था !

डा० एस० पी० मुखर्जी : माननीय सदस्य ऐसा कुछ कह रहे हैं जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। जहां तक २७ अक्टूबर १९४७ को काश्मीर की स्थिति का सम्बन्ध है वह इतिहास का विषय है। तब श्री जिन्ना काश्मीर के द्वार पर खड़े थे और यदि हमने २४ घन्टे की देर की होती, जैसा कि प्रधान मंत्री ने एक बार कहा था, तो श्रीनगर का पतन हो गया होता। किसे मालूम परिस्थितियों ने प्रतिकूल गति विधि धारण की होती। महाराजा अब काश्मीर के एक सांवैधानिक प्रमुख मात्र रह गये हैं। यदि आप चाहते हैं कि भारत के किसी भी भाग में महाराजा न रहें चाहे वह किसी भी विशिष्ट भाग में सांवैधानिक प्रमुख के रूप में ही क्यों न हों तो यह गम्भीरतापूर्वक, सम्यक्तया तथा सांवैधानिकतया कीजिये। यदि संसद् यह निश्चय करे कि भारत के किसी भी भाग में महाराजा का राज न रहे या कोई राजप्रमुख न रहे और इस उद्देश्य के लिये भारत के संविधान में संशोधन हो तो आइये हम इस पर विचार विमर्श करें। इस पथ में बहुत सी व्यावहारिक अड़चनें हैं। उनके साथ इकरार हुए हैं जो संविधान में सन्निहित हैं। हमें उन कठिनाइयों का दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए जो हमारे पथ में हैं।

जब अंग्रेज भारत से चले गये तो उन्होंने दो विलक्षण कृत्य किये। एक तो था देश का बटवारा और दूसरा था लगभग ५०० देशी राज्यों पर से सार्वभौमिकता का हटाना था। भारतीय स्वतन्त्रता के महान निर्माता सरदार वल्लभभाई पटेल ने १५ अगस्त १९४७ तक ४९७ देशी राज्यों को स्वतन्त्र भारत की परिधि में मिला लिया। ये राज्य वैदेशिक सम्बन्धों, संचार तथा रक्षा के ही तीन विषयों में भारत से सम्बद्ध हुए, जैसा कि ब्रिटिश ने राज्यों के सम्बन्ध में घोषणा की थी। हैदराबाद जूनागढ़ तथा कश्मीर को छोड़ शेष रियासतें भारतीय संघ की व्याप्ति में आ गईं। आज शेख अब्दुल्ला अनुच्छेद ३७० की दुहाई

दे रहे हैं । संविधान के अनुच्छेद ३७० का इतिहास क्या है ? जब यह अनुच्छेद स्वीकृत हुआ उस समय श्री गोपालास्वामी आयंगार का किया हुआ भाषण मेरे पास यहां है । पूरा भाषण पढ़ कर सुनाने का समय तो है नहीं । किन्तु शेख अब्दुल्ला ने परसों अपने आकाशवाणी के भाषण में श्री गोपालास्वामी आयंगार के उक्त भाषण का हवाला दिया मानों उन्हें श्री गोपालास्वामी आयंगार के उक्त भाषण से शाक्षपत्र सा मिल गया है, अतएव हमें वह भाषण पुन: पढ़कर यह जानना चाहिए कि हमने अपने संविधान के अनुच्छेद ३७० को किस लक्ष्य के लिये स्वीकार किया था ।

उस समय के भारत का चित्र न भूलिये । सारे राज्य केवल तीन ही विषयों के सम्बन्ध में भारत से सम्बद्ध हुए थे । सरदार पटेल का दूसरा दौर भी महत्कर्म हुआ । किसी पर दबाव डालने का कोई प्रश्न ही न था । सरदार पटेल ने देशी नरेशों से विचार विमर्श किया और जब संविधान अन्तत: बना तब तक सब राज्यों ने भारत का नया संविधान स्वीकार किया जिस का ढांचा संघात्मक है और सब राज्यों ने माना कि केन्द्रीय सरकार समस्त विषयों में अपना अधिकार बरतेगी । हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ पृथक् व्यवहार करना पड़ा । यह सत्य है कि राज्यों के प्रकार हैं, भाग क के राज्य, भाग ख के राज्य तथा भाग ग के राज्य । में मानता हूं कि अड़चनें हैं किन्तु ढांचा तो हमारे समक्ष है ।

जब यह अनुच्छेद ३७० संविधान सभा के समक्ष रखा गया तो कुछ माननीय सदस्यों ने आक्षेप किया था कि "काश्मीर के प्रति यह विभेदात्मक बर्ताव क्यों ?" तब श्री गोपालास्वामी आयंगार ये ने उद्गार किये थे :

> " यह विभेद कश्मीर की विशेष परिस्थितियों के कारण है । वह विशिष्ठ राज्य अभी इस प्रकार के एकीकरण के उपयुक्त नहीं है । यहां सब की यह आशा ('आशा' शब्द पर ध्यान दीजिए) है कि यथा समय जम्मू और काश्मीर भी उसी प्रकार के एकीकारण के उपयुक्त हो जाएगा, जैसा कि अन्य राज्यों की सूरत में घटित हुआ है । (**हर्ष ध्वनि**) ।"

श्री गोपालास्वामी आयंगार ने अग्रेतर कहा :

> " मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इसी समय अन्तरिम तन्त्र स्थापित कर सकते हैं । " उन्होंने अग्रेतर कहा :
>
> "इस समय अन्य उपबन्ध जम्मू और काश्मीर पर लागू नहीं हो सकते । "

और भी एक कण्डिका है जिसकी ओर मैं आपका और खासकर इस सदन के जम्मू और काश्मीर के प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । श्री गोपालास्वामी आयंगार ने यह कहा था :

> "काश्मीर सरकार के सदस्यों का यह इरादा नहीं है कि संविधान के अन्य उपबन्ध लागू न किये जायेंगे । उनका विशिष्ट दृष्टिकोण यह है कि ये उपबन्ध उन्हीं अवस्थाओं में लागू हों जिनमें ये उपयुक्त रूप से लागू हो सकें, और भी उन रूप भेदों या अपवादों के अधीन जो जम्मू और काश्मीर राज्य की विशेष परिस्थितियों के कारण अपेक्षित हों ।"

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

उस प्रक्रम में भी कश्मीर सरकार के सदस्य भारत के साथ अन्ततः संपूर्ण एकीकरण की दिशा में सोच रहे थे। मुख्य प्रश्न तो यह है कि काश्मीर हमारे साथ किस रूप में सम्मिलित होगा। क्या काश्मीर एक गणतन्त्र के अन्तर्गत दूसरा गणतन्त्र होगा? क्या हम भारत की सम्पूर्ण भूमि के अन्तर्गत इस सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संसद के अतिरिक्त दूसरे सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न की सोच रहे हैं? यह शेख अब्दुल्ला का दावा है और उसका हम विरोध करते हैं। हम प्रधान मंत्री से विनती करते हैं कि वे ऐसी राजनीति-पटुता, मानसिक शक्ति तथा दृढ़ संकल्प का परिचय दें जो सरदार पटेल में था। हमें अपने मन में इस बात की स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। यदि आप तूफान से खेलना चाहते हैं और कहते हैं "हम विवश हैं, और शेख अब्दुल्ला जो चाहें सो करें" तो मैं बड़े विमर्श के साथ कहूंगा कि काश्मीर हाथ से जाता रहेगा। काश्मीर तीन विषयों में भारत में सम्मिलित हुआ है परन्तु हम केवल तीन ही विषय नहीं चाहते। इस सम्बन्ध में मैं संक्षेप में स्वेत पत्र की कण्डिकाएं २४३ और २४५ उद्धृत करूंगा जिनमें राज्यों और प्रांतों के एकीकरण की नीति का निर्दशन किया गया है।

".....भारत के मुस्लिम बहुमत प्रांतों के निकल जाने फलस्वरूप केन्द्र की शक्ति क्षीण करने के सिद्धान्त की भूमिका ही बदल गई। जहां तक कि केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रश्न है। राज्यों और प्रांतों के बीच पृथक्करण की भित्तियों के त्वरित गति से गिर जाने के कारण केन्द्र के साथ राज्यों के सांवैधानिक प्रश्न ने नई रूप-रेखा धारण की।

"इसके फलस्वरूप सम्पूर्ण पृष्ठभूमि में परिवर्तन हुआ और एकात्मक प्रवृत्तिधारी संधान ढांचे की ओर स्थिति उत्तरोत्तर बढ़ी ताकि देश के साधनों को विकसित करने और ध्वँसकारी शक्तियों को रोकने के लिए केन्द्र को प्रचुर शक्ति की व्यवस्था की जाय।"

इन वाक्यों में सम्पूर्ण सिद्धान्त निहित है। ये सिद्धान्त जम्मू और काश्मीर की जनता पर भी लागू होने चाहिएं, क्योंकि जम्मू और काश्मीर भारत के संविधान के अनुच्छेद १ के अधीन भारत का अंग है। संविधान में एक यूनिट और दूसरी यूनिट में भिन्न भिन्न सांवैधानिक ढांचों तथा विषमताओं के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। ये राज्य केन्द्र के साथ सांवैधानिक सम्बन्ध तथा आंतरिक ढांचे के विषय में प्रांतों के समकक्ष होने चाहियें। यह प्रश्न हमें तय करना होगा। हमारी नीति एकसम ढांचा रखने की घोषित हो चुकी है— आप जम्मू और कश्मीर के कार्यों के विषय में कुछ मामलों में पृथक् व्यवहार कर सकते हैं—हमें इसकी चिन्ता नहीं किन्तु आधार भूत प्रश्न यह है कि नागरिकों के मूलभूत अधिकार जम्मू और काश्मीर पर अवश्य लागू हों। इस मुद्दे को आपसी समझौते का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। उच्चतम न्यायालय जम्मू और काश्मीर सहित भारत का सर्वोच्च न्यायाधिकरण हो, महा लेखापरीक्षक का आदेश पत्र समस्त भारत में, जिसका जम्मू और कास्मीर भी अंग है, कार्यकारी हो। शेख अब्दुल्ला को किसने काश्मीर का शहन्शाह बनाया? यह

इसलिए हुआ कि भारतीय सेनायें वहां गई और उन्होंने काश्मीर की जनता के सहयोग से कार्य किया। क्या हमने एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतन्त्र के अन्तर्गत दूसरा सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न गणतन्त्र निर्माण करवाने के लिए ऐसा किया ? जम्मू और काश्मीर के लोगों की वस्तुतः भावनायें क्या हैं यह हम जानना चाहेंगे। मेरे पास जम्मू और काश्मीर से शिकायतें आई हैं कि वह सरकार किस प्रकार विभेदात्मक रीति से कार्य कर रही है। प्रधान मंत्री कम से कम इनके सम्बन्ध में जांच तो करें, केवल इतना ही कह कर न दुत्कार दें कि वह साम्प्रदायिक और प्रतिक्रियावादियों की दलीलें मात्र हैं।

क्या इस सदन को विदित है कि भूतपूर्व भारत सुरक्षा नियम तथा भूतपूर्व सार्वजनिक शान्ति अधिनियम, जिन्हें ब्रिटिश शासकों ने इस देश के लोगों की स्वतन्त्रता को कुचलने के लिए प्रख्यापित किया था, अब भी बिना किञ्चित परिवर्तन के जम्मू और काश्मीर के स्वतन्त्र क्षेत्र में जारी हैं। उस विधि के उपबन्धों के अधीन कितने सौ लोग गिरफ्तार किये गये हैं ? उन्हें क्या कोई आरोपपत्र दिये गये ? क्या किसी भी व्यक्ति का मामला परामर्शदात्री परिषद् के समक्ष रखा गया? जम्मू और काश्मीर में जितने समाचार पत्रों का दमन हुआ है और जितनों को वहां प्रवेश नहीं मिलता उनकी सूची मेरे पास यहां है।

शिक्षा के विषय में क्या हाल है ? बेचारे महाराजा के शासन में हिन्दी और उर्दू दोनों समकक्ष थीं। अब फारसीनिष्ठ उर्दू के रूप में हिन्दोस्तानी भर रह गई है। जो लोग हिन्दोस्तानी में किसी सीमा तक विज्ञ हैं वे भी जम्मू और काश्मीर में अनिवार्यतया पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तक के अनेकों शब्द नहीं समझ पाते हैं। शेख अब्दुल्ला के धर्मातीत नेतृत्व में हिन्दी जम्मू और काश्मीर से लुप्त हो गई। पाठ्यपुस्तक समिति में अल्प संख्यकों का एक भी सदस्य नहीं है। हां उसमें एक दो योरोपीय अवश्य हैं क्योंकि वे जम्मू और काश्मीर में दी जाने वाली शिक्षा के सर्वोत्तम व्याख्याता होंगे !

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत समय ले चुके हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी: इस सत्र में मुझे काश्मीर पर फिर बोलने का अवसर न मिलेगा, अतः मुझे कुछ मिनट और दिये जायें।

जम्मू स्थित उधमपुर ज़िला वर्षों से हिन्दू बहुमत वाला ज़िला था। उस ज़िले का काश्मीर घाटी की ओर का भाग निकाला जाकर मुस्लिम बहुमत ज़िले में मिला दिया गया है और वह अब एक नये ज़िले के रूप में मुस्लिम बहुमत वाला ज़िला बन गया है। बिना जनमत संग्रह के अथवा जनता की राय लिये बिना ही ऐसा कर दिया गया है। यदि भू-खण्ड के आधार पर जनमत संग्रह हो तो उधमपुर ज़िले का बड़ा उपजाऊ भाग तो कम से कम काश्मीर घाटी के पल्ले लगेगा ही।

श्री एम० शफी चौधरी (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं जान सकता हूं कि क्या वे एक नया पाकिस्तान नहीं बना रहे हैं ?

डा० एस० पी० मुखर्जी: मैं जानता हूं कि मेरे माननीय मित्र के लिये यह

[डा० एस० पी० मुखर्जी]

कठिनाई प्रस्तुत कर रहा है। मैं हार मानने वाला नहीं। मैं इस विषय पर माननीय सदस्य के साथ बाद में विवेचना करूंगा।

यह मैं प्रधान मंत्री की नज़र में लाऊंगा। महाराज गुलाब सिंह द्वारा स्थापित 'धर्मार्थ ट्रस्ट' नामक एक न्यास था जिसके पास लाखों रुपये और विस्तृत भूमि थी। उसकी बहुत सी ज़मीन छीन ली गई और रुपया नष्ट कर दिया गया।

सरकारी सेवाओं में मुस्लमानों को रक्षण दिया जाता है। बहुसंख्यक जाति के लिये रक्षण! क्या यह धर्मनिरपेक्षता? पदाधिकारियों को राष्ट्रीय सम्मेलन के सदस्य बनने का प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं।

श्रीमान्, शरणार्थियों का प्रश्न लीजिये। जम्मू और काश्मीर के हज़ारों हिन्दू शरणार्थियों को भारत में बसाया जा रहा है। उन्हें जम्मू और काश्मीर में भूमि क्यों नहीं दी जा सकती? बाहर से लोग लाये जाकर वहाँ क्यों बसाये जा रहे हैं?

ता० ९ मई को ीनगर में शेख अब्दुल्ला ने जो भाषण दिया था उसके दो भिन्न भिन्न पाठान्तर मेरे पास हैं। एक जम्मू और काश्मीर में बांटा गया और दूसरे में से ऐसे अंश निकाल लिये गये थे जो भारत के लोगों को अप्रिय हो सकते थे। मेरे पास इन दोनों विज्ञप्तियों की प्रतियां हैं जो जम्मू और काश्मीर सरकार ने जारी की हैं जिनमें से एक भारतीयों के पठन के लिये है और दूसरी काश्मीर में पठन के हेतु।

अन्त में मैं कहूंगा: इसका उपचार क्या था? इस स्थिति का क्या समाधान होगा? संविधान के अधीन हम जम्मू और काश्मीर को अन्य विषयों के बारे में सम्मिलित होने के लिये विवश नहीं कर सकते। जब तक कि संविधान सभा न सहमत हो। मैं अपने साम्यवादी मित्रों को समझ सकता हूं। वे आरम्भ से ही देश के टुकड़े टुकड़े होने के समर्थक रहे हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता। किन्तु अब एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। आज डा० काटजू, साम्यवादी दल और शेख अब्दुल्ला एक ही मंच पर खड़े हैं। डा० काटजू जानते हैं कि साम्यवादी पक्ष आज शेख अब्दुल्ला का समर्थन कर रहा है।

अन्त में मेरा रचनात्मक सुझाव क्या है? शेख अब्दुल्ला को समझाइये और हम सब वैयक्तिक सम्मेलन बुला कर सारे प्रश्न पर विवेचना करें। हम उत्सुक हैं कि अन्य राज्यों की भांति जम्मू और काश्मीर भी भारत में मिल जाय। परन्तु प्रधान मंत्री को दृढ़तापूर्वक कहना चाहिये कि हम इस प्रकार की काश्मीरी राष्ट्रीयता नहीं चाहते। हम इस प्रकार के सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न काश्मीर की कल्पना नहीं चाहते। यदि आप काश्मीर में ऐसा होने देंगे तो दूसरे भी सम्पूर्ण प्रभुत्व की मांग करेंगे। दक्षिण वाले उत्तर से पृथक् होने की मांग कर रहे हैं। यदि काश्मीर सहमत न हो तो आप को जम्मू और लद्दाख की जनता को यह निर्णय करने की स्वतन्त्रता देनी होगी कि वे अपने राज्य क्षेत्र के सर्वोत्तम हित में क्या सोचते हैं।

श्री सूफ़ी मुहम्मद अकबर: आप एक नया पाकिस्तान—ज़िलेवार पाकिस्तान बना रहे हैं।

डा० एस० पी० मुखर्जी : लद्दाख के नेता ने एक पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेजा है। महाबोधि सोसाइटी के प्रधान के रूप में उन्होंने उस पत्र की एक प्रति मुझे भी भेजी है। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि काश्मीर की घाटी भारत के साथ न सम्मिलित हो तो लद्दाख के निवासियों को आत्मनिर्णयन का अधिकार तथा निर्णय का अवसर दिया जाए। भारत के साथ रहने में उनकी सुरक्षा है। यही वह वैकल्पिक मार्ग है जो मैं पंडित नेहरू को प्रस्तुत करता हूं। पहले तो वे ऐसी योजना बनावें कि काश्मीर का बंटवारा न हो वरन् काश्मीर केपा किस्तान धारी क्षेत्र भी वापस ले लिये जायें। किन्तु यदि शेख अब्दुल्ला मेरी मुर्गी की एक टांग की रट लगायें और तीन प्रश्नों को छोड़ अन्यों के विषय में भारत से सम्मिलित न हो तो हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके द्वारा जम्मू और लद्दाख को भारत के साथ पूर्णतया सम्मिलित होने के निर्णय करने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। मैं बार बार कह चुका हूं कि मैं बंटवारा नहीं चाहता; किन्तु यदि यह न हो सके तो इन प्रान्तों के अति संख्यक लोगों को, जो भारत के अन्तर्गत रहने के इच्छुक हैं, उस दुर्भाग्य में न घसीटिये जिसमें शेख अब्दुल्ला उन्हें घसीटना चाहेंगे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पिछले वक्ता महोदय ने मुझे काश्मीर के विषय में यथा सामर्थ्य प्रभाव डालने का अनुरोध किया। क्या मैं यह उत्तर दूं कि मैं न केवल अपनी योग्यता तथा ज्ञान के अनुसार अपना प्रभाव लगा दूंगा वरन् मैं ने पहले भी ऐसा ही किया है। किन्तु मेरी कठिनाई यह रही है, और इस समस्या के समाधान के मार्ग में वह बड़ी गम्भीर कठिनाई रही है—वह कठिनाई यह है कि, जैसा भाषण अभी माननीय मित्र ने किया, वैसे भाषण किये जाते हैं।

आज माननीय सदस्य ने अपने भाषण का श्री गणेश युक्तिसंगत रीति से किया। हमें महत्व पूर्ण विषयों पर विचार करना, मनन करना तथा निर्णय करना होगा। हमें सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न संसद् के रूप में इन पर निर्णय करना तो होगा ही, किन्तु कुछ विषय हमारी व्याप्ति से परे हैं। हम उदाहरण के लिये विश्व का स्वरूप निश्चित नहीं कर सकते चाहे हम जितना ही चाहें। उदाहरण स्वरूप हम कोरिया में युद्ध नहीं बन्द कर सकते। कल जब किसी माननीय सदस्य ने यालू नदी पर बमबारी के विषय में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहा था तब उस पर चर्चा न हो सकी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहां प्रत्येक सदस्य उस से अप्रसन्न है और भौचक्का रह गया कि बमबारी ऐसे क्षण की गई जब कि शान्ति की वार्ता चल रही थी। परन्तु हम उसे रोक नहीं सकते। हम उस पर चर्चा भले ही कर लें, किन्तु हम निःसन्देह उसे रोक नहीं सकते। बहुत सी बातें इस संसद् की शक्ति से परे हैं। अतएव हमें इन विषयों की ओर विज्ञता, सावधानी, नियंत्रण तथा दृढ़ता से अग्रसर होना पड़ता है। इस सारी अवधि में हम ने तथा माननीय सदस्यों ने बहुत सी गलतियां की होंगी। मैं सद्गुण का पुतला नहीं हूं और न हमारी सरका रही सद्गुण का पुतला है। मैं ऐसा नहीं कहता। मैं इस सदन से और पूर्व वक्ता महोदय से विनतीपूर्वक कहता हूं कि कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जो उत्तम परिणामकारी होते हैं और कुछ ऐसे मार्ग होते हैं जो अनिष्ट परिणामदायक होते हैं चाहे, उन्हें कितनी ही वाक्पटुता से प्रतिपादित किया जाए। और जिस मार्ग का बारंबार मेरे माननीय मित्र ने तो इतने बार नहीं किन्तु माननीय सदस्य के साथियों ने अवलम्बन किया है—मुझे खेद है कि वह

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आजकल ऐसे विलक्षण साथियों के साथ हैं . . . .

डा० एस० पी० मूखर्जी : मैं २½ वर्ष तक आप की संगति में था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : और जिस अवधि में माननीय सदस्य हमारे साथ रहे वे, यदि मैं ऐसा कहूं, अद्भुत प्रखरता से कार्य करते रहे । और यह विचित्र बात है कि जिसे बात की आज वे इतनी आलोचना कर रहे हैं अथवा जिसे वह पसन्द नहीं करते वह उस समय की गई थी जब वे हमारे साथ थे । उस समय छिद्रान्वेषण के लिये कुछ न था । किन्तु उत्तरोत्तर वे अनिष्ट मार्गों की ओर प्रवृत्त हुए जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं । जब मैं ने माननीय सदस्य का भाषण सुना, जब मैं ने उनके भाषण का प्रथम भाग सुना, तब उनकी प्रत्येक दलील से तो सहमत नहीं हुआ, किन्तु सदन में हमारे द्वारा निर्णीत किये जाने वाले सांवैधानिक तथा अन्य समस्याओं के विषय में सुसम्बद्ध प्रतिपादित भाषण था । परन्तु बाद में वे बहक गये । इस सरकार के साथ उनके पूर्व सम्पर्क का प्रभाव जाता रहा नज़र आता है और उनके तत्पश्चात् सम्पर्क उन पर प्रबल हो गये और उन्होंने हर प्रकार की विलक्षण बातें निकालनी शुरू कीं ।

मेरी इच्छा है कि मुझे प्रत्येक मुद्दे पर प्रकाश डालने का समय होता । उन्हों ने अनुज्ञा (परमिट) पद्धति की ओर निर्देश किया । या तो यह उनकी अनभिज्ञता है या स्वेच्छ विस्मरण । भारतीय सेना ने ही परमिट पद्धति प्रचलित की थी । इसे भारत तथा भारतीय सेना ने किसी अन्य कारणवश नहीं वरन् गुप्तचरों—हमारे गुप्तचर नहीं किन्तु दूसरे लोगों के गुप्तचरों—के जाने के कारण लागू किया था । काश्मीर में भारतीय सेना ने अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश पर नियन्त्रण लगाना चाहा था । इस यह कहा जा रहा है कि किसी अन्य अधिकारी ने कोई ऐसी बात लागू कर दी ताकि भारतीयों के काश्मीर में जाने पर प्रतिबन्ध लग जाये । यह ऐसी बात है जो लोगों में भ्रम पैदा करती है । काश्मीर सरकार के प्रत्येक कार्य का, यही नहीं वरन् अपनी सरकार के प्रत्येक कार्य का समर्थन करने के लिये मैं नहीं खड़ा हुआ हूं । आइए, हम उन पर विचार करें । यदि हमने भूलें कीं हैं तो हम उन्हें छोड़ देंगे । किन्तु मेरा कथन है कि इस प्रकार मार्ग का अवलम्बन हमें सम्भवतया किसी ऐसे युक्तियुक्त परिणाम की ओर प्रवृत्त न करेगा जो हमारा लक्ष्य है ।

हां, काशमीर का यह विशय अपने इस वर्तमान रूप में लगभग चार वर्ष और नौ महीने से पड़ा हुआ है । जन-स्मृतियां अल्पस्थायी होती हैं । यहां आये हुए बहुत से माननीय सदस्यों नें इस विषय पर यहां हुए पिछले बाद-विवादों को नहीं सुना है और एक मानें में यह विषय उनके लिए नवीन है । इस संसद नें अथवा यों कहिए कि पिछली संसद नें इस समस्या पर बहुधा विचार किया हैं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है यह हम लोगों के लिए इतनी महत्वपूर्ण समस्या है कि हम हसके लिये यथा शक्य समय दें और मैं विपक्षी सदस्यों से यह कहनें के लिये तैयार हूं कि यदि वह मुझ से व्यक्तिगत रूप से संलाप करनें के इच्छुक हों तो मैं इसके लिये तैयार हूं । इस से भी महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यदि आवश्यकता आन पड़े और यदि सदन की इच्छा हो तो मैं इस मुद्दे पर सर्वांगीण वाद-

विवाद के लिये तैयार हूं ताकि हम इस विषय पर जल्दबाज़ी न करें।

डा० एस० पी० मुखर्जी: इसका हम स्वागत करते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू: सरकार की यह इच्छा नहीं है कि इस विषय में जल्दबाज़ी की जाय या किसी गोपनीय नीति का आवलम्बन किया जाए। इसके बारें में कोई गोपनीयता नहीं है। मुद्दा यह है कि यह एक कठिन तथा जटिल समस्या है और मैं या विपक्ष के माननीय सदस्य ओजस्वमय भाषण दे दे कर इस समस्या को हल नहीं कर सकते। कुछ समय के लिये वह हम पर प्रभावकारी हो सकता है। हम में से कुछों ने इस समस्या का इस विशिष्ट मार्ग से लगभग पांच वर्षों से सामना किया है। हम में से कुछों ने इस समस्या का सामना दूसरे उपायों से पिछले २२ वर्षों से किया है। यह एक लम्बी समस्या है: विभिन्न प्रकार के संघर्ष-निरकुंश सरकार के साथ जनता का संघर्ष और और संघर्ष जिसकी लपेटों में मैं स्वयं एक घटना चक्र में आ गया था जिसने मुझे काश्मीर राज्य की भूतपूर्व सरकार का क़ैदी बना दिया था। इसलिये इस समस्या की ऐतिहासिक पृष्ठभूमी है यह उतनी सरल नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य इसे बताते हैं। इसका लम्बा इतिहास है। जब जुलाई और अगस्त १९४७ को महत्वपूर्ण अवधि आई, जब स्वतन्त्रता का आगमन हो रहा था और बटवारे का सूत्रपात हो रहा था तब भी शेख अब्दुल्ला और उनके बहुत से सहयोगी कारागार में थे। इसे स्मरण रखिये। वे बहुत समय से जेल में थे। और जब मैं उनसे मुलाकात करने के लिए ही काश्मीर गया तब महाराजा की तत्कालीन सरकार ने मुझे जेल में डाल दिया। बटवारे के ठीक पहले की यह देन है।

और अन्ततोगत्वा घटना चक्र के दबाव से तत्कालीन सरकार ने शेख अब्दुल्ला और उनके दूसरे सहयोगियों को जेल से मुक्त किया। उन्होंने हम लोगों से विमर्श किया मुझ से बड़े लोगों ने क्या सलाह दी! उनको यह मन्त्रणा दी गई कि वे जल्दबाज़ी न करें। यह समस्या यह काश्मीर की समस्या कठिन थी और जो भी पग शेख-अब्दुल्ला उठावें यथा नियम काशमीर की जनता के परामर्श के पश्चात उठावें, क्य हम जानते थे कि काशमीर का यह विषय जटिल रूप धारण करेगा। अतएव जब माननीय सदस्य ने प्रवेशन कार्य प्रणाली की ओर निर्देश किया जो सरदार पटेल की महान् विज्ञता तथा साहस के फलस्वरूप जुलाई और अगस्त के आरम्भ में बड़े पैमाने पर चल रही थी, तब तीन राज्य छोड़ दिये गये थे—दो बड़े और एक छोटा--बड़े राज्य थे हैदराबाद और काशमीर। हैदराबाद भिन्न कारणों से काश्मीर भिन्न कारणों के लिये। यह जान बूझकर कियां गया और काश्मीर की जनता को तथा महाराजा को जब तक कि वे वहां थे हमारी यह सलाह थी: 'जल्दी न कीजिए। यह कठिन समस्या है। इसे अच्छी तरह और उत्तमता से करना चाहिए। हम काश्मीर की जनता के निर्णय को स्वीकार करेंगे।' यही वह नीति है जिसे सरदार पटेल ने और हमारी सरकार ने भारत के प्रत्येक राज्य के बारे में आंकी थी। अधिकांश राज्यों के बारे में स्वभावतया यह प्रश्न नहीं उत्पन्न हुआ परन्तु प्रत्येक राज्य के बारे में यही नीति रही है -- कि राज्य की जनता निर्णय करे।

काश्मीर के बारे में पाकिस्तान से संघर्ष उत्पन्न होने के बहुत पहले हमने इसे महाराजा के समक्ष रखा और यह मेरी धारणा है और यह मेरी सच्ची धारणा है कि आज काश्मीर के, तथा पिछले कुछ वर्षों

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के कष्टों का कम से कम ७५ से ८० प्रति शत कारण महाराजा की चकित करने वाली त्रुटिपूर्ण तथा अनुचित नीति थी जो उन्होंने वहां चलाई थी। उसका अस्तित्व वर्तमान है अतएव हमने उसे उनके समक्ष रखा। परन्तु उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने उस उस संगठन—काश्मीर के राष्ट्रीय संगठन—के समक्ष रखा। यह काश्मीर मात्र का संगठन तो था ही किन्तु उसका सम्पर्क उससे अधिक वृहत संगठन से अखिल भारतीय राज्य जनता संगठन से लगभग २० वर्ष तक रहा जो अब इस रूप में कार्य नहीं करता। वह संगठन अन्य राज्यों से तथा काश्मीर की जनता से सूक्ष्मतया सम्बद्ध था। अतः भारत-सरकार और अन्यों ने उनके समक्ष, महाराजा तथा शेख अब्दुल्ला के समक्ष, जब कि वे जेल से बाहर आयें, रखा कि इस प्रश्न पर जल्दी न करनी चाहिये। उस समय हमारा यह विचार था कि काश्मीर में जल्द ही संविधान सभा का चुनाव हो और वह यथाशीघ्र इन तथा अन्य प्रश्नों का निर्णय करे। हमने उन्हें यह मन्त्रणा दी।

निःसन्देह सदन को स्मरण होगा कि बटवारे और स्वतन्त्रता के बाद ही भारत की सामा के निकट पाकिस्तान में भयंकर घटनाएँ घटीं। मारकाट, कत्लेआम और देशान्तर गमन हुए शौर हम पूर्णतया इन विषयों में व्यस्त रहे। तत्पश्चात् एक अभागे दिन—अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह —में यह समाचार मिला कि उन आक्रमण-कारियों ने काश्मीर पर धावा बोल दिया है। यह हमारे लिये तथा पूर्व वक्ता महोदय के लिये, जो उस समय हमारी सरकार के सदस्य थे और जिन्होंने इस प्रश्न पर भाषण दिया, अतिशय कठिन प्रश्न था। कदाचित् उन्हें याद होगा कि हमारे लिये वह मार्ग कितना कठिन था। वह अकस्मात् घटित हुआ। हम देश की मुसीबतों में व्यस्त थे। सैनिक दृष्टि से यह अतिशय कठिन था कि पहाड़ों को पार कर काश्मीर में प्रवेश कर उस में कार्यक्षम रूप से भाग लिया जाए। हमने पहले दिन उस पर विचार किया। हम किसी निर्णय पर न पहुँच सके। हमें अतिरिक्त समाचार चाहिए था। दूसरे दिन की खबर बदतर थी। महोरा बिजली घर जल कर खाक हो चुका था इत्यादि, इत्यादि और हमें यह प्रतीत हुआ कि चाहे जो भी जोखिम हो हमें हस्तक्षेप करना ही होगा और विमान द्वारा हस्तक्षेप। उस समय हमारे पास उल्लेख-योग वायु सेना भी न थी। सारी सेना को विभाजित करना पड़ा। प्रत्येक वस्तु का विभाजन किया गया और मेरी दृष्टि में वस्तुतः यह स्तुत्य प्रयास था कि मन्त्रि-मण्डल की रक्षा समिति के निर्णय के १२ घण्टे के भीतर विमानों पर सेनाएं काश्मीर की ओर चल पड़ी थीं। हमने रातोंरात सारे गैर सरकारी वायुयानों को बन्द कर दिया और कुछ सैनिक, मुझे स्मरण है पहले दिन लगभग २७० सैनिक तथा दूसरे दिन लगभग २०० से ३०० तक सैनिक भेजे गए और ये सैनिक हवाई अड्डे से सीधे श्रीनगर शहर के निकट रण-क्षेत्र में पहुँचे। उस दिन बहुत सी बातें घटीं और हमारे सेनाएँ भेजने के पहले महाराजा से हमारे पास सहायता की प्रार्थना आई और राष्ट्रीय सम्मेलन (नैशनल कान्फरेन्स) से हमारे पास सहायता की प्रार्थना आई।

मैं गत इतिहास में नहीं जाना चाहता और न मैं पिछली घटनाओं के लिये लोगों को दोषी ठहराता हूं, किन्तु जब उन दिनों काश्मीर पर संकट आया तब अनेक अग्रगण्य व्यक्तियों ने जो भूमिका अपनाई थी वह

सराहनीय न थी । वास्तव में वह बहुत असराहनीय थी और अन्तिम विश्लेषण में —भारतीय सेना के वहां पहुंचने के पहले भी—काश्मीर की सामान्य जनता ने शत्रु के आक्रमण का वार सहा और सामना किया । बड़े लोगों ने शत्रु का मुकाबला नहीं किया । इसी संगठन —नैशनल कान्फरेन्स—ने और उसके वस्तुतः निहत्थे स्वयंसेवकों ने वार सहे और वहां डटे रहे जब कि शत्रु १० मील दूर था । श्रीनगर की एक भी दुकान बन्द नहीं हुई । यह वास्तव में आश्चर्यजनक था कि उन्होंने इतना अधिक साहस दिखाया । सुतरां इस प्रकार आक्रमण की कहानी आरम्भ हुई ।

हमारे पिछले निर्णय के अनुसार— काश्मीर तथा पाकिस्तान को तो जाने ही दीजिए—सरदार पटेल और हमने घोषणा की थी कि जिस राज्य में राय का मतभेद हो उसे, आवश्यकता होने पर जनता की राय द्वारा निर्णय करने की अनुमति दी जायेगी । जब राज्य-प्रवेश का प्रश्न हमारे समक्ष आया और यदि केवल महाराजा ने ही प्रवेश के लिये प्रर्थना की होती तब तो हम झिझके होते जब तक कि हमें यह न मालूम होता कि उस प्रार्थना के पीछे जन-बल है । हमें विदित था कि महाराजा के पीछे जनता का समर्थन नहीं है । अतः महाराजा की प्रार्थना मात्र पर हम इस प्रकार की कार्यवाही के लिये सम्मत न होते । जन-प्रिय संगठन के ही कारण हमने इसे स्वीकार किया । इतने पर भी हमने अपने पूर्वकथन की पुनरुक्ति की । हमने उसे स्वीकार किया और निःसन्देह राज्य-प्रवेश पूर्ण हुआ । वह आंशिक अथवा सीमित प्रवेश नहीं था । प्रवेश पूर्णतया था । किन्तु हमने यह कहा था कि हम जनता की राय को मानेंगे जब भी राय लेने का संयोग या अवसर आयेगा ।

बाद में हमने यह विषय संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया । माननीय सदस्यों के लिये, अथवा हमारे लिये भी, घटना के पश्चात् चतुर बनना, तथा चार वर्ष पहले हमें क्या करना चाहिए यह सिद्ध करना, बहुत अच्छा है । परन्तु उस समय की स्थिति में जिस रूप में हमने तब देखा था हमें यही करना पाण्डित्यपूर्ण प्रकट हुआ । उन दिनों हमें राष्ट्रपिता की मन्त्रणा प्राप्त करने का उत्कृष्ट अवसर था और इस विषय में भी हमने उन से सलाह ली थी, यद्यपि मैं उनका नाम वाद-विवाद में घसीटना नहीं चाहता क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं । किन्तु मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने उनसे सलाह ली, क्योंकि हम अत्यन्त कठिन तथा घबड़ाहट की स्थिति में थे । स्वतन्त्र राष्ट्र के श्रीगणेश में ही हम चारों तरफ युद्ध नहीं चाहते थे । तथापि हमें काश्मीर की रक्षा करनी पड़ी और इस बात की सम्भावना थी कि वह युद्ध फैलकर कहीं बड़े युद्ध का रूप न धारण कर ले । इस प्रश्न पर दुलर्क्ष करते हुए कि कौन उचित मार्ग पर था और कौन अनुचित, यदि वह युद्ध फैला होता तो निःसन्देह वह हमारे लिये विनाशकारी हुआ होता—औरों के लिये और भी अधिक, किन्तु हमारे लिये भी विनाशकारी हुआ होता—और उसने प्रगति, विकास आदि आदि के विषय में हमारी कल्पनाओं को रुद्ध कर दिया होता । अतः उस युद्ध को रोकने के लिये—हम ने यह विषय संयुक्त राष्ट्रीय संघ को सौंप दिया । क्या मैं यह कहूं कि माननीय सदस्य हम से यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस लेने के लिये करते हैं ? मैं उसे समझ नहीं पाता । मैं यह नहीं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

जानता कि ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है। हां, हम जब चाहें तब संयुक्त राष्ट्र संघ से अपना सम्बन्ध तोड़ सकते हैं और हम उन से कह सकते हैं और कहें "हम आप से अलग होते हैं हम आप से पृथक होते हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं।" यदि आप इस के लिये तैयार हैं, ठीक हैं, परन्तु मैं समझता हूं कि वह उचित कदम न होगा। वह कई दृष्टियों से अनुचित पग होगा—चाहे वह नीति के प्रशस्त्रआधार से कहिए अथवा संकुचित अवसरवादिता के आधार से। अतः प्रश्न उठा लेने का सवाल उस प्रकार उठता ही नहीं। हम ने संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद को स्पष्ट बता दिया है कि हम उन के समक्ष विशिष्ट प्रार्थना लेकर गये थे। हम उनका मध्यस्थ—निर्णय चाहने के लिये अथवा उनका आदेश मांगने के लिये वहां नहीं गये थे उनसे हमारी मूल विनती अत्यन्त सरल थी और वह यह थी "कृपया पाकिस्तान से कहिये कि वह आक्रमणकारियों की सहायता न करे।" हम ने इतनी ही विनती उन से की थी। तब से संयुक्त राष्ट्र संघ तथा सुरक्षा परिषद् ने अनेकों संकल्प हमारी सम्मति से या बिना सम्मति से पास किये। कम से कम एक तो---और वह भी प्रधान हमारी सम्मति के बिना पास हुआ है और हम ने उसे स्वीकार नहीं किया है। और हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम वह संकल्प अथवा उस का अधिकांश स्वीकार नहीं कर सकते। वह मामला वहां पर पड़ा है। अतएव जिस निर्देश को हम अनुचित समझते हैं उस के सामने सिर झुकाने का प्रश्न ही हीं उठता। किन्तु इसके अतिरिक्त हम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम शान्ति की आकांक्षा के फलस्वरूप कोई मन्त्रणा या मध्यस्थता स्वीकार करेंगे यदि आप चाहें। यद्यपि इन अनन्त बातचीतों को निस्सीम रूप से चलाते रहना पर्याप्त मात्रा में भयास्पद तथा वस्तुतः त्रासकारी और हतोत्साहक है जब कि मुख्य मुद्दे अधिकतर टाल दिये जाते हैं तो भी तुच्छ ब्योरों पर लम्बे तर्क होते हैं।

इस प्रकार यह कहानी चलती रही और उस के पश्चात् युद्ध-विराम का सूत्रपात हुआ। माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने कहा कि यह हमारी दूसरी घपलेबाज़ी थी कि हम ने युद्ध-विश्रान्ति स्वीकार की। मैं नहीं जानता कि उस समय श्री चटर्जी कहां थे और वे घटना-चक्र से कहां तक परिचित थें, किन्तु मैं यहां था और मुझे घटना-चक्र की प्रत्येक गतिविधि से, चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म हो अथवा महत्त्वपूर्ण या महत्त्वहीन हो, अथवा जो कुछ किया जा रहा था उस से मैं परिचित था और उस के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन का निष्कर्ष स्थिति से पूर्णतया असंगत था। घटना के पश्चात् चतुर बनाना अच्छा हो सकता है। मुझे इस के सम्बन्ध में किञ्चित सन्देह नहीं और मैं इसे मुक्त कण्ठ से स्वीकार करता हूं कि हमारी अकांक्षा यही रही है कि प्रतिष्ठा, आत्म-सम्मान तथा अपनी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखते हुए जहां भी सम्भव हो युद्ध बन्द किया जाए। हम अनावश्यक युद्ध नहीं चाहते। परिस्थिति का बड़ी सावधानी के साथ विमर्श कर हम इस निर्णय पर पहुंचे। शीत ऋतु चरमावस्था पर था अर्थात् दिन था ३१ दिस्मबर, १९४८। समस्त उत्तर-काश्मीर में बरफ़

ही बरफ़ होने के कारण लड़ाई लड़ना सरल न था—तो भी लड़ाई निःसन्देह चल रही थी। केवल दक्षिण में ही लड़ाई वस्तुतः कार्यक्षम रूप से चल सकती थी और चल रही थी।

मुझे बड़ा खेद है कि मुझे गत इतिहास में जाना पड़ा और इसके लिये मैं श्रीमान् आपका और इस सदन का क्षमाप्रार्थी हूं। जो मुद्दे उठाये गये हैं उन में से कुछ का मैं संक्षेप में निवेदन करूंगा। जहां तक सूक्ष्मतः विधि का सम्बन्ध है वहां तक मेरे सहयोगी राज्यों के मंत्री मुझ से कहीं अच्छे वकील हैं और जब यह प्रवेश घटित हुआ तब यह प्रवेश उसी प्रकार का था जैसा कि प्रथम प्रक्रम में अन्य राज्यों के बारे में तीन विषयों में था। स्पष्टतया काश्मीर के बारे में स्थिति भिन्न भिन्न बातों के कारण जर्जर हो गई है : युद्ध हुआ, संयुक्त राष्ट्र-संघ को निर्देश किया गया, हमने उत्तर-दायित्व ग्रहण किये और आश्वासन दिये। स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, जब तक कि अन्य कदम न उठाये जायें। इस प्रकार यह अनिवार्य हो गया कि काश्मीर के बारे में प्रवेश इन तीन विषयों तक ही सीमित हो। निःसन्देह अन्यों के बारे में हम सम्मेलनों द्वारा, मैत्रीपूर्ण निर्देश द्वारा पक्का कर सकते हैं अथवा निर्णय कर सकते हैं—यह एक भिन्न विषय है—किन्तु विशुद्धतया यह कहना ही होगा कि यह उस स्थिति के कारण ही मामला इस रूप में पड़ा रहा और उसको इसी रूप में रहना पड़ा जब तक कि अन्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो जाता। पिछले तमाम वर्षों में—शस्त्र-पात से अब तक ३ वर्ष बीत चुके हैं—किसी भी समय हमें यह आश्वासन नहीं दिया गया कि सैनिक कार्य-वाहियां पुनः आरम्भ होंगी या नहीं।

सदन को स्मरण होगा कि हमने एक वर्ष पहले स्पष्ट घोषणा की थी कि यद्यपि हमारे राज्यक्षेत्र पर आक्रमण हुआ है और उसका कुछ भाग शत्रु के कब्ज़े में वस्तुतः है तो भी हम सैनिक कार्यवाहियों को पुनः आरम्भ न करेंगे जब तक कि हम पर आक्रमण न कर दिया जाये और हम उस समस्या के शान्तिपूर्ण समझौते पर विश्वास करते हैं, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हो अथवा अन्यथा हो। माननीय सदस्य ने मुझ से एक प्रश्न पूछा: "आप उन राज्यक्षेत्रों के किस प्रकार वापस पाने की आशा रखते हैं?" हां, मेरा उत्तर तब और अब है "शान्तिमय उपायों से।' क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके लिए युद्ध पुनः आरम्भ करना विनाशकारी परिणामों का द्योतक है जिसे सहने के हम इच्छुक नहीं हैं। मैं इस प्रश्न पर जाना नहीं चाहता। उस समय हमने प्रथम यह स्पष्ट कर दिया था कि हम अपनी ओर से सैनिक कार्यवाहियां न आरम्भ करेंगे, जब तक कि हम पर हमला न किया जाये। दूसरे हमने पूर्ण रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि काश्मीर में पाकिस्तान के मार्ग से कोई हमला हुआ, चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न हो, तो इसके परिणाम-स्वरूप होने वाली कार्यवाहियां केवल काश्मीर राज्य तक ही सीमित न रहेंगी। यह सुस्पष्ट शब्दों में कह दिया गया था। हम हाथ पर हाथ धरे रहना नहीं चाहते थे यदि पाकिस्तान यह सोच कर काश्मीर पर हमला करे कि वह पहले की भांति अपनी सैनिक कार्यवाहियां काश्मीर तक ही सीमित रखे। वैसा होना सम्भव नहीं था। मेरा विश्वास है कि हमारी उस घोषणा का कल्याणकारी प्रभाव निकला जिस के कारण सम्भव है कि काश्मीर में पिछले वर्ष दो वर्ष में हमले नहीं हुए।

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

अब स्थिति उसी अवस्था में है। सांवैधानिकतया वही स्थिति चल रही है और यह निःसन्देह वांछनीय है और इस के लिए मैं भी उतना ही इच्छुक हूं जितना कि डा० मुखर्जी कि यह सांवैधानिक स्थिति सुघर रूप धारण करे, उस में स्पष्टता को पुट दी जाये। निःसन्देह हम ऐसा किये जाने का प्रयास करेंगे परन्तु इसे स्मरण रखना चाहिये कि इसके सुघर रूप धारण करने में जो कारण मूलतः बाधक थे अधिक अंश तक अस्तित्व में हैं और यही मुख्य कठिनाई है। हमारा मार्ग बन्धन-रहित नहीं है, हमारा मार्ग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अमुक अमुक द्वारा सीमित तथा बद्ध है। तो भी आधारभूत वस्तु ज्यों की त्यों है जिसे हमने घोषित किया है—और यदि हमने घोषित भी न की हो तो भी वह बात अचल है—कि इस प्रश्न का निर्णय काश्मीर की जनता को करना है। मैं अपने संविधान के प्रति सम्पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए कहता हूं कि आप के संविधान की शब्दावली चाहे कैसी क्यों न हो किन्तु यदि काश्मीर की जनता उसे न चाहे तो वह वहां कैसे प्रवर्तनकारी होगी। इस स्थिति का दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग है बल-प्रयोग और दबाव—मान लीजिये कि काश्मीर की जनता उसे न चाहे। क्या हम उन पर दबाव डाल सकते हैं या बल प्रयोग कर सकते हैं और क्या इस के द्वारा इस देश के बाहर के कुछ पथभ्रष्ट लोगों की ओर से हम पर लगाये गये आरोपों का हम समर्थन करेंगे? अतः ह प्रश्न काश्मीर की जनता के साथ शक्यतम निकट सम्बन्ध बनाये रखने का उनकी सद्भावना और अपनी सद्भावना का बन जाता है। अतएव उस सद्भावना के मार्ग में जो भी कार्यवाही रोड़ा डाले, जो भी कार्यवाही इस मार्ग में भय, क्रोध का संशय उत्पन्न करे वह उस मार्ग में बाधा डालती है जिसका हम अवलम्बन करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं कहने का साहस करता हूं कि विपक्ष के मेरे माननीय मित्र के कुछ मन्त्रणाकार, हो सकता है उनके सारे उद्देश्य उत्तम हों, इस प्रकार कार्य करते आये हैं जो उनके वांछित लक्ष्य के मार्ग में बाधक हैं। अब यह स्पष्ट है कि काश्मीर का प्रवेश तीन विषयों तक है और विचार यह था और है कि इस विषय पर यथासमय मनन किया जायेगा, उनमें वृद्धि होगी या जो कुछ भी हो, किन्तु इस क्षण तो प्रवेश उन तीन विषयों तक ही है। "तीन विषय" से आशय बहुत अधिक अथवा कुछ कम हो सकता है; किन्तु प्रवेश पूर्णतया है, वह आंशिक नहीं। और जब हमने यह कहा कि काश्मीर की जनता निर्णय करेगी, तब उससे प्रवेश पर कोई सीमा निर्धारित नहीं होता। इसका यही अर्थ है कि सांवैधानिक अथवा वैधिक से न सही किन्तु अन्य कारणों से जिन्हें हमने उच्च स्तर पर रखा, यदि ऐसी आकस्मिक स्थिति घटित हो—हमें कल्पना करना चाहिये कि काश्मीर में उचित जनमत संग्रह हो—काश्मीर की जनता कहे "हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते", तो हम बचन-बद्ध हैं और हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इस से हमें पीड़ा हो सकती है, परन्तु हम उनके विरुद्ध सेना न भेजेंगे। हम उस निर्णय को मान लेंगे। चाहे हम पर उसका कितना ही आघात क्यों न मालूम होता हो और हम इस सम्बन्ध में अपने संविधान में परिवर्तन कर लेंगे। हम नहीं समझते कि ऐसा घटित होगा—यह भिन्न बात है—क्योंकि पहले भी तथा पिछले कुछ वर्षों से अनेकों बन्धन उत्पन्न हुए हैं जो हमें अर्थात्

काश्मीर की जनता तथा भारत की जनता को एक सूत्र में बांधते हैं।

इस प्रकार काश्मीर स्पष्टतया भारत के संघ के संधान का एक भाग (यूनिट) है, किन्तु काश्मीर तथा अन्य राज्यों में एक अन्तर उत्पन्न हुआ, बाद में उत्पन्न हुआ,— कृपया इसे न भूलिये आरम्भ में यह अन्तर न था—क्योंकि पूर्व प्रवेश के पश्चात् अन्य राज्य अधिक रूप में भारत से सम्मिलित हुए किन्तु काश्मीर उन परिस्थितियों में जिनका उल्लेख मैं ने किया है भारत से एकीकृत न हुआ और न हो सका। तो भी वह भारत का एक पूर्ण एकक है। इससे अनेकों बातें उत्पन्न होती हैं, अनेकों परिणाम निकलते हैं— उदाहरण के लिये गणतन्त्र के राष्ट्रपति के परिणाम। राष्ट्रपति को विभिन्न प्राधिकार प्राप्त हैं जो वे गणतन्त्र की ओर से प्रयोग में लाते हैं और जहां भी संघटक एकक हो वहां राष्ट्रपति उस सीमा में उस प्राधिकार का प्रयोग करेंगे। यह सत्य है कि राष्ट्रपति अपने प्राधिकार का प्रयोग अपने मन्त्रणाकारों की सलाह से करते हैं। यह एक पृथक् विषय है। राष्ट्रपति किसी राजप्रमुख या तत्सम किसी व्यक्ति को अनुज्ञान कर सकते हैं और नहीं भी। इस अर्थ में राष्ट्रपति का प्राधिकार भारत के प्रत्येक राज्य को लागू होता है। वह दूसरों के चाहे वे जो भी हों, वरण के पश्चात् सिपारिश पर उसे प्रयोग में ला सकते हैं। किन्तु भारत के संघटक एकक के लिये राष्ट्रपति का चरम अधिकार रहेगा ही।

माननीय सदस्य ने झंडे का उल्लेख किया और उन्होंने मेरे उस भाषण का भी उल्लेख किया जो मैंने बहुत दिन हुए संविधान सभा में दिया था। किन्तु इस बात पर कोई संदेह नहीं हो सकता कि भारत के किसी भी भाग में भारत का झंडा अभिभावी तथा प्रबल होगा। इसे विस्मरण न कीजिए कि भारत के कुछ राज्यों में अब भी या कुछ समय पहले तक राज्यों के झंडे थे। मैसूर राज्य में कुछ ही दिन पहले (चार पांच दिन ही पहले) प्रत्येक सार्वजनिक भवन पर राष्ट्रीय झंडे के अतिरिक्त राज्य का झंडा लहराता था जो कि वस्तुतः महाराजा का झंडा था और जिसे उस राज्य ने अपने निजी झंडे के रूप में स्वीकार किया था। यह इस प्रकार घटित हुआ कि ठीक चार पांच दिन पहले मैसूर सरकार ने महाराजा की सहमति से राज्य का झंडा प्रदर्शित न करने का निश्चय किया। मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। मेरा कहने का यह मतलब है कि किसी राज्य के झंडे का गौण सम्मान में रहना कोई असाधारण बात नहीं है। यदि भारत का झंडा उससे उच्च झंडा हो और संघ के समस्त राज्य क्षेत्र का निदर्शन करे। निःसन्देह ये महत्वपूर्ण विषय हैं किन्तु बहुत कठिन नहीं है। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें हम आपसी विचार से तय कर सकते हैं।

उच्चतम न्यायालय को ही लीजिये। जिन विषयों में कोई राज्य सम्बद्ध या सम्मिलित हुआ हो उनमें निःसन्देह उच्चतम न्यायालय ही निर्णय करेगा। इस समय मैं अन्य विषयों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह विषय मेरी दृष्टि में स्पष्ट है। यह विषय वकीलों और अन्यों के विचारने का है। किन्तु यह स्पष्ट है कि प्रवेश की व्याप्ति के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है ही, वह अन्य प्रकार से भी उसके अन्तर्गत आ सकता है।

माननीय सदस्य ने नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लेख बड़े जोर

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

के साथ किया। वह समस्त देश में अभिभावी होगा। हमारे मूलभूत अधिकारों में व्यक्ति स्वातन्त्र्य को निःसन्देह सुनिश्चित रखा गया है, किन्तु सदन को स्मरण होगा कि उन्होंने विभिन्न प्रथाओं को, कम से कम कुछ समय के लिये ही सही, सुनिश्चित रखा है जिन्हें हम समाप्त करना चाहते थे—उदाहरण के लिये इस देश की जमींदारी प्रथा। हम वर्षों से उस अड़चन को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं और मूलभूत अधिकार हमारे मार्ग में बाधक हुए। मुझे अचम्भा होता है कि आज उपस्थित माननीय सदस्यों में से कितने, यदि हम मूलभूत अधिकार बनाते होते, उन मूलभूत अधिकारों से कोई सम्पर्क रखते जो हमारी सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति पर रुकावट डाल। निःसन्देह मैं तो कोई सम्पर्क न रखूंगा। मूलभूत अधिकारों का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् कुछ दिन हुए हमें संविधान का संशोधन करना पड़ा। यह अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् क्या आप चाहते हैं कि हम भूमि सुधार तथा अन्य बातों में उसे काश्मीर पर लाद दें? मैं समझता हूं कि ऐसा कार्य हमारे पक्ष में अनुचित होगा।

मैं अन्य मूलभूत अधिकारों के विषय में नहीं बोल रहा हूं; किन्तु भूमिसुधारों के विशेष अधिकार को लीजिये। वास्तव में काश्मीर में प्रचुर भूमि सुधार सुपरिणामों सह घटित हुए हैं, जैसा कि सदन को मालूम ही है। इस में सन्देह नहीं कि कुछ व्यक्तियों को हानि हुई है, किन्तु जब ऐसी कोई महान् योजना कार्यान्वित होती है, तो कुछ लोगों को हानि होना अवश्यम्भावी है। किन्तु सम्पूर्ण योजना को अत्यन्त सफल समझा गया है। मेरी इच्छा है कि हम शेष भारत में भूमि सुधार के सम्बन्ध में इतनी द्रुत प्रगति कर सकते।

माननीय सदस्यों ने बहुत से छोटे विषयों का उल्लेख किया—हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी आदि आदि। सदन को स्मरण होगा कि माननीय सदस्य ने यह कहा था कि भाषण देवनागरी लिपि और फारसी और उर्दू लिपि दोनों में लिखी जाती है। अतः उन्होंने भाषा की निहित सामग्री पर आपत्ति की। मैं ने वह पुस्तक नहीं देखी (जिस का उल्लेख डा० मुखर्जी ने किया) और उस से हमें कोई सहायता न मिलेगी यदि मैं उसे पढ़ भी लूं। मैं उनकी बात को सत्य मान लेता हूं। किन्तु क्या मैं सदन को बता दूं कि जिस प्रकार की भाषा का माननीय सदस्य कदाचित् अनुमोदन करें वह काश्मीर के लिए पूर्णतया अग्राह्या है। उसे कोई नहीं समझता। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता। परन्तु पूर्वी पंजाब से भी हमारे पास ढ़ेर की ढ़ेर शिकायतें आती हैं कि वे इस नव अंकुरित भाषा को नहीं समझ पाते। वे भी ऐसा कहते हैं। वे कहते हैं कि वे हमारा रेडियो नहीं समझ पाते और उन्हें पाकिस्तान रेडियो सुनना पड़ता है जिसे वे पसन्द नहीं करते क्यों कि वह उन्हें कोसता रहता है। परन्तु वही वह भाषा है जो वे समझ सकते हैं। काश्मीर पर काशीनिष्ठ हिन्दी लादना हमारे हित में अच्छा न होगा। वह काश्मीर की भाषा ही नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (नई दिल्ली): इसको (पुस्तक की ओर उल्लेख करते हुए) भाषा हिन्दुस्तानी जानने वाले भी नहीं समझ सकते।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मूल बात तो यह है कि काश्मीर की भाषा काश्मीरी है। काश्मीरी किसी विशेष दल या धर्म की भाषा नहीं है। वह काश्मीर की—हिन्दू, मुस्लिम या सिख की भाषा है। वे काश्मीरी में बोलते हैं।

काश्मीरी संस्कृत, फारसी, पश्तो तथा अनेक निकटवर्ती भाषाओं का संमिश्रण है। उसमें फारसी का प्रचुर पुट है। उस में मुस्लिम या हिन्दू का कोई प्रश्न नहीं है। आप वहां किसी से भी (इस बारे में) बात-चीत कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई विशेष पाठ्य पुस्तक अच्छी न हो; हो सकता है कि उसकी भाषा में सुधार हो सकता हो किन्तु मुद्दा यह नहीं है। यह स्मरण रखिये कि इस भाषा सम्बन्धी मामले में दक्षिण के हमारे मित्रों ने दूसरे प्रसंग में यही मुद्दा उठाया था। आप मध्य भारत से लेकर काश्मीर में लद्दाख के छोर तक विस्तृत भू-क्षेत्र को अनिश्चित रूप से हिन्दी भाषी क्षेत्र कर सकते हैं। किन्तु वह स्थान स्थान में भिन्न भिन्न है और उत्तर के छोर का मनुष्य अन्यत्र बोली जाने वाली हिन्दी समझ नहीं पाता अथवा बड़ी कठिनाई से समझ पाता है। अतः आपको बीच की एक भाषा ढूंढ निकालनी होगी। इस बात में कोई सन्देह नहीं कि इस प्रकार की हिन्दी काश्मीर के एक प्रति सैंकड़ा लोग—हिन्दू या मुस्लिम—भी नहीं समझ पाते। मैं उस में जम्मू के अधिकांश हिन्दुओं को भी शामिल करता हूं।

अतएव हमें एक भाषा का विकास करना होगा। पाठ्य पुस्तकों में अशुद्धियां या भूलें हो सकती हैं। उन्हें दूर करना, सरल करना होगा। यदि यह कोई शिकायत है तो यहां सब जगह इस से भी बढ़कर शिकायतें हैं और मेरा प्रान्त उत्तर प्रदेश भी इस में शामिल है। वे जो भाषा प्रयोग में लाते हैं वह आज अधिकांशतया मेरी समझ के बाहर है। मैं इस के बारे में क्या कर सकता हूं? सड़कों के साइनबोर्ड (संकेत फलक) मैं समझ नहीं पाता—मुझे मालूम नहीं वे क्या हैं।

अतः मैं भाषण समाप्त करते-करते यह दुबारा कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अन्ततोगत्वा यह विषय ओजस्वी भाषणों का नहीं है, किन्तु यह विषय ऐसी परिस्थिति से सम्बन्ध रखता है जो बड़ी नाजुक, बड़ी कठिन और जिस का निश्चय अन्ततः काश्मीर के लाखों लोगों पर निर्भर है—इस संसद पर नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है। यदि हम उनकी सद्-भावना के आकांक्षी हैं तो हमें इसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। यह भी विस्मरण न कीजिए कि भारत एक महान् देश है जो कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक फैला है। यदि आप मानचित्र देखें तो काश्मीर एशिया का हृदय-सा है। वहां न केवल भूगोल का अन्तर है वरन् सब बातों में विपुल अन्तर है। यह न समझिए कि आप उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात के किसी भाग के विषय में विवेचना कर रहे हैं। आप ऐसे क्षेत्र पर विवेचना कर रहे हैं जिसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा अन्य समस्त बातों में निश्चित पृष्ठभूमि है। यदि हम प्रत्येक स्थान में अपने स्थानीय विचारों तथा स्थानीय पक्षपातों का लाते रहें तो हम कभी भी एकता न ला सकेंगे। हमें तीक्षण चक्षु होना चाहिएं और वास्तविक एकीकरण को दृष्टि से हमें तथ्यों को विस्तृत रूप से स्वीकार करना चाहिए। वास्तविक एकीकरण मस्तिष्क और हृदय में जन्म लेता है न कि किसी बन्धन खण्ड से, जिसे आप दसरों पर लाद सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय राज्य मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस वाद-विवाद का उत्तर आज देना चाहेंगे या कल।

डा० काटजू : यदि अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो मैं कल जवाब दूंगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : अच्छा हो यदि आज हो। कल दो मंत्रीगण आ रहे ह ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह भी सुझाव है कि यदि यह सदन सम्मत हो तो हम कल प्रश्न-काल को निकाल दें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। कोई समझौता न होने के कारण मैं माननीय मंत्री को भाषण देने के लिये कहता हूं। वे कितनी देर में तैयार होंग ?

डा० काटजू : मैं लगभग २५ मिनट में तैयार हो जाऊंगा ।

श्री सरमा (गोलाघाट-जोरहाट) : त्रपुरा और मणिपुर को समस्यायें भी महत्वपूर्ण हैं। इस समस्या को समझने के लिये उनके ऐतिहासिक सम्बन्ध, भौगोलिक स्थिति और उस की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को समझना होगा ।

कदाचित कुछ माननीय सदस्यों को मालूम न हो कि केन्द्र शासित त्रिपुरा राज्य में कुछ भाग ऐसे हैं जहां भारत सरकार वास्तव में नहीं चलती। त्रिपुरा का कुछ भाग समाज विरोधी लोगों की मुट्ठी में है और सरकार की सारी शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। त्रिपुरा राज्य का सार राजस्व ३५,५६,००० रुपये है और भारत सरकार को १,३९,९८,००० रुपये खर्च करने पड़ते ह। राष्ट्र निर्वाणकारी तीन विभाग शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये २५,७१,००० रुपये खर्च करने पड़ते हैं जब कि पुलिस ही पर २९,८५,००० रुपये खर्च किये जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य बातचीत करना चाहते हों तो उन्हें सभा-कक्ष में चले जाना चाहिये। उन्हें सदन की कार्यवाहियों में विघ्न न डालना चाहिए।

श्री सरमा : इसके लिये कुछ उत्तर चाहिये। त्रिपुरा राज्य के जो क्षेत्र या खण्ड हमारी पुलिस की पहुंच के बाहर हैं वे समाज विरोधी कार्यवाहियों के अड्डे बने हुए हैं जो हमारे भाग में साम्यवादी कार्यवाहियों के पर्याय हैं, साम्यवादीजन निकटवर्ती पाकिस्तानी नगरों में मुद्रित तथा प्रकाशित साहित्य का प्रसार कर रहे हैं। यह संकटापन्न स्थिति है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय की छान बीन करे। त्रिपुरा में साम्यवादी कार्यवाहियों में गत डेढ़ वर्ष में लगभग १०० आदमी उड़ा लिये गये। उन में से बहुतों का कोई पता नहीं मिलता और उन्हें वध कर दिया गया अनुमान करना चाहिए।

मणिपुर राज्य में सारा राजस्व २९,१९,००० और व्यय ७५,०३,४०० रुपय है। वहां संचार के साधनों की कमी है। भारत से त्रिपुरा राज्य में केवल विमानों द्वारा ही जाया जा सकता है। त्रिपुरा राज्य और कछार और शिलांग को जोडने वाली अगरतला नामक सड़क पर कहते हैं दो करोड़ रुपये खर्च हुए, और इतना खर्च होने पर भी वह सड़क 'जोओं, के जाने योग्य भी नहीं। वह पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है और पाकिस्तान में मुद्रित पर्चे हम में बांटें

जाते हैं जो लोगों को समाज-विरोधी कार्यों के लिये भड़काते हैं।

ये दोनों राज्य साम्यवादी समाज विरोधी कार्यवाहियों के गढ़ हैं और उन की ये कार्यवाहियां आसाम के पड़ोसी राज्य पर भी फैलती जा रही हैं।

श्री एल० जे० सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : यह अतिरंजित कथन है। मेरे माननीय मित्र श्री सरमा ने जो कुछ कहा उस पर मैं घोर आक्षेप करता हूं।

श्री सरमा : क्या मेरे माननीय मित्र इसे अस्वीकार कर सकते हैं कि जो पत्र नागा राष्ट्रीय नेताओं ने स्वतन्त्रा की मांग के लिये भारत सरकार को भेजे थे उन्हें मणिपुर की विशिष्ट साम्यवादी संस्था ने तैयार किये थे। मुझे विश्वस्त सूत्र से यह समाचार मिला था। साम्यवादियों तथा उनके समर्थकों ने डिब्रूगढ़ की रेलवे बस्ती में 'कल्चरल शो" किया। उनमें से कुछों ने झगड़ा किया और पुलिस को अवैध निरोध की शिकायत की। पुलिस के जांच करने पर "कल्चरल शो" के सदस्यों ने पुलिस पदाधिकारी और ४ आरक्षकों को घर लिया। दो आरक्षकों को खब पीटा गया। पुलिस सबइन्सपेक्टर को मारते मारते मार डाला गया और उसे अधमरी हालत में एक गड्ढे में फेंक दिया गया जिसमें मल पड़ा था। मेरे ही जिले में साम्यवादो आतंक का इतना बोलबाला था कि एक समय शिबसागर नगर के मध्य में से होकर कांग्रेस कार्यकर्ता गोधुलि में कांग्रेस कार्यालय को जाने में घबड़ाते थे। मुझ यह कहना चाहिये कि जो लोग सुरक्षित स्थानों में रहते हैं वे सम्भवतया उस स्थिति को आंक नहीं सकते कि कौन सी घटनाएं हो रही हैं और कैसे साम्यवादी सारे कुटम्बों का सफाया कर देते हैं, जब वे गांव वालों में आतंक फैलाना चाहते हैं। शिबसागर के राजस्व अभिकर्ता बुधेर ठाकुर को मार डाला गया। पानी मांगने पर "सोशल कल्चरिस्टों" ने उसकी जबान खींच कर काट डाली। ये अनुभव दूरस्थ उत्तर पूर्व सीमा क्षेत्र के हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह मणिपुर तथा त्रिपुरा राज्यों के लिये क्या करने का विचार रखती है। यदि त्रिपुरा का सुप्रबन्ध न किया गया तो मैं नहीं जानता कि उतर पूर्वी सीमा की किस प्रकार रक्षा की जायेगी। हमें यह जानना चाहिये कि सीमाओं की रक्षा केवल बन्दूकों से नहीं हो सकती। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार इन राज्यों के कार्यों की ओर ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री।

डा० काटजू : विपक्ष पक्ष के सदस्यों की अति अल्प उपस्थिति इस बात की द्योतक है कि काश्मीर को छोड़ वास्तव में कोई अन्य मुद्दा नहीं है जिस पर जहां तक राज्य मंत्रालय का सम्बन्ध है, सदस्यों को कोई शिकायत है। मुझे जो थोड़ा समय मिला है उसमें मैं विभिन्न वि यों की विवेचना करूंगा जो प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों में तथा किये गये भाषणों में दर्शाये गये हैं। उदाहरण के लिये एक भाषण में निजो थैली के बारे में कुछ कहा गया था। किन्तु वह तो इतिहास का विषय है।

माननीय प्रधान मन्त्री जो ने इस पर संक्षेप विवेचन किया है। सदन को विदित ही है कि इस प्रश्न पर खूब वाद-विवाद हो चुका है। और वह हमारे संविधान में सन्निहित है। संविधान निर्माताओं ने सांवैधानिक प्रत्याभूति देना जान बूझ

[डा० काटजू]

कर उचित समझा । इस सदन या इसके उत्तराधिकारियों को संविधान में संशोधन प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता है । किन्तु जब तक यह संविधान प्रवर्तमान है निजी थैलियां चालू रहेंगी और उन पर इस सदन में मत भी नहीं लिया जा सकता । पूर्व पीटिका यह है । भारत सरकार ने राजाओं के साथ प्रसंविदाएं की हैं जो लेखबद्ध हैं और राजाओं के द्वारा उनके आधिकार विशेषाधिकार और तथाकथित अधिपत्य त्याग देने के प्रतिफल में भारत सरकार ने एक निश्चित मान के अनुसार उन्हें निजी थैली देना तय किया है और यह उस राशि से बहुत ही कम थी जो ये राजागण अपने राज्यों से पहले लेते थे और यह उन्हें प्रत्याभूत की जानी चाहिये । यह राशि उनके निज भरण पोषण, निवास संधारण, कुटुम्ब, सम्बन्धियों, विवाह आदि आदि के लिए सर्वकर मुक्त दी जाती है । मैं आदर पूर्वक कहता हूं कि यह महान प्रश्न है । यह नीति का प्रश्न है और दूसरे नैतिक उत्तरदायित्व का भी जिसे हमारी सरकार ने ग्रहण किया है । यह विषय संविधान के संशोधन से सम्बन्ध रखता है और इसका संक्षिप्त रूप से उस रूप में निर्णय नहीं किया जा सकता जिसम वह यहां प्रस्तुत किया गया है ।

दूसरा प्रश्न दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे माननीय मित्र ने उठाया जो भाग ख और ग के राज्य के प्रति व्यवहार से था । उनका सुझाव था कि उन्हें उस अर्थ में पूर्ण स्वायत्तता दी जाए जो अब संविधान के अधीन भाग क को प्रदान की गई और उनके द्वारा उपभोग में लाई जाती है । मैं इस मुद्दे पर कुछ विश्वास के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मैं स्वयं ही इन छोटे राज्यों में से एक भाग ख राज्य से आया हूं और मुझे वहां की वर्तमान अवस्थाओं का व्यक्तिगत अनुभव है । जहां तक कि संविधान का सम्बन्ध है भाग ख राज्य के विषय में एक धारा है । उस धारा में यह उपबन्ध है कि दस वर्ष के भीतर या यों कहिए कि दस वर्ष के समाप्त हो जाने पर, सारे निर्बन्धन जाते रहेंगे और भाग क और भाग ख के राज्य एक ही धरातल पर आ जायेंगे । जहां तक भाग ग के राज्यों का सम्बन्ध है जो बहुत ही छोटे क्षेत्र हैं वहां तक संसद् ने दो वर्ष पहले एक विशेष विधान पारित किया था । एक महत्वपूर्ण तथ्य का कभी कभी दुर्लक्ष किया जाता है । मैसूर और हैदराबाद राज्य अपने अपने राजनैतिक एकक के रूप में एक प्रशासन के अधीन बहुत लम्बे समय से हैं । हैदराबाद दो सौ वर्षों से अधिक समय से और मैसूर, मैं समझता हूं उससे भी अधिक समय से एकक के रूप में वर्तमान है । दूसरे अन्य एकक संघ हैं जैसे कि सौराष्ट्र, मध्य भारत, राजस्थान और छोटे पैमाने पर ट्रावनकोर-कोचीन संघ । ये भारतीय संघ में एकीकृत किये जाने के प्रयोजन से अस्तित्व में लाये जाकर विलीन किये गये हैं । यदि मैं यह कहूं तो अत्युक्ति न होगी कि उनकी परम्परा उभयपोषी न थी । मध्य भारत में जिससे मैं आया हूं, वस्तुतः दो बड़े राज्य इन्दौर और ग्वालियर हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक् हैं । इन दो बड़े राज्यों के अतिरिक्त २० या २१ छोटे पृथक् राज्य हैं जो अपने अपने स्वतन्त्र जीवन बिताते हैं । राजस्थान में जोधपुर, जैपुर और बीकानेर का समावेश है जिन की अपनी पृथक् परम्पराएं सदियों से हैं । सौराष्ट्र में सैकड़ों छोटे छोटे रजवाड़े हैं और उन्हें अब एक राज्य का रूप दे दिया गया है । ट्रावनकोर-कोचीन के

विषय' में भावना है, जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने सुझाने का प्रयास किया, कि विलीनीकरण से उन्हें कोई अनुकूल स्थिति नहीं प्राप्त हुई।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : यह बात सच नहीं है।

डा० काटजू : कहीं कहीं यह शिकायत है कि इन विलीनीकरणों के फलस्वरूप गठित छोटे संघों में लोगों की, यदि मुझे सम्भाषण पद व्यवहार करने दिया जाए किसी सीमा तक अवनति हुई है, उनके ऐश्वर्य में घोर हस्तक्षेप हुआ है और उनका दरजा गिर गया है। हम एक प्रकार के संक्रमण प्रक्रम से गुज़र रहे हैं। मैं आपके समक्ष यह सुझाव रखना चाहता हूं कि वित्त की दृष्टि से इन स्वावलम्बहीन राज्यों में जो बड़ी कठिनाइयों में हैं, केन्द्रीय सरकार के हाथ में कुछ सामान्य मन्त्रणादायक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। इन संघों में, विशेषतः भाग ग के राज्यों में बड़ी अड़चनें हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य का कार्यसंचालन उसके निजी प्रशासन द्वारा होता था। हमें ये सारी सेवाएं अब एक सूत्र में बांधनी होंगी। इस प्रक्रिया का विस्तार व्यापक है और इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। उन्हें हमें भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय आरक्षक सेवा, आदि आदि के ढांचे में बैठाना होगा। जहां तक वित्तीय संसाधनों का सम्बन्ध है वहां तक उनके संसाधन विपुल हैं परन्तु उनका अब तक समन्वेषण नहीं किया गया है। उन्हें सहायता की आवश्यकता है।

यह रूपरेखा मुझे द्वितीय प्रश्न की ओर प्रवृत्त करती है जो इस प्रकार रखा गया है "आप मन्त्रणाकार क्यों नियुक्त करते हैं ?" कुछों ने यह राय व्यक्त की कि मन्त्रणाकार की आवश्यकता नहीं। मैं पिछले इतिहास के झंझट में नहीं पड़ना चाहता कि एकीकरण के आरम्भ से प्रादेशिक आयुक्तों तथा मन्त्रणाकारों के क्यों नियुक्त किया गया। उस समय वे सारे नरेशों तथा समस्त राज्य संघों की पूर्ण सहमति से नियुक्त किये गये थे। उस समय कुछों के मन्त्रिमण्डल नहीं थे, कुछों के उस समय कोई विधान मण्डल ही न थे। पिछले चार वर्षों में, ईश्वर की कृपा से, अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ। उनमें से प्रत्येक में विधान मण्डल हैं और पूर्णतः उत्तरदायी मन्त्रिमण्डल। केन्द्रीय सरकार की यह किञ्चित भी इच्छा नहीं है कि उन पर कोई प्राधिकार लादा जाए। हम मन्त्रणाकार क्यों रखना चाहते हैं ? यह इस इच्छा से नहीं है कि हम उनके दैनिक प्रशासन में कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है ही नहीं। परामर्शदाता उनकी सेवा के लिये है। वे उसकी मन्त्रणा चाहें तो वह निकट ही हैं। यदि वे उसके अनुभव से लाभ उठाना चाहें तो ठीक ही है। किन्तु मैं एक बात अवश्य सुझाना चाहता हूं। वह बड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है क्योंकि मैं पुनः अपने निजी अनुभव से कहता हूं। इन राज्यों में अब तक एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। वह अब भी एकीकरण अभिमुख है। यह वांछनीय है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई अनुभवी, कुशल पदाधिकारी हो, किन्तु गत राजनैतिक अभिकर्ता या अभिकर्ता का लेशमात्र भी प्रतिरूप न हो। बिल्कुल नहीं। हमने उन्हें मन्त्रिमन्डल की सेवा के लिये रखा है और जब मन्त्रणा आवश्यक हो तो वे मन्त्रणा दें।

[डा० काटजू]

यदि कोई संघ विशेष यह कहे "देखिए, हमें मन्त्रणाकार की आवश्यकता नहीं। हम अपना प्रबन्ध आप करने में समर्थ हैं।" बहुत ठीक है। मैं इस पर आग्रह नहीं करना चाहता हम योग्य पदाधिकारियों को फेंक देना नहीं चाहते। योग्य पदाधिकारी कम ही हैं। किसी सज्जन ने कहा था "श्रीमान् आप मुख्य सचिवों, विधि सचिवों तथा अन्य लोगों को भेज देते हैं।" दुर्भाग्य का विषय तो यहहै कि वे उनकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। हम उन्हें नहीं भेजते। वे मांगते हैं। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनके राज्यों में, उनके संघों में, इस समय प्रशासी प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। यह उनका दोष नहीं है और न राज्य के निवासियों का ही। जैसा कि मैंने कहा कि मुझे मालूम है क्योंकि अब से पहले तक स्थानीय प्रतिभा को विकसित होने का पर्याप्त अवसर ही न दिया गया था। उस कोटि के प्रशासी अनुभव के पक्व होने के लिये थोड़ा समय लगेगा, चार, पांच या दस वर्ष लगेंगे और ज्यों ही कोई प्रशासन यह कहेगा "हम अपने लिये योग्य व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं" तब हम कहेंगे, "बहुत ठीक"। उनके यह कालेज हैं, उनके यहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं और मुझे यह कहते अत्यन्त आनन्द होता है कि बहुत से राज्यों में ऐसे समस्त पदाधिकारी तैयार हो रहे हैं। इस समस्या का समाधान कुछ ही वर्षों में स्वयं ही हो जाएगा।

मैं कहना चाहूंगा कि भाग "ग" के राज्य किंचित भिन्न धरातल पर हैं। उदाहरण के लिये दिल्ली को लीजिए। दिल्ली की अपनी असाधारण स्थिति है। यह राजधानी का नगर है। प्रत्येक सज्जन को मालूम है कि संयुक्त राज्य में ४८ राज्य हैं किन्तु वाशिंग्टन, कोलंबिया का ज़िला, अर्थात् डी० सी० है। हमारी संसद् ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए यह उचित समझा कि भारतीय संघ की राजधानी में भी स्थानीय प्रशासन हो। वे स्वयं ही उत्तरदायी जन हैं और कुछ मुद्दे, कुछ विषय उसके अधिकार क्षेत्र से पृथक् कर लिये हैं। मैं प्रत्येक भाग "ग" राज्य के समस्त मन्त्रियों तथा सरकारों को आश्वासन देना चाहूंगा कि जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वहां तक हमारी यह हार्दिक उत्कण्ठा है कि हम उनकी अधिकतम सहायता कर सकें, उनके कार्य में सुकरता ला दें और किसी भी प्रकार हस्तक्षेप न करें, किन्तु उन्हें भी यह स्मरण रखना चाहिए कि वे बहुत ही छोटे एकक (युनिट्स) हैं। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मैं छोटे एककों के विरुद्ध नहीं हूं। मैं समझता हूं कि कुछ राज्यों में वे अत्यन्त सुचारुता से कार्य कर सकते हैं। मैंने देखा कि कुर्ग में वे अत्यन्त उत्तम रीति से कृत्य कर रहे हैं। उनके संसाधन महान् हैं। उन की दो लाख की अल्प जनसंख्या की तुलना में उनका राजस्व विपुल है। बिना केन्द्रीय सरकार की किसी सहायता के ही उनका निजी राजस्व ८० लाख रुपये है। दो लाख लोग ८० लाख की राशि से अपना कार्य स्वयं ही चला सकते हैं, किन्तु अन्य राज्य इतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनके संसाधन सीमित हैं और उन्हें अपने विकास तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भी केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि मैं उन छोटे छोटे राज्यों का निवासी होता तो मैं समझता हूं कि मैं वित्तीय सहायता का स्वागत करता और उनको उपलब्ध की जाने वाली प्रशासी सहायता का भी स्वागत करता

दोनों ओर से संशय कम और सद्भावना तथा मातृभाव अधिक, और विश्वास और भरोसे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। भाग "ग" के राज्य पर दूसरों द्वारा आधिपत्य करने के प्रयत्न की कोई इच्छा न होनी चाहिए। दूसरी ओर भाग "ग" के राज्य और उन की सरकारें आशुक्षुब्ध न बनें और उन्हें यह न समझना चाहिए कि हस्तक्षेप हो रहा है जब कि इस प्रकार का कोई अभिप्राय है ही नहीं।

और दो छोटे राज्यों का विशेषकर नाम लिया गया है जिनकी ओर हाल में मेरा ध्यान अधिक आकर्षित हुआ है और ये हैं त्रिपुरा तथा मणिपुर। मेरे माननीय मित्र ने, जिन्हों ने अभी अभी भाषण किया था, ठीक ही कहा था कि इन दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति असाधारण है। ये हमारे उत्तर पूर्वीय छोर पर हैं। ये सीमावर्ती राज्य हैं। उनके संसाधन बहुत अधिक नहीं हैं, किन्तु वे अंशतः अप्रवेश्य हैं। त्रिपुरा से कोई सीधा या सुगम संचार मार्ग नहीं है। मणिपुर तो और भी दूर स्थित है और वहां विधान-सभाएं नहीं हैं। हम विशेषतया उत्कण्ठित हैं कि वहां का प्रशासन कार्यक्षम हो जाए। मैं इस प्रश्न का ब्योरेवार विवेचन करना नहीं चाहता जिसका गौण उल्लेख मात्र हुआ था, क्योंकि मैं इस विलम्ब प्रक्रम पर इस पर कोई वाद-विवाद नहीं उठाना चाहता परन्तु त्रिपुरा में बहुत सी शिकायतें हुई हैं। वे सच हो सकती हैं और झूठ भी, किन्तु वहां अपहरण और बालापहरण होता है, स्त्रियों तथा बालकों का नहीं, वरन् राजनैतिक दलों द्वारा व्यस्कों का। वहां विधान सभा होने नहीं जा रही है, परन्तु हमारा सुझाव है ....

एक माननीय सदस्य : क्या यह सारा प्रचार है?

डा० काटजू : आप की ओर से यह सारा प्रचार है। मैं या केन्द्रीय सरकार वहां मुख्य आयुक्तों की सहायता के लिये जल्द ही मन्त्रणाकार नियुक्त करने का सुझाव करते हैं। यही सब से अच्छी बात है जो हम उन दोनों राज्यों में कर सकते हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : सरकारी या गैर सरकारी?

डा० काटजू : मैं यह नहीं सुझाना चाहता कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति उपयोगी होगी।

श्री भवनजी (कच्छ पश्चिम) : कच्छ को मिलाकर तीन सीमावर्ती राज्य हैं।

डा० काटजू : किन्तु कच्छ अन्तर्सीमावर्ती राज्य नहीं है। खैर, आपको विदित है कि आपको मन्त्रणाकार और सहायता मिल रही है।

मैं भूल सुधारे लेता हूं। हां तो फिर त्रिपुरा, मणिपुर तथा कच्छ को मंत्रणाकार मिलेंगे और इतनी जल्दी जितनी में मैं उन्हें मन्त्रणाकार दे सकूं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये मन्त्रणाकार उत्तम भाव के साथ मुख्य आयुक्तों से सुसहयोग करेंगे और मुख्य आयुक्त को अपना सहयोगी समझेंगे और किसी की ओर से कोई झगड़े का चिन्ह यदि मैं यह पद प्रयुक्त कर सकूं, न होगा।

येही वे मुद्दे हैं जिन्हें इन कटौती प्रस्तावों में उठाया गया है, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जब राज्य मन्त्रालय आरम्भ हुआ था तब उसके समक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण कृत्य थे क्योंकि जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि १५ अगस्त १९४७ को भारत के ५०० और कुछ राज्य शाब्दिक रूप से स्वतन्त्र थीं और राज्य मंत्रालय को उन

[डा० काटजू]

से व्यवहार करना पड़ता था। एकीकरण का प्रश्न और यथापूर्व स्थिति करार तथा निजी थैलियों की राशि तथा व्यक्तिगत सम्पत्तियों आदि आदि का प्रश्न था। इन सब को अब एक प्रकार से तय किया जा चुका है और वास्तव में वह पूर्ण रूप से गृह कार्य हो चुका है। यह मेरी प्रबल आशा है कि थोड़े ही समय में भारत में प्रशासी समायोजन प्रक्रिया के द्वारा केवल एक गृहकार्य मन्त्रालय रह जावेगा जो हमारे 'वृहद् गृह' का समस्त रूपेण एक बड़े पैमाने पर व्यवहार करेगा।

श्री पी० एन० राजभोज। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और उड़ीसा में शेड्यूल्ड कास्ट की कंडीशंस बहुत खराब हैं, इसके लिये आप कृपा करके कुछ न कुछ करें।

डा० काटजू : मैंने जैसा कि कल आप के सामने निवेदन किया था कि मेरी नज़र में विन्ध्य प्रदेश के एक हरिजन में और उत्तर प्रदेश के दूसरे हरिजन में कोई फ़र्क नहीं है। सब की उन्नति का बराबर लिहाज़ रहेगा।

श्री पी० एन० राजभोज कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मुझे समय नहीं मिला इसलिये मैं इस तरह ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में कटौती प्रस्तावों को सदन के समक्ष मत के लिये रखूंगा। कटौती प्रस्ताव संख्या १०१६ उस सीमा तक नियम बाह्य है जहां तक कि उस का सम्बन्ध निजी थैलियों और भत्तों से है जो भारत की संचित निधि पर भृत हैं और मतदेय नहीं हैं। अन्य कटौती प्रस्ताव अब सदन के समक्ष मतदान के लिये रखे जाएंगे।

कटौती प्रस्ताय प्रस्तुत किये गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगों की सदन के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

> "३१ मार्च १९५३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में आदेशपत्र के स्तम्भ दो में उल्लिखित मांग संख्या ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८ और १२६ के निमित्त जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये उक्त आदेशपत्र के स्तम्भ तीन में तदनुरूप दिखलाई गई अन्यान्य परिमाण तक की राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २७ जून १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।